लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

3rd LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र]

Fifteenth Session

[खंड 57 में अंक 1 से 10 तक हैं]
[Vol. LVII contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 4—गुरुवार, 28 जुलाई, 1966/6 श्रावण, 1888 (शक)
No. 4—Thursday, July 28, 1966 / Sravana 6, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या S. Q. Nos :	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
91.	राजस्थान के संसद् सदस्यों से अभ्यावेदन	Representation from Rajasthan M. Ps.	1-6
92.	कृषि के लिये विश्व बैंक से सहायता	Aid from World Bank for Agriculture	7-10
93.	खाद्यान्नों में मिलावट	Adulteration in Foodgrains	10-14
94.	अनुसूचित जातियों के लिये आर्थिक विकास कार्यक्रम	Economic DevelopmentProgrammes for Scheduled Castes	14-17
95.	कलकत्ता में साफ किये हुए जल का सम्भरण	Supply of Filtered Water in Calcutta	17-18
96.	अमरीकी दूतावास द्वारा पी० एल० 480 निधि से खर्च किया गया धन	Money spent by U. S. Embassy out of P. L.480 Funds	18-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर		**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
97.	चौथी पंचवर्षीय योजना	Fourth Five Year Plan	21-22
98.	ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें	Medical Facilities in Rural Areas	22
99.	दिल्ली में जल की कमी	Water Shortage in Delhi	22-23
100.	राज्यों में पीने के पानी की सप्लाई	Supply of Drinking Water in States	23-24
101.	दिल्ली के लिये वृहत् योजना	Master Plan for Delhi	24
102.	नेताओं की मूर्तियां	Statues of Leaders	24
103.	केन्द्र द्वारा प्रायोजित सिंचाई परियोजनायें	Centrally-Sponsored Irrigation Projects	25
104.	स्वर्ण नियंत्रण आदेश	Gold Control Order	25-26
105.	पश्चिमी कोसी की बड़ी नहर का निर्माण	Construction of Western Koshi Main Canal	26

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
106.	कलकत्ता में विमानों तथा मोटरगाड़ियों के पुर्जों का पकड़ा जाना	Seizure of Aircraft and Motor Parts in Calcutta	26-27
107.	विदेशी मुद्रा की स्थिति	Foreign Exchange Position	27-28
108.	ग्रामवासियों तथा नगरवासियों की आय में विषमता	Disparity in Income of Rural and Urban Population	28
109.	दिल्ली में बिजली की कमी	Shortage of Power in Delhi	28-29
110.	आदिवासी क्षेत्र	Adivasi Areas	29
111.	कलकत्ता में पकड़ी गई हुंडियां	Seizure of Hundies in Calcutta	29-30
112.	योजनावद्ध विकास को प्राथमिकता	Priority in Planned Development	30-31
113.	परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति	Committee on Transport Policy and Coordination	31
114.	केन्द्रीय आवास बोर्ड	Central Housing Board	31
115.	कानपुर के एक उद्योगपित से आयकर की वसूली	Recovery of Income-Tax from an Industrialist of Kanpur	32
116.	अनुसूचित जातियों के सामाजिक कल्याण के लिये कार्यक्रम	Social Welfare Programme for Scheduled Castes	32
117.	भारती बैंकों में विदेशी मिशनों का जमा धन	Deposits of Foreign Missions in Indian Banks	32
118.	सहकारी ऋण समितियां	Co-operative Credit Societies	32-33
119.	ऋण नीति	Credit Policy	33
120.	देश में हैजा फैलने का खतरा	Threat of Cholera Epidemic in the country	33-34
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos :			
456.	दिल्ली में मलेरिया की रोकथाम	Malaria Control in Delhi	34-35
457.	केरल में जेल तथा पुलिस कर्मचारियों के वेतन क्रम	Pay Scales of Jail and Police Staff in Kerala	35
458.	शोरनूर जल संभरण योजना	Shoranur Water Supply Scheme	35-36
459.	कोराट्टी गवर्नमेंट प्रेस	Koratty Government Press	36
460.	भेंट स्वरूप सामान के पार्सल (बेगेज गिफ्ट पार्सल)	Baggage Gifts Parcels	36-37
461.	इड्डिकी परियोजना	Idikki Project	37
462.	चलियार नदी के पानी का दूषित हो जाना	Pollution of Chaliyar River	37-38

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
463.	केरल में पंचायतों का निर्माण कार्य करने के लिये विशेष लोक निर्माण विभाग	Special P W. Deptt. for Carrying Panchayat Works in Kerala	38
464.	चलियार नदी में मछलियां का मर जाना	Death of Fish in River Chaliyar	38-39
465.	केरल में कुडियाडो जल-विद्युत परियोजना	Kuttiadi Hydel Project in Kerala	39
466.	अधवाड़ा योजना	Adhwara Scheme	39-40
467.	अधवाड़ा योजना	Adhwara Scheme	40-41
468.	सैनिक वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कैन्टीन	Canteens in Military Pay and Accounts Offices	41
469.	सरकारी उपक्रमों में कर्मचारी	Employees in Government Undertakings	41-42
470.	रीटा बिस्कुट फैक्टरी पटियाला	Rita Biscuit Factory, Patiala	42
471.	अशोक होटल में नियुक्त कर्मचारी	Persons Employed at Ashoka Hotel	42-43
472.	चलियार नदी के पानी का दूषित होना	Pollution of Chaliyar River	43
473.	अमरीकी दूतावास द्वारा पी० एल० 480 निधि से खर्च किया गया धन	Money spent by American Embassy out of P. L. 480 Funds	43-44
474.	दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां	Unauthorised Colonies in Delhi	44
475.	मद्रास शहर के लिये पेय जल संभरण योजना	Scheme to provide Drinking Water for Madras City	44-45
476.	अनधिकृत रूप से बनी इमारतें	Unauthorised Buildings	45
477.	आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में बायलर के फटने से मृत्यु	Death due to Bursting of a Boiler at AIIMS	45
478.	विलिंगडन अस्पताल के सफाई कर्मचारियों द्वारा आमरण अनशन	Fast unto death by Scavenging Staff of Willingdon Hospital	46
479.	बरेली में स्वर्णकारों से बरामद विदेशी सोना	Foreign Gold recovered from Gold- smiths in Bareilly	46
481.	बम्बई में घड़ियों का पकड़ा जाना	Watches Siezed in Bombay	46
482.	राज्यों में बिजली उत्पादन योजनाएं	Power Generation Schemes in States	47
483.	स्वर्ण बांड योजना	Gold Bond Scheme	47-48
484	परिवहन अनुसन्धान सम्बन्धी समिति	Committee on Transport Research	48
485.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	D. A. to Central Government Employees	48-49
486.	भूमिहीन हरिजनों के मकानों की समस्या	Housing Problems of Landless Harijans	49

अ० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
487.	केरल में कुट्टनाड के लिये लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी सब-डिवीजनल	Public Health Engineering Sub-division for Kuttanad in Kerala	50
488.	विश्व बैंक से ऋण	World Bank Loans	50-51
489.	पंजाब से दिल्ली को बिजली की सप्लाई	Electricity Supply to Delhi from Punjab	51-52
490.	दिल्ली में चिट फण्ड कम्पनियां	Chit Fund Companies in Delhi	52
491.	चतुर्थ वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण	Fourth Annual Electric Power Survey	52-53
492.	सरकारी पेंशन पाने वालों को मंहगाई भता	D.A. to Government Pensioners	53
493.	भारत सहायता सार्थ संघ (कन्सोरटियम) से सहायता	Aid from Aid India Consortium	53-54
494.	अमरीकी ऋण पर ब्याज	Interest on U.S. loans	54
495.	विकलांग भिखारियों का प्रशिक्षण	Training of Handicapped Beggars	54
496.	बम्बई और राजस्थान में छापे	Raids in Bombay and Rajasthan	54-55
497.	राज्यों में भूमि सुधार	Land Reforms in States	55-57
498.	राज्यों में बिजली की कमी	Power shortage in states	57-58
499.	राज्यों द्वारा नियतन से अधिक धन लिया जाना (ओवरड्राल)	Overdrawl by state	58-59
500.	फरक्का बांध परियोजना	Farakka Barrage Scheme	59
501.	नेपाली राज्य क्षेत्र में भारतीय मोटर-गाडियों का चलना	Operation of Indian Vehicles in Nepa Territory	59-60
502.	अमरीकी सहायता	U. S Aid	60
503.	पूंजी बाजार	Capital Market	60-61
504.	भारत की भुगतान की सन्तुलन स्थिति	India's Balance of payments position	61
505.	पलाई सेण्ट्रल बैंक	Palai Central Bank	61-62
506.	भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत	Complaint Against officers of Government Press, Aligarh	62
507.	कोठागुंडम तापीय बिजली घर	Kothagundem Thermal Station	62-63
508.	बम्बई में चोरी छिपे लाये गये सामान का पकड़ा जाना	Smuggled Goods seized in Bombay	63-64
509.	बाल अपचार विषयक गोष्ठी	Seminar on juvenile Delinquency	64
510.	उत्तर प्रदेश में डाकघरों से माध्यम जीवन बीमा निगम के प्रीमियम का संग्रह	Collection of L.I. C premia through post offices in U. P.	64
511.	नर्मदा नदी परियोजना सम्बन्धी खोसला समिति का प्रतिवेदन	Khosla committee's Report on Narmada River Project	64-65

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
512.	ग्रेट ब्रिटेन में लागू चयनात्मक रोजगार कर	Selective Employment Tax imposed in U.K.	65
513.	यूनिट ट्रस्ट	Unit Trust	65-66
514.	राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का संभरण	Supply of water in rural areas of R jasthan	66
515.	राजस्थान में बिजली की कमी	Power shortage in Rajasthan	66-67
516.	चेलियार में सिंचाई योजना	Irrigation Scheme at Chaliyar	67-68
517.	चेलियार नदी के पानी का दूषित हो जाना	Pollution of Chaliyar River	68
518.	कोट्टायी सिंचाई परियोजना	Koottayi Irrigation Project	68
519.	अल्प आय वर्ग में आवास किराया	Rent in Low Income Group	69
520.	भूमि के बेचने से मुनाफाखोरी	Profiteering in Land	69
521.	मंदिरों में सोना	Gold with Temples	69-70
522.	दक्षिणी बिजली ग्रिड	Southern Power Grid	70
523.	केरल में ताप बिजली परियोजना	Thermal Power Project in Kerala	70-71
524.	मजदूरों के लिये राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी	National Minimum Wage for Workers	71
528.	सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋणों पर कानूनी सीमा	Statutory Limits on Government Borrowing	71-72
529.	दिल्ली में क्षय रोगी	T. B. Patients in Delhi	72
530.	शाहदरा में पागलखाना	Mental Hospital at Shahadra	72
531	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को छात्रवृत्तियाँ	Scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes	72-73
532.	पंजाब में गाँवों में बिजली लगाना	Rural Electrification in Punjab	73
533.	पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों का विकास	Development of Backward and Hilly Areas	73
534.	व्यापारी फर्मों को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Business Houses	74
535.	पश्चिम बंगाल में महिला शरणार्थी	Women Refugees Camps in West Bengal	74-75
536	मोती नगर नई दिल्ली में जल सम्भरण	Water Supply in Moti Nagar, New Delhi	75
538.	लहरियासराय में व्यापारियों से बरामद किया गया सोना	Gold recovered from Traders in Laheriasarai	75-76
539.	सरकारी बस्तियों में सड़कों की बत्तियाँ	Street Lighting in Government Colonies	76
540.	भारतीय अर्थ व्यवस्था	Indian Economy	77

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
541.	आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों का उत्थान Uplift of Economically Backward People	77
542.	गृह-निर्माण कार्य House Building Activities	77-78
543.	मध्य-पूर्व देशों से चोरी छिपे लाया गया सोना Gold Smuggled from Middle East Countries	78
544.	'लूप' के आविष्कर्ता की भारत यात्रा Visit of the Inventor of Loop to India	78-79
545.	अर्द्ध वृत्ताकार छत वाले (शैल टाइप) सरकारी गोदाम Shell Type Government Godowns	79
546.	मद्रास में बिजली की कमी Power Shortage in Madras	79
547.	गर्भपात सम्बन्धी नियम Abortion Rules	80
548.	ब्रह्मापुत्र नदी के लिये बहुप्रयोजनीय योजना Multipurpose plan for Brahma-Putra	80
549.	पुलिन (बीच) कटाव बोर्ड Beach Erosion Board	80-81
550.	केरल में जल सम्भरण योजनायें Water Supply Schemes in Kerala	81-82
551.	कालीकट 'धोबी खाना' विस्तार योजना Calicut Dhobi Khana Expansion Schemes	82
552.	झुग्गिवासियों को भूमि का नियतन Allotment of Land to Jhuggi Dwellers	82-83
553.	दिल्ली तथा नई दिल्ली में दुकानों का आवंटन Allotment of Shops in Delhi and New Delhi	83
554.	बाबू मार्केट, सरोजिनी नगर Babu Market (Sarojini Nagar)	84
555.	मेडिकल कालेजों में स्थान का सुरक्षरण Reservation of Seats in Medical Colleges	84
556.	बेसेक्टामी तथा ट्यूबेक्टामी आपरेशन Vasectomy and Tubectomy Operations	84-85
557.	कीनिया में बच्चों का अस्पताल Children's Hospital in Kenya	85-86
558.	पोलियो Poliomyelitis	86
559	भिक्षु गृह Beggar Homes	86
560.	दक्षिणी राज्यों में प्लेग Plague in Southern States	86-87
561.	परिवार नियोजन शिविर Family Planning Camps	87
562.	विदेश जाने वाले पदाधिकारी Officers visiting Abroad	87
563.	उत्पादन शुल्क विभाग की कार्य प्रणाली Working of Excise Department	87-88
564.	परिवार नियोजन योजनायें Family Planning Schemes	88
565.	कलामसेरी में बिजली का सब-स्टेशन Power Sub-Station at Kalamasserry	88

अ० द्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/pages
566.	जम्मू तथा काशमीर में अस्थितवासी गूजर	Nomadic Gujars in J & K	89-90
567.	तीसरी योजना में सम्मिलित की गई मणिपुर की योजनायें	Third Plan Schemes of Manipur	90
568.	अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण कार्य के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds for Welfare of Scheduled Tribes	90
569.	हैजा तथा चेचक का उन्मूलन	Eradication of Cholera and Small-Pox	91
570.	आदिवासी	Adivasis	91-92
571.	दिल्ली के आसपास नई बस्तियों की खाका सम्बन्धी योजनाएं	Lay out Plans of new colonies around Delhi	92
572.	एर्णाकुलम में तापोय बिजलीघर	Thermal Plant at Ernakulam	92
573.	दरभंगा राज की सम्पत्ति	Properties of Darbhanga Raj	93
574.	विक्रम नगर बस्ती को जल की सप्लाई	Water Supply to Vikram Nagar Colony	93
575.	सरकारी कर्मचारियों के लिये उपदान (ग्रेच्युटी) नियम	Gratuity Rules for Government Employees	93-94
576.	पीने के लिये भूमिगत जल	Underground water for drinking purposes	94
577.	दिल्ली में 'लूप' सम्बन्धी प्रचार	Publicity for Loop in Delhi	94-95
578.	करेंसी नोट	Currency Notes	95
579.	सिंचाई क्षमता	Irrigation Potential	95-96
580.	दिल्ली में अनधिकृत इमारतें	Unauthorised Buildings in Delhi	96
581.	केरल में कैंसर के मामले	Cancer Cases in Kerala	96-97
582.	अनुर्वरी करण (वेलक्टोमी) शल्य-चिकित्सा	Vasectomy Operations	97
583.	पहाड़ी क्षेत्रों का विकास	Development of Hilly Tracks	97
584.	दिल्ली में हल्के भूकम्पों के कारण इमारतों को क्षति	Damage to Buildings due to Tremors in Delhi	97-98
585.	नेफा का आर्थिक विकास	Economic Development of NEFA	98
586.	स्कूलों के बच्चों का स्नास्थ्य	Health of School Children	98-99
587.	भारत-नेपाल पर भूमि सीमा शुल्क केन्द्र	Land Customs Stations on Indo-Nepal Border	99-100
588.	अभावग्रस्त क्षेत्रों में पीने योग्य पानी की समस्या	Drinking water problem in scarcity areas	100
589.	कृत्रिम गुर्दे	Artificial Kidneys	100-101
590.	डा० वी० के० आर० वी० राव का ब्रिटेन का दौरा	Dr. V. K. R. V. Rao's visit to U. K.	101

अ० प्र० सं० U. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
591. इन्द्र प्रस्थ बिजली घर	Indraprastha Power House	101
592. विवाहों का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन)	Registration of Marriages	101-102
593. उच्च न्यायालों में आयकर के अनिर्णीत मुकदमे	Income Tax Cases Pending in High Courts	102
594. कलकत्ता न्यायालय में तस्करी का मामला	Smuggling case in Calcutta Court	103
595. राष्ट्रीय गृह-निर्माण निगम	National Buildings Corporation	103-104
596. दामोदर घाटी निगम कमान क्षेत्र में सिंचाई	Irrigation in D. V. C. Command Area	104
597. नजफगढ़ नाला	Najafgarh Nallah	104,105
598. चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme during Fourth Plan	105
599. सैनिक कर्मचारियों के जीवन बीमा निगम के दावे	L. I. C. claims of Defence Personnel	105
600. दिल्ली में विषाक्त भोजन के मामले	Food Poisoning Cases in Delhi	105-106
601. बम्बई में सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling in Bombay	106
602. राज्यों का आर्थिक विकास	Economic Growth of States	106-107
603. आयकर अधिकारियों की परीक्षा का स्थगित किया जाना	Postponement of IncomeTax Officers Examination	107
604. गैर-योजना व्यय की कटौती	Cut in Non-Plan Expenditure	107-108
605. सिंचाई योजनाएं	Irrigation Schemes	108
606. मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance	108-109
607. देव नगर के गलियारों में सीवर लाइन	Sewer Line in Service Lanes of Dev Nagar	109-110
608. देव नगर के क्वार्टरों के लिये जल-निस्सारण व्यवस्था	Drainage for Quarters in Dev Nagar	110
609. सामान्य भविष्य निधि की जमा राशिपर ब्याज की दर	Rate of Interest on G. P. Fund Accumulations	110-111
610. नागपुर स्थित रिजर्व बैंक से गायब दस्तावेज	Missing Documents from Reserve Bank Nagpur	111
611. अपर इन्द्रावती परियोजना	Upper Indravati Project	111-112
612. उड़ीसा के पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास	Development of the backward Jracs of Orissa	112
613. तूती कोरिन में ताप बिजली घर	Thermal Plant at Tuticorin	112
614. बहुप्रयोजनीय परियोजनायें	Multi-Purpose Projects	112-113

अ० प्र० सं० U. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
615. उड़ीसा में आयकर की वसूली	Income-tax Realisation in Orissa	113
616. उड़ीसा में ग्राम्य गृह-निर्माण योजनायें	Rural Housing Schemes in Orissa	113-114
617. उड़ीसा में आदिम जातीय विकास खण्ड	Tribal Development Blocks in Orissa	114
618. मध्य प्रदेश में कताई मिलें	Spinning Mills in Madhya Pradesh	114-115
619. पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना	Dispersal of Industries in Backward Areas	115
620. चौथा वित्त आयोग	Fourth Finance Commission	115
621. स्वर्णकारों को रोजगार दिलाना	Rehabilitation of Goldsmiths	116
लोक लेखा समिति के पचासवें प्रतिवेदन के बारे में	Re. Fiftieth Report of Public Accounts Committee	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
केरल में रबड़ बागान श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by rubber estate workers in Kerala	
ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notice (Query)	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	
व्यवस्था के प्रश्न के बारे में	Re. Point of Order	
कुछ सदस्यों के निलम्बन के रद्द किये जाने के बारे में	Re. Revocation of suspension of certain Members	
वित्त मन्त्री की हाल की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य	Statement re. Finance Minister's recent visit Abroad	
श्री शचीन्द्र चौधरी	Shri Sachindra Chaudhuri	
पेटन्ट्स विधेयक	Patents Bill	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee	
विशेषाधिकार समिति के सातवें प्रतिवेदन के बारे में	Re Seventh Report of Committee of Privileges	
बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक	Electricity (Supply) Amendment Bill	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री बड़े	Shri Bade	
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
श्री नारायण दांडेकर	Shri N Dandekar	
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	
श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta	
श्री सिंहासन सिंह	Shri Sinhasan Singh	
श्री काशी नाथ पांडे	Shri K. N. Pande	
श्री वारियर	Shri Warior	
श्री मुथिया	Snri Muthiah	
श्री उमानाथ	Shri Umanath	
श्री न० प्र० यादव	Shri N. P. Yaqab	
श्री काशी राम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta	
श्री बृजबासी लाल	Shri Brij Basi Lal	
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	
श्री म० ला० जाधव	Shri M. L. Jadhav	
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	
डा० कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao	
गण्डक परियोजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion re. Gandak Project	
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	
श्री फखरुद्दीन अहमद	Shri Fakhruddin Ahmed	

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार 28 जुलाई 1966 / 6, श्रावण 1888 (शक)
Thursday, July 28, 1966 / Sravana 6, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 91

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : प्रश्न संख्या 91 । मेरा निवेदन यह है कि इस प्रश्न का उत्तर प्रधान मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिये था जिनको प्रश्न सम्बोधित किया गया था और एक विवरण सभापटल पर रखा जाना चाहिये था विशेषकर जब कई बातें पूछी जा रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर आने दीजिये ।

राजस्थान के संसद् सदस्यों से अभ्यावेदन

*91 **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के संसद् सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल उस राज्य की विकास सम्बन्धी उचित मांगों को मनवाने के बारे में एक ज्ञापन प्रस्तुत करने के हेतु आय-व्ययक (बजट) सत्र के दौरान प्रधान मंत्री से मिला था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें दिये गये सुझावों पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां। संसद् के बजट अधिवेशन के दौरान कुछ संसद् सदस्य प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्होंने राजस्थान की योजना की विकास स्कीमों/परियोजनाओं के कई विषयों पर विचार विमर्श किया था।

(ख) और (ग) : इन सुझावों की जांच की जा रही है तथा कुछ सीमा तक इनकी ओर ध्यान दिया जा रहा है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जैसा कि मैंने कहा है, यह कहीं अधिक अच्छा होता यदि की गई कार्यवाही का ब्योरा दिया जाता और एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता। कुछ भी हो, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि जबकि समूचे भारत में विद्युतीकरण की औसत प्रतिशतता 9·3 है, राजस्थान की यह केवल 3.9 है और क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल सम्भरण, सीमांत सड़कों तथा मरु भूमि विकास के बारे में योजनाओं को क्रियान्विति में कोई प्रगति नहीं हो रही है और राजस्थान में विकास कार्य की गति पहले से धीमी पड़ गई है क्योंकि केन्द्रीय सरकार सदा यह कहती रही है कि ये योजनायें हमारे विचाराधीन हैं ? ये काफी समय से विचाराधीन हैं और अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है।

श्री अशोक मेहता : विद्युतीकरण के बारे में यदि हम इस बात को, जो उठाई गई है, एक उदाहरण के रूप में लें तो राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करने के लिये एक साथ कई योजनायें हाथ में ले ली हैं। इसका परिणाम यह है कुछ ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने तथा पूरा करने की बजाय 57 ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जा रही हैं। राज्य विद्युत बोर्ड ने ट्रांसमिशन सम्बन्धी काफी सामान तथा उपकरण भी इकट्ठे कर लिये हैं। अब हम इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि बहुत अधिक लाइनों को, जो पूरी न की जा सकें, एक साथ बिछाने के बजाय कुछ सीमित लाइनों को पूरा करने हेतु उपलब्ध सामान को कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। यह मामला उनके विचाराधीन है। केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग इस कार्य के लिये आवश्यक सहायता की व्यवस्था कर रहा है।

इसी प्रकार सीमान्त क्षेत्रों में सड़कों के बारे में एक मास्टर प्लान बनाने के लिये व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान तथा गुजरात के सीमान्त क्षेत्रों में सड़कों की आवश्यकता का पुनर्विलोकन किया गया है और इन क्षेत्रों में सड़कों का विकास करने के लिए जो वर्तमान व्यवस्था है उसे पर्याप्त समझा गया है।

जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में जल का सम्भरण करने का सम्बन्ध है, तीसरी योजना में 2. 75 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त स्थानीय विकास कार्यों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के अन्तर्गत कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1966-67 में ग्रामीण क्षेत्रों में जल की व्यवस्था करने के लिए 40 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है और स्थानीय विकास कार्य में सम्बन्धित कार्यक्रमों पर 19 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। इस के अलावा, पिछड़े वर्गों के कल्याण के अन्तर्गत कार्यक्रम भी चालू किया जायेगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : राजस्थान के संसद-सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गए ज्ञापन में इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया था कि यह सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि रेगिस्तान विकास बोर्ड का गठन इस प्रकार से किया जाय कि यह एक प्रभाव शाली तथा गतिशील निकाय हो और इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाये। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने जो निकाय बनाया है उसमें केवल अधिकारी ही भर दिए हैं, और उसके लिए बहुत कम धन की व्यवस्था की गई है जिससे अग्रिम परियोजनाओं की, जिनकी इस परियोजना के अन्तर्गत क्रियान्वित होने का अनुमान था, संख्या कम कर दी गई है। इस मामले के बारे में सरकार की क्या स्थिति है ?

श्री अशोक मेहता : रेगिस्तान विकास बोर्ड में एक आयुक्त होगा जो सदस्य-सचिव होगा और तीन विशेषज्ञ होंगे जो इसके सदस्य होंगे।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : सभी अधिकारी।

श्री अशोक मेहता : अग्रिम प्रयोग के लिए इस वर्ष 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह वक्तव्य देने में माननीय मंत्री की अनभिज्ञता पर मुझे वास्तव में बड़ी हैरानी हुई है। क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि राजस्थान में 22,000 गाँवों में से अभी तक 1,000 गाँवों में भी बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है ? उन्होंने बताया है कि राजस्थान हर स्थान पर बिजली की व्यवस्था कर रहा है। क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान के पास बिजली उपलब्ध है, इसकी उन स्थानों में व्यवस्था की गई है जहां कुएं अधिक हैं परन्तु यह कुओं के लिए कनेक्शन नहीं दे सकता है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने के लिए धन नहीं है ? क्या वह यह भी जानते हैं कि ग्रामों में जल सम्भरण सम्बन्धी अग्रिम परियोजना के अन्तर्गत योजनाओं के लिए इस वर्ष केवल 20 लाख रुपये की व्वस्था की गई है जब कि इन कार्यों को पूरा करने के लिए 64 लाख रुपये अपेक्षित हैं ? अन्यथा सारा कार्यक्रम खतम हो जायेगा। मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को एक अर्धशासकोय पत्र लिखा है मैंने प्रधान मंत्री को एक अर्ध-शासकीय पत्र लिखा है, प्रधान मन्त्री ने मुझे लिखा है कि वह तुरन्त कार्य वाही करने के लिए वित्त मन्त्री तथा योजना मन्त्री को कह रही हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये लाइनें सितम्बर से पहले बिछ जानी चाहिए थी जिससे उठाऊ-सिंचाई का आज लाभ उठाया जा सकता। अन्यथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल सम्भरण का कार्य धरा का धरा रह जायेगा। क्या ये सही बातें नहीं हैं ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं।

श्री अशोक मेहता : मैं माननीय सदस्यों को केवल वही जानकारी दे सकता हूँ जो मेरे पास है। वर्ष 1966-67 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करने के लिये 2.5 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं। इस राशि से कुछ ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जानी हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अध्यक्ष महोदय, क्या आप उनसे पूछेंगे कि क्या वह उन बातों में से, जो मैंने कहीं हैं, किसी एक का भी खण्डन करते हैं ?

श्री अशोक मेहता : या तो मैं यहां पर जानकारी देने के लिये हूं अथवा नहीं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं उन बातों के बारे में जानकारी पूछ रहा हूँ जो मैंने कही हैं ।

श्री अशोक मेहता : मैं इस बारे में ही जानकारी दे रहा हूँ कि 2.5 करोड़ रुपये की यह राशि कई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने पर खर्च की जा सकती है चाहे इन से कोई तुरन्त लाभ हो अथवा नहीं । परन्तु इस समय हम जिस नीति का अनुसरण कर रहे हैं वह यह है कि योजनाओं को इस प्रकार से क्रियान्वित किया जाय जिसमें तुरन्त लाभ हो सके ।

अत: सभी राज्यों को हमने यह सुझाव दिया है कि आवंटित राशियों इस तरीके से उपयोग किया जाना चाहिये कि एक ऋतु में ही इसके परिणाम प्राप्त हो सकें । इसलिए, हम एक समय में बहुत सारी लाइनों को आरम्भ करना नहीं चाहते क्योंकि वे अधूरी रह जाती हैं । हम चाहते हैं कि कुछ चुनीदा लाइनों का कार्य आरम्भ किया जाये और उसको पूरा किया जाये ।

एक बात यह कही गई है कि मैंने ग्राम्य जल संभरण के बारे में अपेक्षाकृत अधिक संख्या बताई है । इसका कारण यह है कि माननीय सदस्य पाइप द्वारा जल संभरण की बात कर रहे हैं । मैंने ग्राम्य जल संभरण के बारे में बताया है । पाइप द्वारा जल संभरण के अतिरिक्त जल संभरण के और भी तरीके हैं जिसकी गांवों में भी व्यवस्था की जा रही है ।

मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि राजस्थान की आवश्यकताएं काफी अधिक हैं और राज्य सरकार काफी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करती रही है, परन्तु केन्द्रीय सरकार भी कड़ी कठिनाइयों का अनुभव करती रही हैं । जबकि आयव्ययक को संतुलित रखने के लिये हमें यह कहा जाता है कि जैसे भी संभव हो व्यय में 10 प्रतिशत की कटौती की जाये, तो स्पष्टत: जो भी नई मांग होगी उसको प्रतीक्षा करनी होगी ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : राजस्थान नहर की योजना बहुत पुरानी है ।

Shri Kashi Ram Gupta : The three main problems of Rajasthan are : decision about the authority of Rajasthan Canal, the rural electrification scheme and lastly the rural pipe water supply scheme . Our past experience has been that the Central Government is always talking of watching grant without caring for the economic problem of Rajastnan. Rajasthan is a very poor and backward State and it is futile to talk of watching grant and thus put obstacles in its progress. May I know whether the hon. Minister will give priority to these three schemes at the earliest and close the issue of watching grant with regard to them ? Will he fulfil the assurance given by the Prime Minister that aid would be given to Rajasthan at the earliest opportunity and what are the reasons for delaying it so far ?

Shri Asoka Mehta : So far as the Rajasthan Canal authority is concerned, talks are still going on between the State Government and the Central Government in

regard to that . As regards other things I have already admitted that the needs of Rajasthan are quite pressing, the needs of other States are also quite pressing. The available resources have got to be distributed amongst various States for various purposes.

Shri Onkar Lal Berwa : A sum of Rs. 75 crores has been sanctioned for Rajasthan and out of that Rs. 5 crores have actually been given to them in this plan. The livelihood of the entire population of Rajasthan is dependent on the Rajasthan Canal and the Government have closed the matter by giving the meagre amount of Rs. 5 crores only. Is any scheme under consideration of the Central Government for granting full amount instead of the reduced amount ? Have Government ever pondered over the consequences of leaving this scheme in the middle ?

Shri Asoka Mehta : At present the first phase of the scheme has been taken up and we are trying to push ahead the scheme as expeditiously as our resources permit.

Shri Onkar Lal Berwa : Will it be completed or not ?

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister's reply was very general while the question asked was very specific, about the canal.

Shri Asoka Mehta : I have already stated that the work relating to canal is divided into two phases. The first phase has been taken up. The total expenditure involved in the canal cannot be made available in one year and that will be made available gradually after year after year. We are trying to allocate this year whatever is possible. The hon. Members know that the size of the current year plan has been very much curtailed on account of our critical economic condition

श्री अ० प्र० शर्मा : इन सभी समस्याओं के सम्बन्ध में श्री माथुर ने एक प्रकार के तथ्यों का उल्लेख किया है और मंत्री महोदय ने पृथक ही उत्तर दिया है। श्री माथुर ने जो जानकारी दी है क्या वह उससे इन्कार कर सकते हैं ? मन्त्री महोदय द्वारा जानकारी प्राप्त करने का क्या आधार है ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक मैं समझता हूँ दी गई जानकारी के बारे में कोई मत भेद नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा वह यह था कि राजस्थान की आवश्यकताएँ बहुत बड़ी हैं और उन्होंने पूछा कि क्या मन्त्री आवश्यकताओं से और इस बात से अवगत हैं कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री वित्त मन्त्री और योजना मन्त्री को लिखते रहे हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि ये आवश्यकताएँ पूरी की जाती हैं और क्या मैं जानता हूँ कि प्रधान मन्त्री ने वित्त मन्त्री से भी इसका जिक्र किया है। योजना में क्या उपबन्ध किया गया है और राजस्थान की क्या आवश्यकता है इन दोनों के बीच काफी अन्तर है; मैं सीधे रूप में इसको मानता हूँ, परन्तु प्रश्न यह है कि हमें इस कमी को किस तरह पूरा करना है ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री के उत्तर से काफी गलतफहमी पैदा हो गई है। प्रश्न केवल यह है कि क्या मन्त्री महोदय यह जानते हैं कि उन ग्राम्य जल संभरण योजनाओं के लिये जिनका कार्य पहले से आरम्भ कर दिया गया है, उनके लिये

66 लाख रु० की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है परन्तु उनको बीच में ही छोड़ना होगा- क्या यह सच है या नहीं ? उन योजनाओं को भी बीच में छोड़ना होगा जिनको पहले हाथ में लिया जा चुका है। एक भी नई योजना आरम्भ नहीं की जा रही है। क्या यह सच है कि कुँओं को कनेक्शन नहीं दिये जा सकते हैं ?

श्री अशोक मेहता : मैंने बार बार कहा है कि बड़ी संख्या में कुँओं को कनेक्शन दिये जा सकते हैं बशर्ते के पारेषण लाइनों की व्यवस्था कर दी जाये। यदि हमारे संसाधन सीमित हैं तो हमें विवेक से काम लेना होगा और एक विशिष्ट क्षेत्र को चुनना होगा और इसका इस तरीके से उपयोग करना होगा कि इन कुँओं को बिजली मिल जाये। जब आप ऐसा करते हैं तो राज्य के कुछ अन्य भागों को इस वर्ष के दौरान कनेक्शन नहीं मिलेंगे। जब संसाधन सीमित होते हैं तो उनको इस तरीके से जुटाया जाता है कि कुछ स्थानों पर कुछ नतीजे हासिल हो सकें जबकि कुछ अन्य भागों को उनके बिना रहना होगा।

श्री प्रिय गुप्त : क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि चुरू और बिकानेर जैसे कुछ स्थानों में पीने के पानी की भारी कमी के कारण कुँओं से विषैला पानी लिया जाता है और लोग उससे मर जाते हैं और क्या सरकार ने वहाँ की समस्याओं पर विचार किया है और ग्राम्य जल संभरण तथा विद्युती करण को कोई विशेष प्राथमिकता दी है, और क्या इस पर विचार किया गया है कि एक अविलम्बनीय मामले के रूप में योजना में इसका बिशेष उपबन्ध किया जाना चाहिये ?

श्री अशोक मेहता : जबकि दिये गये इन सुझावों के बारे में मेरे लिये तत्काल उत्तर देना संभव नहीं है, मैं केवल यही कह सकता हूँ कि जब योजना तैयार की गई थी, तब राजस्थान योजना के लिये उपलब्ध संसाधनों के अन्दर अन्दर ग्राम्य विद्युती करण और ग्राम्य जल संभरण के लिये संसाधन आवंटित करने के लिये सब से अधिक प्रयत्न किया गया था। हम जानते हैं कि जरूरतों और अबिलम्बनीय आवश्यकताओं के लिये ये संसाधन अपर्याप्त हैं, परन्तु, मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि इस समय किसी विशिष्ट राज्य की सहायता करना हमारे लिये बड़ा कठिन है।

Shri M. L. Verma: An hon. Member just now stated that there exist no arrangement of drinking water in Rajasthan. Is it not the ultimate responsibility of the Planning Commission to provide drinking water to the people even 19 years after the Independene ?

Shri Asoka Mehta : Fulla ttention is being given to it but you are aware that for arranging drinking water in the rural areas it requires Rs. 500 crores and that for urban areas Rs. 700-800 crores. The Health Minister has gone into this question deeply. It is impossible for us to arrange Rs. 500 crores in any single plan period. The plan will come before you. Whatever you like to cut in that you cut and whatever you like to sanction for any item yon may sanction. But you must bear in mind the effect of making a cut in other items over the economy.

कृषि के लिये विश्व बैंक से सहायता

*92. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री वारियर :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक से कहा है कि उसने जो वार्षिक सहायता देने का वचन दिया था उसका अधिकांश भाग कृषि के लिए दिया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो किन प्रस्तावों पर बात चीत हुई और क्या-क्या प्रस्ताव स्वीकार किये गये ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) सरकार ने विश्व बैंक और मित्र देशों की सरकारों को भी, तेजी से कृषि-विकास करने के भारत के प्रयत्नों का महत्व बतला दिया है और उनके लिए सामान्य रूप से सहायता मांगी है।

(ख) कृषि-विकास की योजनाओं और रासायनिक खाद और हानिकर-जीवनाशक औषधी आदि जैसी कृषि के काम आने वाली वस्तुओं को उपलब्ध करने की हमारी क्षमता बढ़ाने की योजनाओं के बारे में, ऋण देने वाले प्राधिकरणों से बात चीत की जा रही है; इनकी एक सूची सभा की मेज पर रख दी गयी है।

[**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०**—6525/66]

श्री भागवत झा आजाद : सूची को देखने से पता चलता है कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ऋणों द्वारा कृषि परियोजनाओं के लिये बहुत कम सहायता का उपबन्ध है। क्या यह सच है कि सरकार ने विश्व बैंक से अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर कृषि सम्बन्धी ऋणों के लिये नही कहा, अथवा बैंक के सदस्य उद्योग की अपेक्षा कृषि के लिये ऋण देने का विरोध करते हैं ? वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह कहना सही नहीं है कि सरकार ने विश्व बैंक से नहीं कहा। बात चीत इस समय इस प्रश्न पर हो रही है कि कृषि और अन्य क्षेत्रों के संबंध में क्या आवंटन होना चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद : यदि यह सच नहीं तो मैं उनका ध्यान वकतव्य की ओर दिला सकता हूँ जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि उन्होंने निजी क्षेत्र की उर्वरक परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से कहा है—पृष्ठ ३ पर मद (तीन), (क) और (ख)—और इसको देखते हुए क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की उर्वरक परियोजनाओं के लिये कभी कोई ऋण प्राप्त करने का प्रयत्न किया है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जैसा कि मैंने कहा जहाँ तक उर्वरक का सम्बन्ध है, इटली केसहयोग से सरकारी क्षेत्र में दो उर्वरक संयंत्र लगाये जायेंगे। फिर जहाँ तक अन्य

परियोजनाओं का सम्बन्ध है, सुझाव यह है कि उनको गैर-सरकारी क्षेत्र में लिया जा सकता है।

श्री वासुदेवन नायर : क्या सरकारी क्षेत्र की किसी परियोजना के लिये उन्होंने विश्व बैंक से कहा था ? प्रश्न यह था और उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

श्री प्र० चं० बरुआ : आसाम में 1954 से औसत तौर पर प्रतिवर्ष 25,000 एकड़ प्रथम श्रेणी की उपजाऊ भूमि में ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ आ रही है और उसका कटाव हो रहा है। इससे देश के कृषि विकास में बाधा पड़ी है और केन्द्रीय और राज्य, दोनों सरकारों के लिये रुकावट पैदा हो गई हैं। क्या विश्व बैंक से इस पहलू पर भी चर्चा की गई थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं नहीं कह सकता कि आसाम से सम्बन्धित एक विशिष्ट परियोजना पर विश्व बैंक के साथ चर्चा की गई थी या नहीं। यह जानकारी मुझे प्राप्त करनी होगी।

Shri M. L. Dwivedi: In the list it has been stated that the World Bank advanced a loan of Rs. 6 million dollars for sinking tube wells in U. P. I want how many tube wells have been sunk so far in U. P. and how many remain to be sunk. What will be amount for the present demand of 1,000 tube wells and why demand has been made for 1,000 tube wells only and not more ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। यदि आपको यह जानकारी चाहिये तो मुझे इस बारे में सम्बन्धित मंत्रालय से पूछना होगा।

Shri M. L. Dwivedi : The later part of my question was as to what amount has been demanded for the second stage of the Project.

श्री शचीन्द्र चौधरी : जैसा कि मैंने कहा मामले पर अब भी विश्व बैंक के साथ चर्चा की जा रही है और मैं इस समय किसी विशिष्ट योजना की राशि नहीं बता सकता।

श्री वारियर : क्या सरकार ने इन परियोजनाओं की एक सूची दी है और उससे विश्व बैंक ने इन परियोजनाओं को चुना है ? प्राथमिकताएँ निश्चित करने के लिये क्या कसौटी अपनाई गई थी ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : विशिष्ट योजनाएं इस समय योजना आयोग के विचाराधीन हैं। मुझे विश्वास है कि योजना के तैयार होते ही उसे मेरे साथी योजना मंत्री सभा पटल पर रख देंगे।

श्री वारियर : प्रश्न यह है कि ये योजनाएं विश्व बैंक द्वारा चुनी गई थीं या सरकार द्वारा ? क्या कसौटी अपनाई गई थी ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह प्रश्न वास्तव में योजना मंत्री से पूछा जाना चाहिये कि प्राथमिकताएं निश्चित करने में क्या कसौटी अपनाई जाती है।

श्री रंगा : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि परियोजनाओं को कौन चुनता है—विश्व बैंक या भारत सरकार —और किस आधार पर।

श्री शचीन्द्र चौधरी : ये योजनाएँ निश्चय ही भारत सरकार द्वारा चुनी जाती हैं और फिर विश्व बैंक के सामने रखी जाती हैं और सहमति होना आवश्यक होता है क्योंकि एक ऋण देने वाली संस्था है और दूसरा ऋण प्राप्त करने वाला देश है। कसौटी स्वभावतः कृषि के लिए झुकाव वाली होगी।

श्री स० च० सामन्त : एफ० ए० ओ० / आई० बी० आर० डी सहकारी कार्य-क्रमों के अन्तर्गत सहायता के लिये सूची में पाँच योजनाओं को तैयार किया जा रहा है। इन योजनाओं के लिये, विशेष रूप से राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा आरम्भ किये जाने वाले बीज कार्य क्रम के लिये अलग-अलग क्या राशि है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : एफ० ए० ओ० और आई० बी० आर० डी० सहकारी कार्य क्रम के दल ने इस देश का दौरा किया है और बातचीत अभी चल रही है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : विवरण में सालांदी परियोजना का उल्लेख किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस परियोजना के लिये सहायता प्राप्त की गई थी। क्या इस योजना को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है और क्या यह सच है कि आनन्दपुर बांध परियोजना को छोड़ दिया गया है और यदि हां, तो क्या ऐसा भारत सरकार के परामर्श से किया गया था ? क्या किसी ऐसी योजना के किसी भाग को छोड़ने से पहले, जिसके लिये सहायता प्राप्त कर ली गई है, वे भारत सरकार की सलाह लेते हैं ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि क्या योजना के किन्हीं भागों को छोड़ा गया है। यदि इसको नहीं छोड़ा गया है तो परामर्श का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि मेरे माननीय मित्र को यह जानकारी चाहिये तो मैं इसकी आगे जाँच करूँगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Member stated that we put before the World Bank our agricultural requirements. What amount was demanded from the World Bank for those requirements ? How long will it take to conclude the negotiations ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं सार्थसंघ के देशों विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से सहायता प्राप्त करने के लिये बात चीत चल रही है और जैसा कि मैंने पहले बताया हमें उद्योग की अपेक्षा कृषि के लिये अधिक धन चाहिए। इसे योजना आयोग में तैयार किया जा रहा है और इसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा। तब इस पर विश्व बैंक की प्रति क्रिया जानने के लिये इसको विश्व बैंक के सामने रखा जायेगा और स्वभावतः कृषि क्षेत्र के लिये अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिये उसको मनाने का प्रयत्न किया जायेगा। आशा है कि बात चीत इस वर्ष अक्टूबर तक समाप्त हो जायेगी।

श्री त्यागी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कृषि क्षेत्र के लिये मझोली और बड़े पैमाने की सिंचाई योजनाएं तैयार कर के देने के लिये तत्काल क्रियान्वित किये जाने वाले एक कार्य क्रम पर संसद ने बार बार जोर दिया है और फिर भी इसकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है, क्या सरकार ने इस विषय पर विश्व बैंक से कोई मन्त्रणा मांगी है, क्या उसने सरकार को यह सलाह दी है कि सिंचाई सुविधाओं सम्बन्धी बड़े पैमाने की एक योजना भारत

को खाद्य के मामले में आत्म निर्भर बना देगी और यदि हाँ, तो क्या उनकी सलाह को अमल में लाया जायगा जबकि हमारी सलाह नाकाम रही है ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : इस सभा द्वारा दी गई सलाह निश्चय ही हमारे लिये किसी विदेशी सलाह से अधिक मूल्यवान है। इसलिये, यदि वह सलाह नहीं ली गई है तो अन्य कोई भी सलाह नहीं ली जायेगी । इसके साथ साथ मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि हमने इस मामले में विश्व बैंक की सलाह मांगी है । जैसा कि मैंने कहा हम इस सभा द्वारा दी गई सलाह का आदर करेंगे और उसको अमल में लायेंगे ।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whose advice was sought when our requirement, wore put before the World Bank ? At present we are facing a shortage of 18 million tons of foodgrains and 80 percert of the Members of this House come from rural areas Did they consult the Members of Parliament before writing this to the World Bank or will they consult them in future ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जब संसद हमें कोई सलाह देना चाहती है तो हमें शौक से ग्रहण करते हैं और हमपर उसकी प्रतिक्रिया होती है । जब भी सलाह दी जायेगी हम उस पर विचार करेंगे और जब भी संसद यहाँ होती है वह सलाह मांगी जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चाहते हैं कि प्रार्थना सरकार की ओर से आनी चाहिये कि सरकार को पहल करनी चाहिये, और उन कृषि सदस्यों को बुलाना चाहिये जो इसमें विशेषज्ञ है और उनसे सुझाव मांगने चाहिये ।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कृषि उत्पादन में ऋण एक सबसे मूल्यवान और विशेष पहलू है तथा किसानों को 12 से 48 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज देना पड़ता है, क्या सरकार विश्व बैंक तथा दूसरी संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने की अपनी योजना में इस प्रकार परिवर्तन करने का विचार कर रही है जिससे विदेशों से तथा देशी साधनों से अधिक से अधिक धन प्राप्त करने को प्राथमिकता दी जा सके ताकि उत्पादन का यह पहलू किसानों को इतना मँहगा न पड़े जितना आज है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मुझे बहुत खुशी है कि प्रो० रंगा ने यह प्रश्न उठाया है । सरकार इस पर गम्भीरता से सोच रही है कि किसानों के लिए ऋण की सुविधाएँ ब्याज की निम्नदरों पर किस प्रकार मिल सकती हैं तथा ये गाँवों में किसानों को किस प्रकार सुलभ हो सकती हैं ?

सरकार इस पर सक्रियता से विचार कर रही है । साधन भारत में ही जुटाये जांय या विदेशों से—इस विषय पर देश की परिस्थितियों के अनुसार विचार होगा ।

खाद्यानों में मिलावट

*93. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री रा० बरुआ :

श्रीमती सावित्री निगम : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों में बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये कोई उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) और (ख) : खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रावधानों को अधिक कठोर कर दिया गया है और राज्यों से कह दिया गया है कि वे इस अधिनियम को समुचित रूप से लागू करें । बड़े पैमाने पर मिलावट किये जाने की सरकार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

Shri R. S. Pandey : Mr. Speaker, the honourable Minister has just now said that there is a law for this and they will try to implement it and that he has not received any complaint so far, I would like to submit that because of shortage of foodgrains in the shopkeepers mix clay in wheat, white pebbles in rice, vermillion colour and clay the country in Spices, water in milk and adulteration in Ghee and oil. Sometimes we find water even muddy. My wife went to a shopkeeper and said . . . . .

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a speech or a question ?

Mr. Speaker : All members make speeches. All these were speeches and not supplementaries

Shri R. S. Pandey : I am not making a speech.

Mr. Speaker : It is a speech, not a supplementary.

Shri R S. Pandey : I would like to know before the Act is passed and implemented and the complaint received by you, what is all this happening in the country ? Is mixing with wheat and rice not adulteration ? I have quoted my wife as having enquired from the shopkeeper as to why so much dust was there in wheat and the reply of the shopkeeper was that this human body itself consists of clay, what is the harm if some clay is mixed in wheat. Is this not adulteration ?

Mr. Speaker : I can listen to the complaints of the members, but how can I listen to those who are not members ?

Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): Sir, we are sorry to accept this that things are mixed in foodgrains in a number of ways. What can be done to check adulteration, all of us have been giving anxious consideration to this and this House has recently passed a law which provides rigorous punishment in this regard. That law has to be followed strictly everywhere. The House has decided 6 months imprisonment and some fine also for this offence. As the House is aware that implementation is the concern of Municipalities, we have asked the states that there should be some centralisation of these on state level. Besides, technical offices should examine the foodgrains supplied to Ration Shops and Fair Price Shops and if they find adulteration, they have been asked to check it.

Shri R. S. Pandey : The officers mentioned by the honourable Minister for examination of food grains, get unadulterated grains and other things, what can they see and check. The worst part of it is that the customers have to face difficulties. The State government and Municipalities should be warned that they should take strong action.

Dr. Sushila Nayar : Sir, we have asked them for observing strict vigilance and if some member wants that there should be picketing on some particular shop, I have asked the Chief Commissioner to depute somebody so that sample may be collected and the person found guilty may be punished. We have been trying our best but I cannot say that we have achieved tangible results.

श्री नि० रं० लास्कर : अभी उपमंत्री महोदय ने कहा है कि बड़े पैमाने पर मिलावट की रिपोर्ट नहीं आई हैं एक प्रश्न के उत्तर में इसी सभा में बताया गया है कि 1963 में एकत्र 30 से 50 प्रतिशत नमूनों में विभिन्न राज्यों में मिलावट पाई गई। क्या इसी दर्मियान मिलावट समाप्त हो गई ?

डा० सुशीला नायर : उपमंत्री महोदय का कहने का आशय यह था कि पिछले कुछ दिनों से स्थिति खराब हो जाने के समाचार नहीं आये हैं। समस्या है और विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की समस्या है। कुछ राज्यों में 17 प्रतिशत, कुछ में 16 प्रतिशत तथा कुछ में 36 प्रतिशत मिलावट पाई गई है। कानून के कार्यान्वयन के अनुसार समस्या विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न स्तरों पर है। हम सभी राज्यों को आवश्यक कार्यवाही करने को कह रहे हैं। हमने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राज्यों के लिए कार्यकारी यंत्र में सुधार तथा प्रयोगशाला सम्बन्धी सुविधा आदि की सहायता देने की व्यवस्था की है।

Shri Vishram Prasad : I would like to know that perhaps there is nothing in India which is not adulterated. So far as spices are concerned seeds of Papaya are sold for pepper and horse dung is sold for cumin seeds. This is what is supplied for food in this country. How much time will this government take for rooting out adulteration.

Dr. Sushila Nayar : Sir, the government will be able to end adulteration only when all the citizens will cooperate in arresting and punishing adulterators.

Shri Yashpal Singh : Life imprisonment for those who indulge in adulteration in foodgrains was announced in this very House and as many as 250 tins full of animal fats which they were mixing in Ghee have been caught or recovered from the houses of traders for sale. I would like to know what is the largest and highest punishment announced so far in India?

Dr. Sushila Nayar : The highest punishment that this House passed was 6 months imprisonment though the honourable member spoke of Life Imprisonment.

Shri Yashpal Singh : Has some one been imprisoned for six months.

Dr. Sushila Nayar : Sir, I can say this that I have a statement wherein number of persons imprisoned in different States has been given. A large number of people have been sent to jail

Mr. Speaker : What is the highest punishment passed ?

Dr. Sushila Nayar : Minimum is 6 months, I do not have the record of longest term of jail sentence with me at the moment, I shall collect it and submit to the House.

Shri Yashpal Singh . They contribute to Election Fund and therefore they are being excused.

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि खाद्य मिलावट अधिनियम में संशोधन होने के बाद राज्य वार कितने मामले पकड़े गये तथा कितने निपटाये गये ?

डा० सुशीला नायर : मेरे पास एक राज्यवार लम्बा वक्तव्य है । यदि माननीय सदस्य चाहे तो मैं उन्हें एक प्रतिलिपि भेज सकती हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : वह सभापटल पर रखा जाना चाहिए ।

डा० सुशीला नायर : मैं इसे सभापटल पर रखूँगी ।

श्रीमती विमला देशमुख : क्या सरकार को पता है कि उस मैदे में कुछ लोहे के कण मिलाये गये जो बम्बई की खाद्यान्न की दुकानों पर बेचा गया ? क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगी कि सरकार इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिये क्या उपाय कर रही है ।

डा० सुशीला नायर : यह सम्भव नहीं कि मैं प्रत्येक राज्य की खाद्यान्न में मिलावट के बारे में मालूम करूँ । यदि माननीय सदस्य मुझे लिखेंगी तो मैं पूर्ण विवरण प्राप्त करके उन्हें भेज दूंगी ।

Shri Gulshan : Is it not a fact that no city is free from adulteration in India, the Government has been unsuccessful in checking it and the adulteration is increasing. For this as in Punjab and in Hariyana there has been raids and a large quantity of food grains wherein horse and donkey dung and saw dust of wood were found mixed. Has there been such raids elsewhere and have people been arrested and whether government is prepared to punish them or the government wants to procrastimate or put things off.

Dr. Sushila Nayar : Sir, the persons arrested will be punished. The cases will be dealt with according to the decision of the courts.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार जानती है कि जो अनाज पी० एल-480 अन्तर्गत प्राप्त किया जाता है उसमें भी लोहे के कण तथा पत्थरों के कंकड़ मिले होते हैं ? खाद्यान्न ही नहीं अपितु आज भारतीयों की नैतिकता में भी मिलावट हो रही है । यह देखते हुए सरकार ने समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध कठोर कदम क्यों नहीं उठाये, जैसा पंजाब में हो रहा है ?

श्रीमती सुशीला नायर : जहाँ तक नैतिकस्तरों में मिलावट का सम्बन्ध है, प्रो० हेम बरुआ को सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय की अपेक्षा स्वयं निगरानी रखनी चाहिए । जहाँ तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, हम कठोर कार्यवाही करना चाहते हैं तथा हमने सभी राज्य सरकारों को कठोर कार्यवाही करने को लिखा है जैसा कि पंजाब में हो रहा है ।

श्री हेम बरुआ : मैं इस भारी बोझ को कैसे उठा सकता हूँ ?

Shri Bagri : Mr. Speaker, traders arrested in Punjab and in Hariyana on charges of adulteration in foodgrains have somehow been connected with the former Cabinet

Ministers in Punjab ? Do the government think of laying hands on those big men who were in Punjab Cabinet and had complicity in cases of adulteration ?

Dr. Sushila Nayar : Sir, I could not follow him fully.

Mr. Speaker : He says that the persons arrested had connections with the former Punjab Cabinet. If they are big men, will those also be prosecuted ?

Dr. Sushila Nayar : The law neither favours big nor small. All of them will be sujected to legal action.

Shri Bagri: Mr. Speaker, this is in the cabinet......

Mr. Speaker: She has said that there will be no favouritism.

Economic Development Programmes For Scheduled Castes

+

*94 **Shri Prakash Vir Shastri** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to assign the work of economic development programmes for scheduled castes to voluntary organisations with a view to accelerating them;

(b) the extent to which Government are satisfied with the work done so far; and

(c) the time by which the revised scheme in this regard will be finalised?

समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :

(क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) राज्य सरकारों ने विभिन्न उपाय तथा कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है । प्रगति का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता है तथा जहाँ कहीं आवश्यक ही सुधार किये जाते हैं । सरकार को पता है कि इस सम्बन्ध में और अधिक काम करना होगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Prakash Vir Shastri: Mr. Speaker, there are two types of these voluntary organisations, one includes those which are not in any way assisted by the government and the others are those which are semi-government or three fourth governmental such as Bharat Sewak Samaj, Social Welfare Board etc. What is the experience of the Government in respect of these organisations. Whether the money spent through these semi-government and three fourth governmental organisations brought forth good results or the organisations which are working without governmental assistance have done good work.

श्रीमती चन्द्रशेखर : हम उन अखिल भारतीय संगठनों को सहायता देते हैं जो समाज-

कल्याण कार्य-क्रमों को चलाते हैं। जहाँ कहीं भी स्वयं सेवी संगठन अखिल भारतीय आधा र पर कार्य करने में सक्षम हैं, हम उन्हें सहायता देते हैं। जहाँ कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है, हम अपनी सहायता बन्द कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते कि इस सम्बन्ध में सरकार का अनुभव क्या रहा कि सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों ने या बिना सहायता के चल रहे संगठनों ने अच्छा कार्य किया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri : I would like to know whether the government while preparing or drafting Fourth Five Year Plan are thinking of inoreasing or decreasing the amount in comparison with previous plans in respect of the programmes which are being chalked out for the development of scheduled castes, as much more remains to be done for them.

श्रीमती चन्द्रशेखर : हमारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्वयं सेवी संस्थाओं को कुछ अधिक सहायता देने का इरादा नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I would like to know whether all the seats reserved in first, second, third and fourth classes have been filled up, if not how many of these are vacant and what steps are the government taking to fill them up and what will be the limit for that ? I would also like to know what percentage of untouchability has been decreased ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह प्रश्न इसके अन्तर्गत नहीं आता। यदि अलग नोटिस दिया जायेगा तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूंगी।

Shri Raghunath Singh : I would like to know that one or two castes amongst scheduled castes are such as are getting maximum benefit but most of them are lower castes and have not been availing themselves of even a single paisa. Will there be such arrangements as may provide assistance to the lower castes that have been deprived of it so far.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Chamars are getting maximum and none else.

श्रीमती चन्द्रशेखर : यद्यपि यह प्रश्न भी इसके अन्तर्गत नहीं आता.....

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न है कि सभी जातियों को एक जैसी सुविधा नहीं दी जाती, कुछ जातियाँ हैं जो सहायता पर एकाधिकार जमाये हुये हैं। यही वह कहना चाहते हैं।

श्रीमती चन्द्रशेखर : हम अपने समाज कल्याण कार्यों में इस बात का ध्यान रखते हैं कि कमजोर से कमजोर लोगों को भी फायदा पहुँचे।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Are the government aware that the economic condition of the scheduled castes is very low and some communal institutions pretending to uplift them convert them forcibly. For example, out of 15 thousands in Nicobar 13 thousands have been converted. Will government prevent their conversion by removing their poverty.

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग प्रश्न है।

Shri Jadaev Singh Siddhanti : All this happens due to their adverse economic conditions. They are being converted and hence I have raised this question.

Shri Bade : Their financial condition is very weak and the question for their development is raised.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि अपनी असहाय अवस्था के कारण वे दूसरे धर्मों द्वारा धर्म परिवर्तन के शिकार होते हैं, क्या सरकार इस प्रकार के धर्मपरिवर्तन को रोकेगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : प्रश्न के मुख्य उत्तरांश में मैंने बताया कि हम आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगो के लिये और अधिक कार्यक्रम हाथ में ले रहे हैं। जहां तक स्वयं सेवी संगठनों को हमारी सहायता का सम्बन्ध है, मेरे पास जो सूची है उसमें किसी ऐसे संगठन का जिक्र नहीं है जिसने सहायता प्राप्त कर इतनी बड़ी संख्या में धर्मपरिवर्तन कराया हो।

Shri Ganpati Ram : Is government aware that after the review of third Five Year Plan and according to the report of Scheduled Castes Commissioner this fact has been establishedt hat during three preceding Five Year Plans Scheduled Castes and Scheduled Tribes could not be benefitted to the extent to which it was expected ? Is some special programme being chalked out for economic, Social and educational development of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Fourth Five Year Plan so as to compensate them for the preceding three plans ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह कहना ठीक नहीं है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं से अनुसूचित जातियों को कोई फायदा नहीं पहुंचा। हमारा अनुभव है कि 89 से 90 प्रतिशत नियत धन-राशि का उपयोग हुआ है।

जहां तक विशेष कार्यक्रमों का प्रश्न है, हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था करने का विचार कर रहे हैं।

श्री जयपाल सिंह : क्या वे सभी स्वयं सेवी संगठन जिन्हें सरकारी सहायता मिलती है मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत हैं? यह देखने के लिये क्या व्यवस्था है कि सहायता में दिये जाने वाले धन का उचित उपयोग हो ? क्या वे भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में आते हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : वे भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। किन्तु हमारे द्वारा जिन संगठनों को सहायता दी जाती है उनकी समिति में हमारा एक सदस्य होता है तथा उनको हर छः माही में एक बार जांचे हुये लेखे भेजने पड़ते हैं। जब तक वे उपयोगों के प्रमाणपत्र नहीं भेजते, उनको आगे अनुदान नहीं मिल सकते।

Shri Sheo Narain : Mr Speaker, Sir, there are graduates and even post-graduates who are without jobs. There is a person in Lucknow who is first class M.Sc., but even he has not been able to get any job. May I know the extent up to which the quota reserved for us is being fulfilled ? The person referred to above who is first class M. Sc. is not my relative but he belongs to U. P. He met Government officials there but without any results. This I have said because Shri Raghunath Singh said that they had got the jobs.

Shri Raghunath Singh : I have never said like that.

Shrimati Sahodra Bai Rai : As my friend, Shri Raghunath Singh has pointedl out, it is a fact that 80 percent are not getting their share of aid. I have travelled all over India and found that a very few people are getting their share of aid, whereas alt others are deprived of this benefit. Those **harijans** who are residing in villages are no getting any benefit; there has been no progress there and no attention is being paid towards them....

Mr. Speaker. She may now resume her seat.

Shrimati Sahodra Bai Rai : I am therefore to enquire from the hon. Minister whether this benefit will be given to all or only to a few people.

Mr. Speaker · You have heard the request she wanted to make. Now you please give the reply.

श्रीमती चन्द्रशेखर : क्या मैं इसका अंग्रेजी में अनुवाद करा सकती हूँ ?

अध्यक्ष महोदय : पहले भाग में केवल एक सुझाव तथा निवेदन है। दूसरे भाग में वह कुछ जानना चाहती हैं और मैं वास्तव में समझ नहीं सका हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। यदि उपमन्त्री महोदय प्रश्न समझ गई हैं तो वह उत्तर दें।

श्रीमती चन्द्रशेखर : हम ऐसा करते हैं कि.....

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न वही है जो पहले श्री रघुनाथ सिंह द्वारा पूछा गया था। कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको सहायता नहीं मिल रही है और माननीय सदस्य जानना चाहती हैं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी जातियों को साम्यिक रूप से सहायता मिले।

कलकत्ता में साफ किये हुए जल का सम्भरण

* 95. **श्री च० का० भट्टाचार्य** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता में साफ किये हुये जल के सम्भरण को बढ़ती हुई समस्या की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने कलकत्ता निगम को कुछ सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ताकि वह अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों में 450 गैलन की क्षमता वाले 60 जलाशय स्थापित कर सके ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी, हाँ।

(ख) ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई हैं।

श्री च० का० भट्टाचार्य : जल-सम्भरण सम्बन्धी स्थायी समिति के सभापति ने 24 मई को कहा था कि इन 60 जलाशयों को अगले दस दिनों में स्थापित कर दिया जायेगा। क्या मन्त्री

महोदय यह बता सकते हैं कि क्या ये 60 अथवा उन में से कुछ जलाशय स्थापित कर दिये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : हम 60 जलाशयों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। परन्तु मैं इतना अवश्य कहूँगी कि राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता के लिये कहा है और जल-सम्भरण तथा गैस-सम्भरण के लिये कलकत्ता निगम को अब तक 101.39 लाख रुपये का ऋण दिया जा चुका है। वे 15.12 लाख रुपये की और राशि चाहते हैं और मुझे खुशी है कि वित्त मन्त्रालय ने इसे भी देना स्वीकार कर लिया है।

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या माननीय मन्त्री यह जानते हैं कि कलकत्ता तथा आस-पास की नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में पीने के पानी की बहुत कमी है ?

डा० सुशीला नायर : जी हाँ; इन योजनाओं में डम डम उत्तर, डम डम दक्षिण, हुगली तथा चिनसुरा नगरपालिकाओं के लिये चार जल-सम्भरण योजनायें भी शामिल हैं।

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि कलकत्ता नगर में साफ किये हुए जल का सम्भरण करने के लिये वित्त मन्त्रालय ने पहले ही धन की मंजूरी दे दी है। क्या भारत सरकार के पास यह पता लगाने की कोई व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इन कार्यों के लिये दिये जाने वाले धन को कैसे खर्च किया जाता है ?

डा० सुशीला नायर : यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का, जो केन्द्रीय सरकार की ओर से निगम को ऋण देती है, कार्य है कि यह धन उसी कार्य पर खर्च किया जाय जिसके लिये इसकी मंजूरी दी गई है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं स्वास्थ्य मन्त्री की कठिनाई को समझता हूँ कि इस समस्या के बारे में उनके पास ब्योरेवार जानकारी नहीं है। परन्तु कलकत्ता नगर तथा इसके आस पास के क्षेत्रों के महत्व को, जिसको योजना मन्त्री ने हाल में स्वयं स्वीकार किया है, ध्यान में रखते हुए वहाँ पर जल-सम्भरण सम्बन्धी योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? क्या इस बारे में कुछ किया जा रहा है ? क्या सरकार इस समस्या का हल निकालने के लिए एक समन्वित ढंग से कार्य कर रही है ?

डा० सुशीला नायर : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि सी० एम० पी० ओ० की स्थापना इसी प्रयोजन के लिये की गई थी और महा-कलकत्ता के विकास के लिये 20 करोड़ रुपये अलग रखे गये थे। इसके अलावा माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित योजना को जल्दी पूरा करने के लिये राज्य सरकार को 101 लाख रुपये की राशि और दी गई है जो राज्य की योजना में शामिल नहीं है।

अमरीकी दूतावास द्वारा पी० एल० 480 निधि से खर्च किया गया धन

* 96. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
श्री नम्बियार :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री कोल्ला वकया :

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री रिशांग किशिंग :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० 480 प्रतिरूप निधि की कुल कितनी राशि भारत स्थित अमरीकी दूतावास के पास अब तक जमा हो गयी है;

(ख) अमरीकी दूतावास ने इस राशि में से भारत के रिजर्व बैंक से कितना धन निकाला है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की कोई जाँच की है कि यह धन किस प्रयोजन के लिये निकाला गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें यह सूचना दी गयी है।

[**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 6526/66]

(ग) और (घ) जिन प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न रकमें ली गयी थीं वे भी इसी विवरण में बताये गये हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पी० एल० 480 प्रतिरूप निधि की कुल राशि 31 मार्च, 1966 तक 1370.10 करोड़ रुपये बताई गई है। मैं प्रकल्पना करता हूं कि यह जोड़ रुपया-डालर की पुरानी दर से लगाया गया है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह पुरानी दर से ही होगा क्योंकि यह 31 मार्च, 1966 तक है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस रकम में से 44.75 करोड़ रुपये की राशि भारत में भारत-अमरीकी संयुक्त प्रतिष्ठानों को (कूले) ऋणों के रूप में दी गई बताई गई है। क्या यह कूले ऋणों को अन्य पी० एल० 480-समझौतों में शामिल नहीं किया गया था, जैसा कि युगोस्लाविया के मालले में, तथा क्या हम इस समझौते से बाहर निकल सकते हैं और यह सारी राशि लेकर अपने सरकारी क्षेत्र में लगा सकते हैं ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि युगोस्लाविया से किये गये समझौते के अन्तर्गत मंजूर किये गये ऋणों में क्या शामिल किया गया है और क्या नहीं शामिल किया गया है। अतः मैं प्रश्न के इस भाग का उत्तर नहीं दे सकता हूँ। दूसरे भाग का उत्तर यह है कि सरकार ने इस समझौते से बाहर निकलने तथा संयुक्त राज्य सरकार से यह कहने की बात पर विचार नहीं किया है कि वह हमें इस रकम को सरकारी क्षेत्र में लगाने दें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इन कूले ऋणों, संयुक्त राज्य अमरीका के दूतावास का कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों पर किये जाने वाले खर्च तथा अन्य कार्यक्रमों पर किये जाने वाले खर्च के

सम्बन्ध में क्या भारत सरकार का इसमें कोई हाथ है कि अमरीका की सरकार यह रकम किस कम्पनी को अथवा किस कार्यक्रम के लिये देगी ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जैसा कि महिला-सदस्य जानती हैं, यह ऋण एक समझौते के अन्तर्गत अभिशासित होते हैं जिसे अमरीका में एक अधिनियमन पब्लिक लॉ 480 में शामिल किया जाता है। जहां तक इन रकमों का सम्बन्ध है, कुछ मामलों में भारत सरकार का हाथ होता है परन्तु एक परम्परा के रूप में तथा वास्तव में भारत सरकार की सभी मामलों में सलाह ली जाती है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैंने विशेष रूप से कूले ऋणों और कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये खर्च तथा संयुक्त राज्य अमरीका के दूतावास के अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाले खर्च के बारे में पूछा है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इन दो लेखों के अन्तर्गत मामलों में भारत सरकार का कोई हाथ है कि यह रकम किन उद्योगों अथवा किन कार्यक्रमों के लिये दी जायगी ? क्या कभी मतभेद के भी कोई मामले हुए हैं कि यह रकम प्रस्तावित रूप में नहीं दी जानी चाहिये परन्तु यह किसी और रूप में दी जानी चाहिये अथवा किसी अन्य पक्ष को दी जाय।

श्री शचीन्द्र चौधरी : जैसा कि मैंने अभी बताया कि पी० एल० 480 समझौते के अन्तर्गत भारत सरकार को भी कार्यवाही करनी पड़ती है। यदि माननीय सदस्य यह चाहती हैं, कि मैं पी० एल० 480 के उपबन्धों को पढ़ के सुनाऊं तो मैं उन्हें पढ़ सकता हूँ। परन्तु उस के अन्तर्गत मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि रकम देने के मामले में भारत सरकार की सलाह ली जाती है। जहां तक मुझे पता है अभी तक मतभेद का कोई मामला नहीं हुआ है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ वह बिल्कुल सही न हो, मैं इस मामले की छानबीन कर सकता हूँ।

श्री नम्बियार : इस बात के अलावा कि भारत में अमरीका के दूतावास ने 93.53 करोड़ रुपये पहले ही खर्च कर लिये हैं, 298.47 करोड़ रुपये की एक और राशि है जो भारत में खर्च की जानी है। क्या यह हमारे देश के हित में है कि एक विदेशी दूतावास को इस देश में इतनी अधिक राशि खर्च करने दी जाय जिससे निश्चय ही इस देश के आन्तरिक राजनैतिक कार्यों में हस्तक्षेप किया जायेगा ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : इस प्रश्न द्वारा मेरी व्यक्तिगत राय जानी जा रही है। मैं उत्तर तो दे सकता हूँ परन्तु मैं अपनी राय नहीं दे सकता हूँ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह प्रश्न एक तथ्य के बारे में है जिसको माननीय सदस्य स्पष्ट कराना चाहते हैं क्या यह देश के हित में है कि एक विदेशी अभिकरण को इतनी अधिक राशि यहाँ खर्च करने दी जाय।

श्री नम्बियार : जो कुछ मैंने कहा है वह विवरण से ही लिया गया है। 298.47 करोड़ रुपये अमरीका के दूतावास द्वारा भारत में खर्च करने के लिये अलग से रखे गये हैं। प्रश्न यह है कि क्या दूतावास को यहाँ पर इतनी अधिक राशि खर्च करने दी जानी हमारे देश के हित

में है और क्या इससे हमारे आन्तरिक राजनैतिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। यह मेरा प्रश्न है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मुझे खेद है कि मुझे वही उत्तर दोहराना पड़ रहा है। मैं इस बात को तो मानता हूँ कि इतनी अधिक राशि रख दी गई है। यह जो इतनी अधिक राशि है उसे पी० एल० 480 समझौते के अन्तर्गत खर्च किया जाना है जिसमें ऐसे क्षेत्र दिये गये हैं जहाँ उन्हें एक निश्चित ढंग से इसे खर्च करना पड़ता है। यह तो अपनी अपनी राय है कि इस राशि के खर्च किये जाने से राजनैतिक रूप से हमारे पर कोई प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.

चौथी पंचवर्षीय योजना

* 97. **श्री सेझियान :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री नाथ पाई :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राममनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री विभूत मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती बिमला देवी :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री वासप्पा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कोल्ला बैंकैया :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री मोहन स्वरूप :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री पे० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री काजरोलकर :

श्री हेम राज :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री ह० च० सोय :
श्री राम हरख यादव :
श्री रा० बरुआ :
श्री गुलशन :
श्री दलजीत सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री बृजवासी लाल :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में हाल में परिवर्तन किये गये हैं; अ र

(ख) यदि हाँ, तो पुनरीक्षित प्रारूप की, विशेषत: (1) कुल परिव्यय (2) योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं (3) आन्तरिक तथा वाह्य, दोनों ही संसाधनों के जुटाने तथा (4) सरकारी क्षेत्र के कार्य के सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा का मसौदा तैयार किया जा रहा है और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा इस पर विचार करने के बाद इसे संसद् के आगामी सत्र में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें

* 58 श्रीमती विमला देवी :
श्री वारियर :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

श्री राम सेवक यादव :क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि : ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) :

डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों ने अच्छे वेतन मान और भत्ते देने का प्रस्ताव करना, नि:शुल्क आवास अथवा किराया भत्ता देने की व्यवस्था करना, सेवा-निवृत्त चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति करना, मेडिकल कालिजों की संख्या बढ़ाना आदि जैसे अनेक कदम उठाये हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों / प्रशासनों द्वारा बरते गये उपायों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6527/27]

दिल्ली में जल की कमी

* . श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री द्वारका दास मंत्री :

श्री किशन पटनायक : **श्री यशपाल सिंह :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री मधु लिमये : **श्री बृजराज सिंह :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली की कुछ बस्तियों में जल की भारी कमी है;

(ख) यदि हाँ तो राजधानी में जल सप्लाई करने की व्यवस्था में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इस समस्या का हमेशा के लिये हल करने के उद्देश्य से कोई दीर्घकालीन योजना बनाई गई है।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली की कतिपय बस्तियों में जो जल वितरण प्रणाली के आखिरी छोर पर बसी हुई हैं और जहाँ से शुरू शुरू में छोटे वितरण नल दिये गये थे ग्रीष्म काल में पानी का दबाव कम रहा है।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी—6528/66]

राज्यों में पीने के पानी की सप्लाई

* 100 **श्री श्रीनारायण दास :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की स्थायी व्यवस्था करना विभिन्न राज्य सरकारों के लिये कहाँ तक संभव हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इस व्यवस्था का क्या परिणाम रहा;

(ग) देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्या इस प्रश्न पर विशेष ध्यान दिया जायेगा; और

(घ) यदि हाँ, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये किस प्रकार की और कहाँ तक कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशील नायर) :

(क) और (ख) एक विवरण (विवरण संख्या 1) सभा पटल पर रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी—6529/66]

(ग) जी हाँ ।

(घ) एक दूसरा विवरण (विवरण संख्या 2) सभा पटल पर रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी—6530/66]

दिल्ली के वृहत् योजना

* 101, **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामसेवक यादव :
श्री मधु लिमये :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली सम्बन्धी वृहत् योजना में कुछ संशोधनों के लिये सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसने किन-किन संशोधनों का सुझाव दिया है; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मन्त्री, निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्रालय (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) दिल्ली प्रशासन ने मास्टर प्लान में कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है।

(ख) और (ग): दिल्ली के मास्टर प्लान में प्रस्तावित परिवर्तन सभा पटल पर रखे विवरण में दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—6531/66] दिल्ली डवलपमेंट आथरटी को सलाह दी गयी है कि वे दिल्ली डवलपमेंट एक्ट 1957 की व्यवस्था के अनुसार जनता की आपत्तियों / सुझावों को आमंत्रित करने के लिए इन परिवर्तनों को प्रकाशित करा दें।

Statues of Leaders

* **102. Shri Kindar Lal :**
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Raghu Nath Singh:
Shri Linga Reddy:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Bagri:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Madhu Limaye :
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Deevlopment** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3470 on the 7th April, 1966 and state:

(a) whether Government have since taken a final decision in regard to the installation of statues of leaders;

(b) if so, the result thereof; and

(c) if not, the time by which a final decision is likely to be taken?

Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) :

(a) to (c) : The matter is still under the consideration of Government.

केन्द्र द्वारा प्रायोजित सिंचाई परियोजनायें

* 103. श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री वारियर :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री वासप्पा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री 12 मई,1966 के तारांकित प्रश्न सं० 1644 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित केन्द्र द्वारा प्रायोजित सिंचाई परियोजनाओं के बारे में क्या कोई इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनके बारे में क्या निर्णय किया गया है;

(ग) किन राज्यों ने योजनाओं को प्रायोजित किया है; और

(घ) कौन-कौन सी योजनायें प्रायोजित की गई हैं, उन पर कितना अनुमानित व्यय होगा, कितनी भूमि में सिंचाई होगी तथा कितनी बिजली तैयार होगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्ण नियंत्रण आदेश

* 104. श्री नम्बियार :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री कोल्ला बेकैया :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री नाथपाई :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नवल प्रभाकर :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री सेझियान :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० चं० बरुआ
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री वे० व० पुरी
डा० श्रीनिवासन
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री अचल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री लिंग रेड्डी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

श्री रामसेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री महेश्वर नायक :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री रामपुरे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार स्वर्ण नियंत्रण आदेश को वापस लेने का है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से और किस प्रकार ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) स्वर्ण नियंत्रण के पूरे सवाल की इस समय इस उद्देश्य से दुबारा जांच की जा रही है कि क्या इस कानून को बनाये रखने, समाप्त करने अथवा इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

(ख) ऊपर (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

Construction of Western Kosi Main Canae

+

* 105. **Shri Lahtan Chaudhry :** **Shrimati Jayaben Shah :**
Shri Shree Narayan Das :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether an agreement has been signed with the Government of Nepal for the construction of Western Kosi Main Canal ;

(b) if so, the main terms thereof and the progress since made in the construction works; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Minister For Irrigation And Power (Shri Fakhruddin Ahmed) :

(a) : No, Sir.

(b) : Does not arise.

(c) : The draft agreement is being considered.

कलकत्ता में विमानों तथा मोटरगाड़ियों के पुर्जों का पकड़ा जाना

* 106 श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम हरख यादव :
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क अधिकारियों ने हाल ही में कलकत्ता में एक फर्म पर छापा मारा और भारी मात्रा में विमानों तथा मोटर गाड़ियों के आयातित पुर्जे पकड़े ;

(ख) यदि हां, तो जिस फर्म पर छापा मारा गया उसका क्या नाम है ;

(ग) पकड़े गये माल का मूल्य क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि इस फर्म द्वारा आयात किये गये इस सामान के बारे में सीमा-शुल्क विभाग को सूचित नहीं किया गया था ; और

(ङ) आयात नियंत्रण के उल्लंघन के लिये और उससे सम्बन्धित अन्य अनियमितताओं के लिये इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) सीमा-शुल्क अधिकारियों ने मई, 1966 में कलकत्ते की एक फर्म पर छापा मारा और मोटर कार के कुछ पुर्जे पकड़े । हवाई जहाजों के कोई पुर्जे नहीं पकड़े गये ।

(ख) मेसर्स एम० डब्लू० के० इंटरनेशनल लिमिटेड, निगमित, कलकत्ता-16

(ग) पकड़े गये माल की कीमत लगभग 6,000 रुपये हैं ।

(घ) पकड़ा गया कुछ माल सीमा-शुल्क अधिकारियों को घोषित नहीं किया गया था और कुछ माल गलत घोषित किया गया है ।

(ङ) आयात व्यापार नियंत्रण विनियम और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के सम्बन्धित उपबन्धों के उल्लंघन के सम्बन्ध में अब तक चार 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये जा चुके हैं ।

विदेशी मुद्रा की स्थिति

* 107. **डा० राम मनोहर लोहिया** :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष बजट पेश किये जाने के बाद से विदेशी मुद्रा की स्थिति में कोई सुधार हुआ है; और

(ख) विदेशी मुद्रा की स्थिति को सुधारने अथवा इसको और बिगड़ने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) स्थिति को सुधारने के लिये जो कदम उठाये गए हैं उनका वर्णन 25 जुलाई को संसद में प्रस्तुत किये गए आर्थिक समीक्षा के परिशिष्ट में किया गया है । संक्षेप में वे इस प्रकार हैं :—

(1) 6 अप्रैल, 1966 को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा निधि से 1875 लाख डालर की निकासी;

(2) अवमूल्यन ;

(3) कृषि और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के उपाय, ताकि कृषि पदार्थों के आयात में कमी की जा सके और निर्यात व्यापार को सहायता मिले ।

ग्रामवासियों तथा नगरवासियों की आय में विषमता

* 108. **श्री मधु लिमये :** **श्री बागड़ी :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री किशन पटनायक :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री 5 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1487 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि 15 वर्ष के योजनाबद्ध विकास से ग्रामवासियों तथा नगरवासियों की आय सम्बन्धी विषमता में कोई निश्चित कमी हुई है अथवा नहीं ;

(ख) क्या सरकार ने इस विषमता में हुई कमी अथवा वृद्धि के परिमाण का कोई अनुमान लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

(क), से (ग) : 5 मई, 1966 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1487 का जो उत्तर दिया गया है, सरकार को उससे अधिक कुछ नहीं कहना है ।

दिल्ली में बिजली की कमी

*109. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिजली की कमी की समस्या हल हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कहां तक, और

(ग) यदि नहीं, तो इस समस्या को सरकार का किस प्रकार हल करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) से (ग) : यद्यपि गोबिन्द सागर जलाशय में पानी की कमी के कारण नवम्बर, 1965 से जून, 1966 तक पंजाब से बिजली की सप्लाई की मात्रा में उत्तरोत्तर कमी हो गई थी, दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम ने अपने पुराने डीज़ल सैटों को चला कर और उत्तर प्रदेश प्रणाली से लगभग 3 मैगावाट बिजली प्राप्त करके इस कमी को पूरा कर लिया था । इन उपायों के अपनाने से उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली में कटौती की

आवश्यकता कम हो गई । भाखड़ा दक्षिण तट बिजली घर के पहले यूनिट के चालू होने के पश्चात् और भाखड़ा जलाशय स्तर के बढ़ जाने से पंजाब प्रणाली से होने वाली बिजली सप्लाई की स्थिति अब सुधर गई है और दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम अपनी आवश्यकताओं को उस प्रणाली से पूरा कर रहा है और उन्होंने अपने पुराने डीजल सैटों से बिजली उत्पादन में कमी कर दी है । जब भी अन्य तीन बिजली उत्पादन सेट चालू हो जाएंगे, भाखड़ा दक्षिण तट बिजली घर से दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम को 40 मैगावाट के अपने भाग का बाकी हिस्सा भी उपलब्ध हो जाएगा । दिल्ली क्षेत्र में दिन प्रति दिन बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली में एक और तापीय केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम ने हाल ही में 15 मैगावाट का एक सेट भी चालू किया है । इन्द्रप्रस्थ ताप बिजली घर में 62.5-62.5 मैगावाट के तीन सेट और लगाए जा रहे हैं ।

Adivasi Areas

*** 110 Shri Bibhuti Mishra : Shri K. N. Tiwary :**

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have formulated some new schemes for implementation during the Fourth Five Year Plan for various Adivasi areas in the country :

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) how far the Adivasis have welcomed the schemes ?

Deputy Minister in the Department Of Social Welfare (Smt. Chandrasekhar) :

(a) Yes, Sir

(b) The following schemes are under consideration of the Government of India :-

1. Introduction of area development approach, whereby tribal development blocks and tribal pockets in a district will be grouped into one or more development areas for implementation of specific schemes.

2. Formation of sub-tribal development blocks

3. Provision of suitable assistance for tribals not covered by tribal development blocks.

4. Supplementing current programmes for rehabilitation of tribals displaced by industrial and other projects.

5. Creation of sub-cadres for service in tribal areas.

(c) The reactions of Adivasis will be known only after the schemes are introduced.

कलकत्ता में पकड़ी गई हुंडियां

*** 111. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : श्री नाथपाई :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वित्त** मन्त्री 7 अप्रैल 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1021 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में ली गई तलाशियों में 45 लाख रुपये के आयकर तथा सीमा शुल्क के अपवंचन सम्बन्धी पकड़े गये कागजों की छानबीन कर ली गई है;

(ख) क्या जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है और यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या अथवा कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) जी, हाँ।

(ख) सीमा-शुल्क सम्बन्धी जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है। कम बीजक बनाने के और आयात लाइसेंसों का क्रय-विक्रय करने के कुछ मामलों का पता चला है। आयकर सम्बन्धी जाँच अभी भी चल रही है।

(ग) सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। आयकर सम्बन्धी अब तक की जाँच-पड़ताल के कारण 1954-55 और 1957-58 से 1962-63 तक के वर्षों के कर निर्धारण की कार्यवाही फिर से की जा रही है। आगे जांच-पड़ताल भी चल रही है।

योजनाबद्ध विकास को प्राथमिकता

*112 **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्योगपतियों की ओर से सरकार को बार-बार यह सुझाव दिया गया है कि नये "एककों की स्थापना की अपेक्षा उन वर्तमान एककों को जिनका विस्तार हो रहा है और जो अनुकूलतम आकार के हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये;

(ख) इस सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस सम्बन्ध में प्रशासन को कोई हिदायतें दी गई हैं; और

(ग) सीमेंट, लोहा तथा इस्पात, उर्वरक, वस्त्र और इंजिनियरिंग उद्योगों में वर्तमान कारखानों की क्रमशः कुल उपलब्ध क्षमता कितनी है और उक्त कारखानों द्वारा वास्तव में कुल कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) भारतीय उद्योगपतियों ने सुझाव दिये हैं कि नए एककों की स्थापना की अपेक्षा वर्तमान एककों के अनुकूलतम आकार में विस्तार को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

(ख) सरकार की सामान्य नीति यह रही है कि जहाँ टैक्नोलोजी सम्बन्धी परिस्थितियों को देखते हुए उचित हो और अतिरिक्त क्षमता शीघ्र और थोड़ी पूंजी लगाकर ही प्राप्त की जा सकती हो नए एककों की स्थापना की अपेक्षा वर्तमान एककों के विस्तार को प्राथमिकता दी जाए। लाइसेंस समिति सामान्यतया इस बात का ध्यान रखती है।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी—6532/66]

परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति

* 113. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री 7 अप्रैल 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1037 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या परिणाम निकला है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) और (ख) : परिवहन तथा समन्वय सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर सम्बन्धित मंत्रालयों, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों द्वारा विचार किया गया है। प्रतिवेदन में सड़क परिवहन सम्बन्धी जो सिफारिशें दी गई हैं उन पर हाल में ही परिवहन मंत्रालय द्वारा बुलाये गये सम्मेलन में राज्य परिवहन सचिवों के साथ विचार-विमर्श किया गया। शीघ्र ही प्रतिवेदन को परिवहन सम्बन्धी मंत्री मण्डलीय समिति के सामने प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय आवास बोर्ड

* 114. **श्री वारियर :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बागड़ी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 12 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1931 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास की समस्या को हल करने सम्बन्धी कार्यवाहियों को समन्वित करने के लिए एक केन्द्रीय आवास बोर्ड की स्थापना के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण आवास तथा नगरीय-विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) और (ख) : प्रस्ताव को लगभग दो माह पूर्व योजना आयोग भेज दिया गया था तथा वह उनके विचाराधीन है।

कानपुर के उद्योगपति से आयकर की वसूली

* 115. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** **श्री रघुनाथ सिंह :**

श्री रामेश्वरानन्द :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के एक उद्योगपति के मामले में जिसकी 31 लाख रुपये की आय कर की राशि बट्टे खाते में डाल दी गई थी और आगे जाँच की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या वास्तविक परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) और (ख) जाँच-पड़ताल अभी भी चल रही है ।

अनुसूचित जातियों के सामाजिक कल्याण के लिये कार्यक्रम

* 116. **श्री गुलशन :** **श्रीमती जयाबेन शाह :**

श्री श्रीनारायण दास :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के समाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर विचार करने के लिये मई 1966 में नई दिल्ली में राज्यों के पिछड़े वर्गों तथा समाज कल्याण के प्रभारी मंत्रियों का कोई सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या निर्णय किये गये और क्या सिफारिशें की गई; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :

(क) राज्यों के पिछड़े वर्गों तथा समाज कल्याण के प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन 17 तथा 18 मई, 1966 को नई दिल्ली में हुआ था ।

(ख) तथा (ग) : चतुर्थ योजना के दौरान पिछड़े वर्गों के (अनुसूचित जातियाँ भी शामिल) लिये कल्याण कार्यक्रम तैयार करने के बारे में अपनाई गई नीति तथा प्राथमिकताओं के बारे में राज्यों के मंत्रियों के विचारों की जानकारी उस सम्मेलन में प्राप्त की गई थी । चतुर्थ योजना को अन्तिम रूप देते समय इन विचारों को ध्यान में रखा जायेगा ।

Deposits of Foreign Missions In Indian Banks

*** 117. Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the total amount deposited in the Indian banks by Foreign Missions in India so far ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat) :

Rs. 26.21 crores as on 31st March , 1965.

सहकारी ऋण समितियां

* 118. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग ने निर्णय किया है कि वे सभी ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों और नगरीय सहकारी बैंक जिनका प्रदत्त पूंजी (पेड अप कैपिटल) और रक्षित भंडार (रिजर्व) एक लाख रुपया या इससे अधिक है यदि वे अपने सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से धन (डिपाजिट) लेते हैं, बैंकिंग समवाय अधिनियमों के अन्तर्गत आयेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) बैंकिंग-विधि (सहकारी समितियों पर प्रयोग) अधिनियम, 1965 के अधीन, जो पहली मार्च, 1966 से लागू हुआ है, बैंकिंग समवाय अधिनियम, 1949, के महत्वपूर्ण उपबन्ध ऐसे सहकारी बैंकों पर लागू हो गये हैं जिनका उल्लेख प्रश्न में किया गया है ।

(ख) चूंकि हाल में सहकारी बैंकों की संख्या तेजी से बढ़ी है और इस समय उनके पास जनता का बहुत-सा रुपया जमा है और चूंकि अब ये बैंक न केवल कृषि के लिए, बल्कि वाणिज्य और व्यापार के लिए भी धन की व्यवस्था करते हैं, इसलिए सरकार की मुद्रा और ऋण सम्बन्धी नीति को प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने के लिए इन बैंकों को रिजर्व बैंक के नियंत्रण में लाना आवश्यक समझा गया । इन बैंकों को जमा रकम सम्बन्धी बीमे की सुविधा दिये जाने से पहले भी यह कदम जरूरी था ।

ऋण नीति

* 119. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** **श्री जसवन्त मेहता :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख उद्योग क्षेत्र, बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उदार ऋण नीति बरतने की मांग कर रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और इस बारे में यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है; तो क्या ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत):

(क) जी, हाँ

(ख) सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा ऋण नीति की बराबर जांच की जाती है और उद्योगों की उचित जरूरतों का ध्यान रखा जाता है ।

Threat Of Cholera Epidemic in the Country.

* 120. **Shri Mohan Swarup :** **Shri D. C. Sharma :**
Shrimati Savitri Nigam : **Shri Vasudevan Nair :**
Shrimati Vimla Devi : **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri M. K. Kumaran : **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Baswant : **Shri Madhu Limaye :**
Shri Vishwa Nath Pandey : **Shri P. C. Borooah :**

Shri Ram Harkh Yadav :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a great possibility of cholera epidemic in the various parts of the country during this year;

(b) if so, the preventive measures being taken by Government in this regard; and

(c) the expenditure likely to be incurred thereon ?

Minister Of Health And Family Planning (Dr. Sushila Nayar) :

(a) Yes, Sir. On the basis of review of cyclic behaviour of cholera during the last 64 years, cholera is expected to occur in epidemic form in 1967-68. An increase in the incidence of cholera during 1966 is feared because of the recent introduction of the new strain called 'El Tor' in the country.

(b) The measures adopted to control the outbreak of cholera in the country are enumerated in the statement which is laid on the table of the Sabha.

[Placed in the Library See NO. LT-6533/66]

(c) A provision of Rs. 11.0 lakhs for the control of cholera and Rs.2200.0 lakhs for Rural and Urban Water Supply drainage has been made in the Budget for this year.

Malaria Control in Delhi.

456. Shri Naval Prabhakar :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the details of the measures taken to control Malaria in Delhi during 1965-66; and

(b) the amount incurred thereon ?

Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) :

(a) During the year 1965-66, 2.00 units were functioning in Delhi under the National Malaria Eradication Programme, out of which 1.00 unit has since entered into the maintenance phase with effect from the 1st March, 1966. The other unit continues functioning in consolidation phase. The measures taken to control malaria in Delhi during 1965-66 include:

(i) detection of fever cases though house to house fortnightly visit by the National Malaria Eradication Programe organisation;

(ii) detection of fever cases through the Medical institutions;

(iii) collection of blood smears from all fever cases and their microscopic examination to detect malaria positive cases;

(iv) administration of presumptive treatment to all fever cases and radical treatment of malaria parasite positive case with suitable anti-malarial drugs.

(v) mass blood survey and focal spray with insecticides where positive cases were detected. Insecticidal spray operations in the project areas, riverain belt and other vulnerable areas;

(vi) anti-larval measures to control mosquito breeding throughout the year;

(vii) Vigilance by a checking squad to detect any lapses and deficiencies in anti-larval measures.

(b) An expenditure of Rs.15,86,828/- was incurred under the National Malaria Eradication Programme in Delhi during 1965-66. In addition to this the

Municipal Corporation of Delhi incurred an expenditure of Rs. 11,37,466/- on the anti-mosquito measures.

केरल में जल तथा पुलिस कर्मचारियों के वेतन क्रम

457 **श्री अ० क० गोपालन** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में जेल कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों के जिन वेतन-क्रमों की सिफारिश की गई थी उनके बारे में वेतन आयोग के प्रतिवेदन में विषमता का सरकार को पता लगा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) जेल विभाग और पुलिस विभाग में एक ही श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनक्रमों में कितना अन्तर है;

(घ) क्या यह सच है कि सहकार विभाग के लेखापरीक्षकों और निरीक्षकों ने भी वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में विरोध प्रकट किया है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके उपचार के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क), (ख) और (ग) : केरल राज्य वेतन आयोग, 1965 ने जेल के मुख्य वार्डर के लिए 95-110 रुपये और पुलिस के मुख्य सिपाही (हेड कान्स्टेबल) के लिए 95-120 रुपये के वेतन-मान की सिफारिश की थी। केरल सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

(घ): जी हाँ।

(ङ) और (च): चूंकि ये वेतन-मान मद्रास राज्य के वेतन-मानों से ऊँचे हैं, इसलिए इनमें और अधिक संशोधन न करने का फैसला किया गया है।

शोरानूर जल संभरण योजना

458. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने शोरानूर जल संभरण योजना मन्जूर करने का आदेश अंतिम रूप से जारी कर दिये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क) जी हाँ। संशोधित योजना 1 फरवरी 1966 को मन्जूर की गई थी।

(ख) इस योजना की अनुमानित लागत 8.13 लाख रुपये हैं।

(ग) इस योजना के चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जाने की संभावना है।

कोराट्टी गवर्नमेंट प्रेस

459. **श्री इम्बीचीबावा :** **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोराट्टी गवर्नमेंट प्रेस में मशीनें लगा दी गई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि मशीनें चलाने वाले व्यक्ति न मिलने के कारण यह प्रेस काम नहीं कर रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो प्रेस के लिए मशीनें चलाने वाले लोगों की व्यवस्था करने में देरी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रेस में कब काम आरम्भ हो जाएगा ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना):

(क) जी हाँ, आंशिक रूप में।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त उत्तर के भाग (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सितम्बर 1966 तक, बशर्ते कि केरल स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के द्वारा बिजली की सप्लाई की व्यवस्था उस समय तक हो जाये।

भेंट स्वरूप सामान के पार्सल (बैगेज गिफ्ट पार्सल)

460. **श्री राम हरख यादव :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेंट स्वरूप सामान के पार्सलों पर लागू होने वाली शुल्क रियायतों के सम्बन्ध में सरकार ने समुचित समन्जन कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो समन्जित दर का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) और (ख) ऐसा अनुमान है कि इस प्रश्न में, 6 जून, 1966 से रुपये के सम्मूल्य के पुनर्निर्धारण के कारण, सरकार द्वारा असबाब, उपहार के सामान के पार्सलों आदि पर शुल्क में दी जाने वाली रियायत सम्बन्धी परिवर्तन के बारे में सूचना मांगी गई है। यदि ऐसा है तो परिवर्तन का सार नीचे दिये अनुसार है :—

(i) यदि यात्री का विदेश में आवासकाल तीन महीने या उससे कम है तो यात्री (पर्यटक-भिन्न) सामान नियमावली के अन्तर्गत बिना शुल्क दिये सामान की निकासी के लिये नियत वित्तीय सीमा को 500 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया है। तीन महीने के

ऊपर के प्रत्येक पूरे अतिरिक्त महीने के लिए यह सीमा 100 रुपये से बढ़ाकर 160 रुपये कर दी गयी है, परन्तु शर्त यह है कि यह रकम कुल मिलाकर 1600 रुपये से अधिक न हो।

(ii) किसी भी पर्यटक द्वारा, अस्थायी तौर से, बिना सीमा शुल्क अदा किये यात्रा-स्मृति-चिन्ह आयात करने की मूल्य सीमा 500 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दी गई है।

(iii) यात्री (पर्यटक-भिन्न) सामान नियम के अन्तर्गत बिना सीमा शुल्क अदा किये जवाहरात आयात करने की मूल्य सीमा 2000 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये की जा रही है।

(iv) खाद्य पदार्थों के उपहार पार्सलों पर, जिनमें रसद, मिठाइयाँ तथा दवाएँ शामिल हैं (परन्तु शराब व नशीले पेय पदार्थ शामिल नहीं हैं) जिन्हें डाक अथवा हवाई जहाज से आयात किया जाता है, सीमा शुल्क के छूट की मूल्य सीमा 50 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये कर दी गयी है। डाक द्वारा आयात किये जाने वाले अन्य सामान, जैसे उपहार के सामान के पार्सल, के सम्बन्ध में मूल्य सीमा 10 रुपये से बढाकर 40 रुपये कर दी गयी है।

इद्दिकी परियोजना

461. **श्री मे० क० कुमारन :**

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इद्दिकी परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरा करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ तो इस परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करने की दृष्टि से परियोजना के लिये पर्याप्त धन न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) तथा (ख) : चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। योजना के लक्ष्यों और खर्च का पुनरवलोकन किया जा रहा है। इस समय इद्दिकी परियोजना के वस्तुशः कार्यक्रम के बारे में और चौथी योजना के दौरान परियोजना के लिये कितना धन उपलब्ध हो इसके बारे में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

चलियार नदी के पानी का दूषित हो जाना

462. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या बिरला रेयन फैक्टरी, कालीकट द्वारा छोड़ी जाने वाली गन्दगी से चलियार नदी के जल से दूषित हो जाने के रोकने के लिये केरल सरकार इस नदी पर एक बांध बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) इस नदी के जल की स्वच्छता बनाए रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क) और (ख) जी नहीं। तथापि ग्वालियर रेयन्स लिमिटेड, मावूर कालीकट को

स्वच्छ पानी उपलब्ध करने के लिये पानी में खारापन दूर करने का एक यन्त्र लगाने का एक प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ग) (1) राज्य सरकार ने ग्वालियर रेयन पल्प फैक्टरी के प्रबन्धकों को यह निर्देश दे दिये हैं कि वे फैक्टरी के कचरे को नदी में फेंकने से पहले उसे भली प्रकार शुद्ध कर लें।

(2) राज्य सरकार ने स्टेट असिस्टेण्ट डाइरेक्टर आव फिशरीज रिसर्च को निर्देश दे दिये हैं कि वह दूषण के प्रभावों का निर्धारण करने के उद्देश्य से नदी के कतिपय निश्चित स्थानों से नियमित रूप से नदी के पानी की जल वैज्ञानिक दृष्टि से जांच करता रहे तथा यह देखता रहे कि कहीं पानी में बहने वाले जीवाणु आदि तो नहीं हैं।

(3) स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय ने राज्य सरकार को कह दिया है कि वह फैक्टरी अधिनियम अथवा लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही करे।

केरल में पंचायतों का निर्माण-कार्य करने के लिए विशेष लोक निर्माण विभाग

463. **श्री अ० व० राघवन :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायतों के निर्माण-कार्य को करने के लिये एक विशेष लोक निर्माण विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव केरल सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निश्चय किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) और (ख) : केरल सरकार के पास पंचायत विभाग में विशेष लोक निर्माण विभाग अथवा एक अलग से लोक निर्माण खण्ड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केरल राज्य पंचायत के अध्यक्षों की तदर्थ समिति के द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन के साथ साथ केरल सरकार को एक संकल्प की प्रतिलिपि अभी हाल ही में प्राप्त हुई है जिसमें कि अलग से एक इन्जीनियरिंग खण्ड बनाने का अनुरोध है, इसकी परीक्षा की जा रही है।

चलियार नदी में मछलियों का मर जाना

464. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केरल के कोजीकोड जिले में चलियार नदी में अप्रैल-मई, 1966 में काफी बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियाँ तैरती हुई पाई गईं;

(ख) क्या मीन क्षेत्र सहायक निदेशक ने इसका कारण नदी जल में भारी मात्रा में गन्दगी का मौजूद होना बताया है जो बिरला रेयन फैक्टरी द्वारा इस जल में छोड़ी जाती है; और

(ग) नदी जल को दूषित करने के लिये इस फैक्टरी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क) चलियार नदी में 3 और 4 मई 1966 को बड़ी संख्या में मछलियों के मरने की रिपोर्ट मिली है ।

(ख) मछलियों के मरने का कारण ग्वालियर रेयन्स पल्प फैक्टरी द्वारा छोड़ी गई गन्दगी से हुआ जल दूषण बताया गया है ।

(ग) (1) राज्य सरकार द्वारा फैक्टरी के प्रबन्धकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे ऐसा हानिकारक कचरा नदी में सीधा न फेंके बल्कि उसे भली प्रकार से शुद्ध तथा अहानिकारक बना कर फेंके ।

(2) राज्य सरकार ने असिस्टन्ट डाइरेक्टर आव फिशरीज रिसर्च को निर्देश दे दिए हैं कि वह दूषण के प्रभावों का निर्धारण करने के उद्देश्य से नदी के कतिपय निश्चित स्थानों से नियमित रूप से नदी के पानी की जल वैज्ञानिक दृष्टि से जांच करता रहे तथा यह देखता रहे कि कहीं पानी में बहने वाले जीवाणु आदि तो नहीं हैं ।

(3) स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्रालय ने राज्य सरकार से कह दिया है कि वह फैक्टरी अधिनियम अथवा लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही करे ।

केरल में कुट्टियाडी जल विद्युत परियोजना

465. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में उत्तर मालाबार में कुट्टियाडी जल विद्युत परियोजना के लिये अपेक्षित एक 38 टन का जनरेटर पिछले कुछ महीनों से पालोम में बेकार पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) और (ख) : 38 टन का एक पैकेज जिसमें कुट्टियाडी पन बिजली परियोजना के लिये अपेक्षित एक जनित्र था, 23 जनवरी, 1966 को कोचीन बन्दरगाह पर पहुँचा । क्योंकि तब तक कोचीन बन्दरगाह पर 120 टन की घूमने वाली क्रेन चालू नहीं की गयी थी और कोचीन बन्दरगाह पर भारी उठान जहाज घाट की भी मरम्मत हो रही थी, यह आवश्यक हो गया कि जहाज से पैकेज को उतार लिया जाए, ताकि बम्बई के लिए अधिक भारी ढुलाई को रोका जा सके । इसलिए इसको खड़े हुए जहाज पर उतार दिया गया और पालोम ले जाया गया । चूंकि पालोम कुट्टियाडी से ब्राड गाज रेलवे द्वारा जुड़ा हुआ नहीं था इसलिए ज्योंहि कोचीन में 120 टन की घूमने वाली क्रेन का प्रतिष्ठापन हो गया, पैकेज को पालोम से कोचीन वापस लाना पड़ा । वहाँ पैकेज को उतार दिया गया और ब्राड गाज रेलवे वैगन पर रख दिया गया जो कि अब कुट्टियाडी के लिए रास्ते में है ।

अघवाड़ा योजना

466. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की अघवाड़ा नदी समूह से सम्बन्धित परियोजना के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या यह सच है कि इस योजना से लाभान्वित होने वाले लोगों को उन्हें इसका वास्तविक लाभ पहुँचाने से पहले अंशदान देने के लिये बड़ी संख्या में नोटिस जारी किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) (1) जमूरा और अघवाड़ा के संगम से लेकर खिरोई नदी के मुहाने तक न्यू अघवाड़ा नदी के दोनों ओर एक पार्श्व तटबन्ध पूर्ण हो गया है। दोनों ओर तटबन्ध की कुल लम्बाई 34 मील है। स्कीम की अनुमित लागत 74.41 लाख रुपये है। इससे 1.12 लाख एकड़ क्षेत्र लाभान्वित होगा।

(2) खिरोई नदी से खाद निकाल ली गई है और उस खाद को अग्रोपट्टी से लहेरीसराय में एक्भीघाट तक 34½ मील की कुल लम्बाई में दोनों तटों पर बिछा दिया गया है। स्कीम की अनुमित लागत 65.01 लाख रुपये है और इससे 68,500 एकड़ क्षेत्र लाभान्वित होगा।

(3) सर्वारा में अधवाड़ा नदी के ऊपर एक बराज बनाने की स्कीम बिहार सरकार द्वारा तैयार की जा रही है।

(ख) बिहार सरकार अपने जिला अधिकारियों से जानकारी इकट्ठी कर रही है।

अधवाड़ा योजना

467. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अघवाड़ा नदी समूह की नदियों के नाम क्या हैं;

(ख) अघवाड़ा योजना की मुख्य बातें क्या हैं, तथा कमान क्षेत्रों में इन सभी नदियों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा और इस योजना से कितने लोगों को लाभ होगा;

(ग) इस योजना पर कितना व्यय होगा तथा आर्थिक दृष्टि से इस योजना की क्या स्थिति है; और

(घ) इस योजना से लाभान्वित होने वाले लोगों को किस दर से अंशदान देना पड़ेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) नदियों के अघवाड़ा ग्रुप में निम्नलिखित तीन प्रणालियाँ शामिल हैं जो बागमती और वालन नदियों के बीच स्थित हैं :—

(1) अघवाड़ा, जमूरा, सिकाओ, वुडनद, खिरोही प्रणाली,

(2) सिंघी, मर्हा, रातो प्रणाली,

(3) धौस, थोमाने, दरभंगा बागमती प्रणाली।

(ख) 1964 में नियुक्त नदियों के अघवाड़ा ग्रुप में बाढ़ नियन्त्रण की तकनीकी समिति द्वारा सुझाई गई बाढ़ नियन्त्रण स्कीम में निम्नलिखित शामिल है :

(1) पश्चिम में लखनदी और बागमती और उत्तर में मोहिनी नदियों से उमड़ कर किनारों से बाहर आए पानी से 98 वर्गमील क्षेत्र (पूर्व में सिरोही तटबन्ध और पश्चिम में लखनदी द्वारा परिधित) की सुरक्षा के लिए एक तटबन्ध का निर्माण ।

(2) उपर्युक्त क्षेत्र को उत्तर में मोहिनी के वाम तट पर 20 वर्गमील क्षेत्र का दक्षिण खिरोही तटबन्ध और पश्चिम में विद्यमान एक सड़क को प्रयोग में लाकर बचाव करना ।

(3) बुर्हनद को जीवच कमला से मिलाने वाली एक नियामक-मय-व्यपवर्तन नाली के निर्माण द्वारा तथा बुर्हनद के दक्षिण तट पर उठान बंधों का प्रबन्ध करके बुर्हनद । घौस के दक्षिण तट पर 58 वर्ग मील के क्षेत्र का संरक्षण करना ।

उपर्युक्त स्कीम से जिनको लाभ पहुँचेगा उनकी संख्या का ब्यौरा उपलब्ध नहीं ।

(ख) समिति द्वारा निकाली गई स्कीम की अनुमित लागत 3.87 करोड़ रुपये है जिससे 344 रुपये प्रति एकड़ की लागत पर 186 वर्गमील का बचाव होगा । लागत-लाभ अनुपात लगभग 1.80 है । फिर भी स्कीम के लागत-व्यय ब्यौरे को विस्तार पूर्वक अभी निकालना है ।

(ग) अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है ।

Canteens In Military Pay And Accounts Offices

468. **Shri Hukam Chand Kacchavaiya : Shri Raghunath Singh :**
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several private canteens have been functionin g illegally in Military Pay and Accounts offices;

(b) if so, the number of such canteens; and

(c) the names of places where they have been functioning ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) :

(a) No private canteen is functioning illegally in any Defence Accounts Office;

(b) & (c) Do not arise.

Employees In Government Undertakings

469. **Shri Sidheshwar Prasad :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total number of employees and labourers respectively working in the Central Government Undertakings as on the 31st March, 1966;

(b) the difference in service conditions and other facilities provided to them as a result of their being attached to different Ministries; and

(c) the safeguards provided in regard to the interests of State Government employees on deputation to these undertakings?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) :

(a) The total number employed in Government Undertakings, apart from labourers employed by contractors, was 4,04,600 on 31st March, 1965.

(b) Except for top executive posts, posts of Financial Adviser and generally posts carrying pay above Rs. 2,250 (or in some cases, above Rs. 2,500) which are created and filled by or with the approval of Government, all other posts are created and the

relevant conditions of service determined by the Undertakings concerned. The differences in the service conditions at these levels are not related to the Ministries to which the Undertakings are attached but arise out of various other factors viz., the nature of the industry, its location, the stage of construction or development and the pay award, if any, governing the industry concerned.

(c) The State Government employees deputed to the Undertakings are governed by the terms mutually agreed between the State Government and the Undertaking concerned. These normally provide for protection of the conditions of service in the parent Government of the employee.

Rita Biscuit Factory, Patiala

470. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Raghunath Singh :**

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the building of M/S. Rita Biscuit Factory, Patiala, is being constructed illegally ;

(b) whether it is also a fact that the officers and Ministers of Punjab Government and also some persons of the Centre have a hand in this construction; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

Minister of Works, Housing And Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) :

(a) to (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Persons employed at Ashoka Hotel

471. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Raghunath Singh :**

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Electrician in the Ashoka Hotel died while on duty on the 11th April, 1966;

(b) whether this matter was probed into ;

(c) if so, the result of the enquiry; and

(d) the pension and other financial aid given by Government to his family ?

Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) :

(a) and (b) : Yes.

(c) and (d) : The result of the enquiry is awaited from the Delhi Administration. The details of gratuity and other aid given to the family of the deceased are as follows :-

(i) Gratuity amounting to Rs. 210/- and compensation for leave due Rs. 340.75 have been paid to the wife of the deceased;

(ii) A sum of Rs. 6,000/- has been paid by the Management to the Commissioner appointed under the Workmen's Compensation Act for disbursement to the dependents of the deceased ;

(iii) The Board of Directors of the Hotel have sanctioned an **ex gratia** payment of Rs 1,000/- to the deceased ;

(iv) The Employees Provident Fund Commissioner has been advised by the management to pay the amount at the credit of the deceased to his nominees ;

(v) All expenses in connection with his cremation as well as other religious rites were met by the Hotel.

Besides this, the officers and staff of the Hotel collected a sum of Rs. 1,052/- on a voluntary basis for payment to the family of the deceased.

चलियार नदी के पानी का दूषित होना

472. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह है कि केरल में कोजिकोड़ जिले में चलियार नदी के पानी के दूषित हो जाने के कारण प्रतिदिन ताजी मछलियाँ मर रही हैं; और

(ख) इस क्षति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क) ग्वालियर रेयन्स पल्प फैक्टरी द्वारा छोड़ी गई गन्दगी से हुए जल दूषण के फलस्वरूप चलियार नदी में 3 और 4 मई 1966 को बड़ी संख्या में मछलियों के मरने की रिपोर्ट मिली है ।

(ख) (1) राज्य सरकार ने उसके प्रबन्धकों को निदेश दे दिये हैं कि वे नदी में ऐसी हानिकारक गन्दगी सीधा न फेंके अपितु उसको पहले भली प्रकार शुद्ध कर लें ताकि वह अहानिकर हो जाये ।

(2) राज्य सरकार ने असिस्टेण्ट डाइरेक्टर आव फिशरीज रिसर्च को निर्देश दे दिए हैं कि वह दूषण के प्रभावों का निर्धारण करने के उद्देश्य से नदी के कतिपय निश्चित स्थानों से नियमित रूप से नदी के पानी की जल वैज्ञानिक दृष्टि से जाँच करता रहे तथा यह देखता रहे कि कहीं पानी में बहने वाले जीवाणु आदि तो नहीं हैं ।

(3) स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्रालय ने राज्य सरकार से कह दिया है कि वह फैक्टरी अधिनियम अथवा लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही करें ।

अमरीकी दूतावास द्वारा पी० एल० 480 निधि से खर्च किया गया धन

* 473. **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नम्बियार :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
डा० रानेन सेन :
श्री राम सेवक यादव :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में हुये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में 22 मई, 1966 को भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के इस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान

दिलाया गया है कि अमरीकी दूतावास के प्रयोग के लिये नियत पी० एल० 480 निधि में से बहुत सा धन दूतावास ने खर्च कर लिया है जिसे किसी लेखे में नहीं दिखाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जी, हां

(ख) स्पष्ट है कि श्री कृष्णमाचारी उस समय वित्त मन्त्रालय में पूरी जानकारी न होने की बात कर रहे थे जब उन्होंने कोई खास पूछताछ की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूतावास ने जो रकमें खर्च की हैं, उन सब के बारे में राजदूतावास ने ब्यौरा दे दिया है। 31 मार्च, 1966 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये ऐसे ब्यौरे का विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी—6534/66]

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियाँ

474. **श्री लीलाधर कटकी** : **श्री बृजराज सिंह** :

श्री रा० बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी बस्तियाँ जो पिछले पाँच वर्ष से विद्यमान हैं, दिल्ली नगर निगम द्वारा नियमित नहीं की गई हैं; और

(ख) दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) **और (ख)** : दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में 1961-62 में 123 अनधिकृत बस्तियाँ थीं। इनमें से 103 निगम द्वारा नियमित कर दी गयी थीं। संभवतः पिछले पाँच वर्षों में लगभग 50 और अनधिकृत बस्तियों का विकास हुआ है इनमें से कुछ उन बस्तियों के विस्तार हैं जो कि नियमित किये जा चुके हैं। अब निगम के अधिकार क्षेत्र में लगभग 70 अनधिकृत बस्तियाँ हैं। इन बस्तियों के नियमितीकरण के प्रश्न पर विचार उसके बाद किया जायेगा जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संबंधित क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप दे दिया जाये तथा सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाये।

मद्रास शहर के लिये पेय जल संभरण योजना

475. **श्री सेंकियान** :

डा० श्री निवासन : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मद्रास शहर के लिये पेय जल की व्यवस्था करने की योजना के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के किस समय तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क), (ख) और (ग) मद्रास में पानी की सप्लाई को बढ़ाने के लिये निम्नांकित दो योजनायें मद्रास सरकार के विचाराधीन हैं :—

(1) कावेरी नदी से पम्पों द्वारा पानी लेना

(2) पेनेर नदी से, जिसमें कृष्णा का जल भी छोड़ा जाता है, पानी नीचे लाना इन योजनाओं के ब्यौरे को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उपर्युक्त योजनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने तथा मद्रास में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए निम्नांकित अंतरिम उपाय बरते जा रहे हैं :—

(1) रेडहिल्स तथा चोलवरम टैंकों की पूरी 7500 एकड़ आर्द्र भूमि का अभिग्रहण।

(2) पूण्डी जलाशय से रैडहिल्स तक एक खुले जलमार्ग का निर्माण।

(3) रैडहिल्स तथा चालवरम टैंकों के एफ० टी० एल्स को बढ़ाना।

Unauthorised Buildings.

476. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Raghunath Singh :**

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the New Delhi Municipal Committee has any proposal under consideration for demolishing unauthorised houses ;

(b) if so, the number of houses to be demolished ;

(c) the amount of loss as a result of their demolition ; and

(d) the period of construction which would be treated as basis for demolition ?

Minister of Health And Family Planning (Dr. Sushila Nayar) :

(a) There is no proposal of taking any special action.

(b) to (d) : Do not arise.

Death Due To Bursting of a Boiler

477. **Shri Raghunath Singh : Shri Kachhavaiya :**

Shri Hukam Chand :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a 16 year old boy was killed and another injured due to burstig of a boiler in the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi on or about the 22nd May, 1966; and

(b) If so, whether causes of the burst has been investigated ?

Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) :

(a) Yes. A boy aged about 18 years employed by "Modern Mechanicals", who are the Contractors for the installation of Overhead tanks on the Wards Block of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, was killed on the 21st May, 1966, due to the sudden bursting of the inner tank of the carbide gas cylinder. None else was injured

(b) An investigation was held by the Police to whom the case was reported and the report of the Police is awaited

Fast Unto Death In Willingdon Hospital.

478. **Shri Raghunath Singh : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that four members of the scavenging staff of the Willingdon Hospital, New Delhi went on fast unto-death in May, 1966 against not getting their pay; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?

Minister of Health And Family Planning (Dr. Sushila Nayar) :

(a) No.

(b) Does not arise.

Foreign Gold recovered from Goldsmiths in Bareilly

479. **Shri Rameshwaranand : Shri Raghunath Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya .

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foreign gold weighing 50 tolas was recovered from some goldsmiths in Bareilly in the last week of April, 1966 ;

(b) if so, the name of the country to which the gold belonged; and

(c) the action being taken by Government in this matter ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) :

(a) & (b) On the 19th April, 1966 50 tolas of gold bearing foreign markings indicating British origin was seized from two goldsmiths at Bareilly.

(c) Both the persons were arrested and were later released on bail. The cases are under investigation.

Watches Seized in Bombay

481. **Shri Rameshwaranand : Shri Raghunath Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that watches worth Rs.75,000 were seized in Bombay in the last week of April, 1966;

(b) if so, the country from which these watches were smuggled ; and

(c) the number of persons against whom action has been taken and the nature thereof ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) :

(a) During the last week of April, 1966 the Bombay Customs authorities seized as smuggled, in different cases, watches collectively valued at about Rs.84,000.

(b) As the watches were seized in town and investigations have not yet been completed, it is not possible to indicate the countries from which these might have been smuggled.

(c) Does not arise in view of the fact that investigations in these cases are still in progress.

राज्यों में बिजली उत्पादन योजनायें

482. **श्रीमती बिमला देवी :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री 5 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1594 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरा वार्षिक भार सर्वेक्षण में उल्लिखित राज्यों में प्रत्याशित बिजली की कमी को पूरा करने के लिये अतिरिक्त बिजली उत्पादन योजनाओं के सम्बन्ध में अब निर्णय कर लिया गया है ।

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य से सम्बन्धित योजनाओं का मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना पर अनुमानत: कितना खर्च होगा;

(घ) क्या इन योजनाओं का प्रारंभिक कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो हर योजना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) केरल में गर्मी के मौसम में पन बिजली उत्पादन को मुख्यत: मजबूत करने के लिये केवल एक नई बिजली उत्पादन स्कीम नामश: कोचीन ताप केन्द्र स्वीकार की गई है। चौथी योजना के बिजली के उत्पादन लक्ष्य को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ही और स्कीमों को मंजूर करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

(ख) कोचीन ताप केन्द्र में 30 मैगावाट की क्षमता वाले एक उत्पादन यूनिट का प्रतिष्ठापन सम्मिलित है और उसमें कोचीन रिफ़ाइनरी से उपलब्ध भट्टी तेल को ईधन के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा ।

(ग) कोचीन ताप केन्द्र की अनुमति लागत 352 लाख रुपये हैं ।

(घ) तथा (ङ) : केरल सरकार ने ताप बिजली केन्द्र के लिए एर्नाकुलम के निकट जगह चुन ली है । संयन्त्र और सामान की विशिष्टिया तैयार की जा रही है ।

स्वर्ण बांड योजना

483. **श्रीमती विमला देवी :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री राम सहाय पाण्डेय : **श्री धुलेश्वर मीना :**
डा० श्री निवासन : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 की राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड योजना के अन्तर्गत आशा से बहुत कम धन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक वास्तव में कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(घ) इस योजना की असफलता को देखते हुए क्या सरकार का विचार इसे समाप्त करने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) और (ख) यद्यपि राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बाण्ड योजना की प्रतिक्रिया आशा के अनुरूप नहीं हुई, फिर भी वह असन्तोषजनक नहीं है।

(ख) 13,558 किलोग्राम।

(घ) योजना 1 जून, 1966 से बन्द कर दी गई है।

परिवहन अनुसन्धान सम्बन्धी समिति

484. **श्रीमती विमला देवी :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की अनुसंधान कार्यक्रम समिति द्वारा स्थापित की गई परिवहन अनुसंधान सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता):

(क) परिवहन समस्याओं सम्बन्धी अनुसंधान कार्य का आयोजन करना तथा मार्गदर्शन करने के लिए अनुसंधान कार्यक्रम समिति की स्थाई समिति के रूप में परिवहन अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। यह परिवहन अनुसंधान स्कीमों के तकनीकी डिजाइन और रीति विधान पहलुओं के सम्बन्ध में निदेशक समिति के रूप में कार्य करती है।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

485 **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री नम्बियार :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री राम हरख यादव :
श्री अ० क० गोपालन :

डा० रानेन सेन : **श्री दशरथ देव :**
श्री मधु लिमये : **श्री शिवमति स्वामी :**
श्री किशन पटनायक : **श्री लखमू भवानी :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में बढ़े हुए निर्वास व्यय के समनुरूप (न्यूट्रेलाइज़) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देने के प्रश्न पर आगे विचार किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में हाल में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ के नेताओं से विचार विमर्श किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस विचार विमर्श का क्या परिणाम रहा तथा क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) और (ख) जी, हाँ । सरकारी कर्मचारियों को दिया गया मंहगाई भत्ता पर्याप्त है या नहीं इस प्रश्न पर हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की विशालतर संस्थाओं/संघों के प्रतिनिधियों के साथ बात-चीत की गई थी ।

(ग) चूंकि कोई समझौता नहीं हो सका, इसलिए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने के सिद्धान्तों की जाँच करने के लिये एक उच्चस्तरीय आयोग नियुक्त किया है । यह आयोग सूचकांक स्तर 165 पर पहले ही दिये जा रहे मंहगाई भत्ते की दरें पर्याप्त हैं या नहीं इस प्रश्न की जाँच करेगा ।

भूमिहीन हरिजनों के मकानों की समस्या

486. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भूमिहीन हरिजनों के मकानों की समस्या के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) भूमिहीन हरिजनों को मकानों के लिये स्थान देने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या अस्थायी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ?

समाज-कल्याण विभाग के उप मन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :

(क) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भंगियों और मेहतरों को मकानों के लिये उपदान देने की तथा अनुसूचित जातियों के उन लोगों को जो (क) गंदे व्यवसायों में लगे हों अथवा (ख) भूमिहीन किसान हो, मकानों के लिये जमीनें देने की संयुक्त योजना के लिये पिछड़े वर्गों के क्षेत्र के अन्तर्गत चतुर्थ योजना में लगभग 250 लाख रुपये की अस्थाई व्यवस्था की गई है ।

केरल में कुट्टनाड के लिये लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी सब-डिविजन

487. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री 5 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4820 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कुट्टनाड के लिये लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी सब-डिवीजन बनाने के प्रस्ताव के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) :

(क) जी हाँ ।

(ख) केरल सरकार ने 5 जुलाई 1966 के अपने आदेश में कुट्टनाड जल पूर्ति योजना की जाँच के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव मंजूर किये हैं :—

(1) जन स्वास्थ्य डिवीजन, एल्लेपी के एक्जेक्यूटिव इंजीनियर के अधीन सब-डिवीजन अफसर, जन स्वास्थ्य सब डिवीजन मावेलिक्कड़ा को उनके नियमित कार्यभार के अतिरिक्त इस योजना की छानवीन का कार्य भी सौंपा गया है ।

(2) जन स्वास्थ्य जाँच डिवीजन, त्रिवेन्द्रम के अधीन जूनियर इंजीनियर एल्लेपी जो ग्राम जल पूर्ति की छानवीन के कार्य से सम्बन्धित हैं, उपर्युक्त सब-डिवीजन अफसर के ही अधीन अपने नियमित कार्य की अपेक्षा न करते हुए इस जाँच पड़ताल के कार्य को करेंगे ।

(3) उनकी नियुक्ति तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये निम्नलिखित क्षेत्र कर्मचारियों की मंजूरी दी गई है :—

(क)	सर्वेयर	12
(ख)	सर्वेक्षण कुली	24

(4) विस्तृत जाँच कार्य को पूरा करने तथा कुट्टनाड जल पूर्ति योजना के लिए रिपोर्ट, योजना आदि तैयार करने के लिये एक साल का समय दिया गया है ।

(5) स्टाफ और आकस्मिक कार्यों पर एक साल में अनुमानत: 45000 रुपये खर्च होंगे ।

विश्व बैंक से ऋण

488. **श्री बागड़ी :**
श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :
श्री अल्वारेस

श्रीमती रेणुका राय : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री बृजबासी लाल :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री वारियर :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : **श्री प्रभातकार :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने 1966-67 की वार्षिक योजना में धन देने के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये के ऋण देने का आश्वासन दिया है और यदि हाँ, तो किन शर्तों पर;

(ख) क्या देश की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये भी विश्व बैंक से इसी प्रकार के ऋण मिलने की संभावना है; और

(ग) विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने कुल कितनी सहायता मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) विश्व बैंक, सहायता संघ के सदस्य देशों से बातचीत कर रहा है और सहायता संघ के सदस्यों द्वारा दिये जा चुके वचनों और प्रकट किये गये इरादों के आधार पर विश्व बैंक और भारत सरकार दोनों का अनुमान है कि 1966-67 के लिए 90 करोड़ डालर की गैर-प्रायोजना सहायता का बचन दिया जायगा। ऋणों की शर्तें, ऋण करारों पर हस्ताक्षर होने से पहले, दोनों देशों द्वारा तय कर ली जायेंगी। प्रायोजना सम्बन्धी सहायता के प्रश्न पर अलग से विचार किया जायगा।

(ख) और (ग) चौथी पंचवर्षीय आयोजना को अन्तिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। चौथी आयोजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद और विश्व बैंक तथा सहायता संघ को उसका अध्ययन करने का अवसर मिलने के बाद ही चौथी आयोजना के सम्बन्ध में सहायता की ठीक-ठीक आवश्यकता और सहायता के सम्बन्ध में विश्व बैंक तथा सहायता संघ के देशों की प्रतिक्रिया का पता लगेगा।

पंजाब से दिल्ली को बिजली की सप्लाई

489. **श्री बागड़ी :** **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक : **श्री रामसेवक यादव :**
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने हाल में दिल्ली को दी जाने वाली बिजली में कटौती करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कटौती से कितने कारखानों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) इन कारखानों को होने वाली संभावित कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) पंजाब सरकार दिल्ली को जून, 1966 तक बिजली कम मात्रा में दे रही थी किन्तु भाखड़ा के जलाशय के जलस्तर में सुधार आ जाने से बिजली की साधारण सप्लाई बहाल कर दी गई है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में चिट फण्ड कम्पनियां

490. **श्री बागड़ी :**
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री रामसेवक यादव :
श्री किशन पटनयाक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ धोखेबाज चिट फण्ड कम्पनियों के विरुद्ध सरकार को ऐसी काफी शिकायतें मिली हैं जिनमें उनके खिलाफ कार्यवाही करने की माँग की गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन कम्पनियों के काम-काज की जाँच की गई है और क्या वह पूरी हो चुकी है; और

(ग) ऐसी चिट फण्ड कम्पनियों के छोटे-छोटे विनियोजकों के हित की रक्षा करने के लिये सरकार का विचार क्या प्रभावी कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जी हां।

(ख) सारी शिकायतें पुलिस के पास भेज दी गयी थीं और पुलिस ने उनकी जाँच की है। जाँच-पड़ताल के परिणाम स्वरूप भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 और 420 के अधीन 35 मुकदमे दर्ज किये गये हैं। इनमें से, 14 मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं। इसके अलावा, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294-क के अधीन दर्ज किये गये 18 अ-हस्तक्षेप्य (नान काग्निजेबुल) मामलों की भी जाँच की गयी। इनमें से तीन मुकदमे चल रहे हैं और बाकी के सम्बन्ध में जाँच का काम विभिन्न दौरों में है।

(ग) मद्रास चिट फण्ड अधिनियम के उपबन्ध 15 जुलाई, 1964 से दिल्ली में भी लागू किये जा चुके हैं। अभी तक प्राप्त सभी शिकायतों का सम्बन्ध उस तारीख से पहले शुरू की गयी चिटों से हैं। पुराने क्रमों की ये चिटें अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आतीं। फिर भी, जहाँ कहीं आवश्यक होगा भारतीय दण्ड संहिता के अधीन उपयुक्त कार्यवाही की जायगी।

चतुर्थ वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण

491. **श्री श्रीनारायण दास :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसमें कितना कार्य हो चुका है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग) : कार्य प्रगति कर रहा है । सर्वेक्षण समिति ने राज्य बिजली बोर्डों, सार्वजनिक सेवा संस्थानों इत्यादि को लिखा था कि वे चौथी योजना के दौरान अपनी माँगों के अनुमान भेजें । इनमें से अधिकतर प्राप्त हो चुके हैं और उन पर विचार किया जा रहा है । इस कार्य को पूरा करने के लिये समिति को लगभग दो से तीन मास लग जायेंगे ।

सरकारी पेंशन पाने वालों को मंहगाई भत्ता

492. **श्री नारायण दास :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी **डा० श्रीनिवासन .**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेंशनर समाज ने, जो पेंशन पाने वालों का एक संगठन है, इस आशय की माँग का एक अभ्यावेदन दिया है कि जब कभी सरकारी कर्मचारियों को मँहगाई भत्ता दिया जाता है, तो उन्हें भी अन्य कर्मचारियों की भाँति मँहगाई भत्ता दिया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) जो सरकारी कर्मचारी नौकरी में हैं उन की स्थिति में और पेंशन पाने वाले की स्थिति में अन्तर है । सिद्धान्त रूप में नौकरी कर रहे सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली रियायतों को पेंशन भोक्ता पाने के हकदार नहीं हैं।

भारत सहायता सार्थ संघ (कन्सोरशियम) से सहायता

493. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सहायता सार्थ संघ के सदस्यों ने पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में अनिबद्ध (अनटाइड) सहायता के रूप में कितने प्रतिशत तथा कुल कितनी धनराशि का वचन दिया तथा राशि मंजूर की और इसमें से कितनी धनराशि अप्रयुक्त रही;

(ख) कितनी धनराशि का वचन विशेष योजनाओं के लिए दिया गया और राशि मंजूर की गयी और उसमें से कितनी धनराशि अप्रयुक्त रही; और

(ग) 1966-67 की योजना के लिये सार्थ संघ के माध्यम से कितनी प्रतिशत अनिबद्ध सहायता मिलने की आशा है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) और (ख) : अनुमान है कि अनिबद्ध (अनटाइड) सहायता का अर्थ ऐसी सहायता है, जो प्रायोजनाओं से बंधी न हो। प्रश्न के (क) और (ख) भाग में जो सूचना माँगी गयी है उसके सम्बन्ध में दो विवरण सभा की मेज पर रख दिये गये हैं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6535/66]

(ग) : सम्भवतः भारत सहायता संघ के सदस्यों से हमें 1966-67 में 90 करोड़ डालर की अनिबद्ध सहायता अर्थात गैर प्रायोजना सहायता प्राप्त होगी। चूंकि प्रायोजना सम्बन्धी सहायता के सवाल का संघ के साथ अभी तक कोई निपटारा नहीं हुआ, इसलिए अभी अनिबद्ध सहायता के प्रतिशत का हिसाब या अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

अमरीकी ऋण पर ब्याज

494. **श्रीमती सावित्री निगम** :

क्या वित्तमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार अमरीकी विकास ऋण निधि के ब्याज की दर घटाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) अमरीकी ऋणों पर ब्याज की दर कम करने के बारे में भारत सरकार ने अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से कोई अनुरोध नहीं किया है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Training of Handicapped Beggars

495. **Shrimati Savitri Nigam :**

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 213 on the 25th February, 1966 and state the progress since made in the setting up of the pilot project for the rehabilitation and trainingof the handicapped beggars in the 40 centres ?

Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Smt. Chandrasekhar) :

The matter is still under consideration in consultation with the Governments.

बम्बई और राजस्थान में छापे

496. **श्री किन्दर लाल : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या वित्त मन्त्री बम्बई और राजस्थान में छापों के बारे में 14 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1117 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर विभाग द्वारा विस्तृत जांच-कार्य अब पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जाँच पड़ताल अभी भी चल रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों में भूमि सुधार कानून

497. **श्री लिंग रेड्डी :** **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री मे० क० कुमारन :**
श्रीमती रेणुका राय :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री 24 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 191 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में भूमि सुधार कानून लागू करने के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है :

(ख) क्या अनाज के उत्पादन में कमी राज्यों में प्रगतिशील भूमि सुधार कानूनों को लागू न करने के कारण ही हुई है ; और

(ग) अनाज के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्यों द्वारा देश में शीघ्र प्रभावी भूमि सुधार कानून लागू करवाने में योजना आयोग किन कारणों से असमर्थ रहा है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जो भूमि सुधार कानून पहले बनाये गये थे वे कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों में है । हाल के महीनों में कार्यान्वयन में सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने तथा कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, कतिपय राज्यों के कानूनों में संशोधन किये गये हैं :

बिचौलियों की समाप्ति : बिचौलियों की समाप्ति का कार्यक्रम देशभर में, लगभग पूरा हो चुका हैं । भूतपूर्व बिचौलियों के लगभग 2 करोड़ काश्तकारों का राज्य से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो चुका है और वे अपनी जोत के स्वामी हो गये हैं ।

काश्तकारी सुधार : रैयतदारी क्षेत्रों में रैयतदारों की इच्छा पर निर्भर काश्तकारों की और जमीदारी क्षेत्र में शिकमियों की समस्या का समाधान करने के लिए कई कानून पास किये जा चुके हैं । काश्त की सुरक्षा के लिए कई राज्यों में व्यवस्था की जा चुकी है । ताकि काश्तकारों को राज्य के सीधे सम्पर्क में लाया जा सके और उन्हें भूस्वामी बनाया जा सके । इसके परिणाम स्वरूप, 70 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर लगभग 30 लाख काश्तकारों और बटाईदारों को भूस्वामी के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं ।

	काश्तकारों की संख्या (हजारों में)	जिस क्षेत्र पर भूस्वामित्व प्रदान किया जा चुका है (हजार एकड़)
गुजरात	462	1408
मध्य प्रदेश	358	उपलब्ध नहीं
महाराष्ट्र	614	1674
पंजाब	20	137(मानक एकड़)
उत्तर प्रदेश	1500	2000
पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं	800

	काश्तकारों की संख्या (हजारों में)	जिस क्षेत्र पर भूस्वामित्व प्रदान किया जा चुका है (हजार एकड़)
तेलंगना (आन्ध्र प्रदेश)	33	202
दिल्ली	29	39
हिमाचल प्रदेश	24	28
त्रिपुरा	12	14

सभी राज्यों में लगान के नियमन की व्यवस्था कर दी गई है। असम, बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान और संघीय शासित क्षेत्रों में, अधिकतम लगान उत्पादन का एक चौथाई या इससे भी कम निश्चित किया गया है। परन्तु कतिपय राज्यों में, लगान में विभिन्नता है। वह कुल उत्पादन का एक तिहाई से लेकर आधे तक है।

जोत की अधिकतम सीमा : भूतपूर्व पंजाब क्षेत्र को छोड़कर, अन्य सब राज्यों ने अधिकतम जोत की सीमा निश्चित करने के बारे में कानून पास कर लिए हैं। भूतपूर्व पंजाव क्षेत्र में राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अनुमित सीमा से अधिक भूमि पर काश्तकारों को बसा सकती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार जोत की अधिकतम सीमा लागू करने के कारण निम्न राज्यों में 20 लाख एकड़ भूमि अधिक निकली और इसे फालतू क्षेत्र घोषित किया जा चुका है या उसपर सरकार द्वारा अधिकार कर लिया गया है :

	फालतू भूमि (हजार एकड़)
असम	34.0
जम्मू तथा कशमीर	450.0
महाराष्ट्र	162.5
मध्य प्रदेश	39.1
मद्रास	7.0
पंजाब	368.5*
पश्चिम बंगाल	776.6
उत्तर प्रदेश	222.7

जैसे-जैसे कर्यान्वयन का काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और भूमि उपलब्ध होने लगेगी। फालतू जमीन काश्तकारों, अलाभकर जोतवालों और भूमिहीन कृषकों में वितरित की जा रही है।

(ख) और (ग) : योजनाओं में भूमिसुधार कार्यक्रमों की जो रूपरेखा दी गई है उसका उद्देश्य भूमि सम्बन्धी संरचना के कारण कृषि उत्पादन बढ़ाने में आने वाली दिक्कतों को दूर करना और उच्च स्तर की कुशलता और उत्पादकता युक्त कृषि अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अनुकूल दशाएँ प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन

*क्षेत्र मानक एकड़ों में।

को शीघ्रता से पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 1963 में एक समिति गठित की थी। यह समिति फिलहाल, राज्य सरकारों से सलाह-मशवरा कर, जहाँ कार्यक्रम पीछे रह गया है वहाँ कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों की जाँच कर रही है।

राज्यों में बिजली की कमी

498. **श्री लिंग रेड्डी :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री राज्यों में बिजली की कमी सम्बन्धी विवरण के सम्बन्ध में जो 24 फरवरी, 1966 को सभा पटल पर रखा गया था यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बिजली की कमी कहाँ तक दूर कर दी गई है ;

(ख) क्या वहाँ पर जहाँ वर्षा न होने के कारण पन-बिजली परियोजनाओं के असफल हो जाने की संभावना है ताप बिजली परियोजनाएँ लागू करने का विचार है; और

(ग) क्या बिजली की कमी की समस्या को हल करने के लिए अणु शक्ति प्रयोग करने का भी विचार है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद):

(क) बिजली की कमी से प्रभावित विविध राज्यों की वर्तमान बिजली स्थिति निम्न-लिखित है :—

(1) **आन्ध्र प्रदेश**

पन बिजली जलाशयों में जल के कम स्तर के कारण, 31-12-65 को समस्त राज्य में बिजली की सप्लाई में 30 प्रतिशत की कटौती की गई थी और केवल उन माँगों को छोड़ दिया गया था जो अत्यावश्यक थीं। चूंकि जून, 1966 में बिजली की स्थिति और बिगड़ गई थी, इसलिए 23 जून, 1966 से राज्य के 11 जिलों में बिजली की सप्लाई में 100 प्रतिशत कटौती कर दी गई और वाटर वर्क्स तथा रोशनी जैसे आवश्यक मांगों को इस कटौती से छोड़ दिया गया था। किन्तु, बिजली की इस काट को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता और पन बिजली जलाशयों में पानी के स्तर के आधार पर बिजली की वास्तविक कटौती को नियमित किया जाता है। बाकी 9 जिलों में यह काट 30 प्रतिशत ही रखी गई। मंचकुंड जलाशय की जल स्थिति हाल ही में सुधर गई है और यह आशा की जाती है कि कुछ ही समय में बिजली की सप्लाई पर सब पाबन्दियाँ हटा ली जाएंगी।

(2) **राजस्थान**

चम्बल सेवा क्षेत्र में 15 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक काट की जाती है और भाखड़ा सेवा क्षेत्र में 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक।

(3) **मध्य प्रदेश**

चम्बल सेवा क्षेत्र में उद्योगों के लिए 20 प्रतिशत की काट है।

(4) **केरल, मद्रास, उड़ीसा और पंजाब**

चूंकि बिजली सम्भरण स्थिति सुधर गई है, बिजली की सप्लाई में कटौतियाँ खत्म कर दी गई हैं।

(ख) जी, हाँ। पन बिजली को ताप बिजली से सुदृढ़ करने के लिए पन बिजली प्रणालियों द्वारा सेवित क्षेत्रों में यथा सम्भव ताप बिजली केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।

(ग) विविध राज्यों और क्षेत्रों में बिजली की कुल आवश्यकताओं को तथा बिजली उत्पादन की अपेक्षिक लागत-व्यय को दृष्टि में रखते हुए अणु बिजली केन्द्र आयोजित किये गये हैं। निम्नलिखित अणु बिजली केन्द्र अभी तक स्वीकार किए गये हैं और वे कार्यान्वन के विविध चरणों में है :—

(1) महाराष्ट्र में तारापुर अणु बिजली केन्द्र (380 मैगावाट-1968 में चालू होने की सम्भावना है)

(2) राजस्थान में राणा प्रताप सागर (शुरू में 1970-71 में 200 मैगावाट का चालू होना और उसके बाद पांचवी योजना के शुरू में और 200 मैगावट का आवर्द्धन)

(3) मद्रास में कल्पक्कम (पांचवी योजना के शुरू में 400 मैगावाट के चालू होने की सम्भावना है)

राज्य द्वारा नियतन से अधिक धन लिया जाना (ओवरड्राल)

499. **श्री किशन पटनायक :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री दे० द० पुरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बसवन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में राज्यों द्वारा नियतन से अधिक धन निकाले जाने की स्थिति में सुधार हुआ है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने नियतन से अधिक रकम लेने में कमी करने के लिए कोई सुझाव दिए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सुझाव दिये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) से (ग) इस प्रश्न पर हाल ही में राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में यह मंत्रणा दी गई थी कि वे रिजर्व बैंक से नियतन से अधिक धन न निकालने के लिए तथा अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय करें :—

(1) राज्यों को अपने सब दायित्वों को ध्यान में रख कर अपने आय-व्ययकों का संतुलन करना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन अपने संसाधनों का वास्तविकता के आधार पर अवश्य अनुमान लगाना चाहिए तथा वचन दी गई केन्द्रीय सहायता सहित अपने संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए अपने व्यय को उतना सीमित रखना चाहिए।

(2) आय-व्ययक में उल्लिखित व्यय के अतिरिक्त राज्यों को अपने संसाधनों का निश्चय लिए बिना अतिरिक्त व्यय नहीं करना चाहिए।

(3) राज्यों को अपने व्यय कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करना चाहिए तथा यथा संभव प्रशासनिक तथा पूंजी व्यय में मितव्ययता करने के उपाय करने चाहियें।

राज्यों सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उपरोक्त बातों के आधार पर विस्तृत कार्यवाही करें तथा यह आशा की जाती है कि इसके परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक से अधिक धन निकालने की स्थिति में सुधार होगा।

फरक्का बांध परियोजना

500. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्रीमती रेणुका राय :
डा० म० मो० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दे० द० पुरी :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का बांध योजना का कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) काम में तेजी लाने तथा योजना को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परियोजना की प्रगति पर निरन्तर ध्यान रखा जा रहा है। जब भी कठिनाइयां और बाधाएं सामने आती हैं उनको दूर करने के लिए उच्चतम स्तर पर उन पर विचार किया जाता है।

Operation of Indian Vehicles In Nepal Territory

501. Shri Lahtan Chaudhry :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether some rules have been framed jointly by India and Nepal for the operation of Indian vehicles in the area of Kosi Barrage or Western Kosi Embankment which lies in Nepal territory and if so, the nature thereof ;

(b) whether it is a fact that the emoloyees appinted by the Government of Nepal are harassing persons travelling in Indian vehicles in the pretext of checking vehicles running across the barrage or the Western embankment area and sometimes vehicles have to wait for hours; and

(c) if so, the measures taken to remove these difficulties ?

Minister for Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) :

(a) : No rules have been framed. Plying of vehicles of the Project authorities and others concerned with the Project work in Nepal is permissible under the agreement of 1954 between the Government of India and the Government of Nepal on the Kosi Project.

(b) & **(c)** : Stray cases of difficulties have come to the notice of the project administration. Such cases are brought to the notice of the Anchaladhish, or Liaison Officer of His Majesty's Government of Nepal or the Liaison Officer of the Bihar Government at Kathmandu for appropriate action.

U. S. Aid

502 Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5535 on the 12th May, 1966 and state :

(a) whether Government have since considered the said statements of U.S Senators John Kennedy and John Cooper;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the amendments, if any, made in the current year in the Mutual Security Act, 1954 and the Foreign Aid Act, 1961 ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) :

(a) Government is not aware of the statements of U. S. Senators John Kennedy and John Cooper referred to in the question.

(b) Does not arise.

(c) The provisions of the Mutual Security Act of 1954 pertaining to technical and economic assistance were repealed by the U. S. Foreign Assistance Act of 1961. The U. S. Foreign Assistance Bill of 1966, which seeks to amend certain provisions of the U. S. Foreign Assistance Act of 1961 has not yet been passed by the U. S. Congress and as such it would not be possible to list the amendments in the current year to this Act.

पूंजी बाजार

503. **श्री दी चं० शर्मा :** **श्री श्रीनारायण दास :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पूंजी विनियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए हाल में क्या उपाय किये गये; और

(ख) उनका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) : अधिक महत्वपूर्ण उपाय ये हैं (i) निवेशकों के पास जो बोनस शेयर हैं उन पर लगने वाले सांकेतिक पूँजी लाभ कर को हटाना (ii) कम्पनियों पर 12.5 प्रतिशत की दर से लगने वाले बोनस निर्गम कर (बोनस इशु टेक्स) को हटाना; (iii) कम्पनियों को, चुकता सामान्य पूँजी के 10 प्रतिशत तक के लाभांश पर 7.5 प्रतिशत की दर से लगने वाले कर से छूट देना (iv) कम्पनियों पर लगने वाले अतिकर को 40 प्रतिशत से घटा कर 35 प्रतिशत करना (v) वार्षिकी जमा के लिए छूट की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर देना (vi) तीन और उद्योगों अर्थात् चाय बागानों, अखबारी कागज और छपाई की मशीनों के उद्योगों के भी कर सम्बन्धी विशेष रियायतें देना।

(ख) इन उपायों के प्रभाव के बारे में अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यह कहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक का औद्योगिक प्रतिभूतियों के परिवर्तनीय लाभांश का सूचक अंक, जो 26 फरवरी, को 74.1 था, बढ़ कर 9 जुलाई 1966 को 80.6 (अस्थायी) हो गया।

भारत की भुगतान की सन्तुलन स्थिति

504. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत की भुगतान की सन्तुलन स्थिति क्या है; और

(ख) कमी को पूरा करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) : भारत की शोधन-सन्तुलन (बैलेंस आफ पेमेंट्स) सम्बन्धी स्थिति बराबर कठिन बनी हुई है। जबदरस्त सूखा पड़ने के कारण, जिसका प्रभाव निर्यात-प्रधान फसलों पर पड़ा, और अधिक अनाज तथा रासायनिक खाद का आयात करने की आवश्यकता तथा ऋण चुकाने के लिये की जाने वाली बढ़ती हुई अदायगियों से शोधन-सन्तुलन पर और दबाव पड़ा है।

(ख) : जैसा कि 25 जुलाई, 1966 को संसद में पेश किये गये, आर्थिक समीक्षा के परिशिष्ट में बताया गया है, इस कमी को पूरा करने के लिए जो प्रयत्न किये गये हैं उनमें से अधिक महत्वपूर्ण ये हैं :—

(1) 6 अप्रैल, 1966 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (इण्टरनेशनल मौनेटरी फण्ड) से 18.75 करोड़ डालर की निकासी;

(2) अवमूल्यन;

(3) मित्र देशों से और अधिक गैर-प्रायोजना सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न; और

(4) आयात पर निर्भर रहना कम करने और निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिये किये गये उपाय।

पलाई सेण्ट्रल बैंक

505. **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पलाई सेट्रल बैंक लिमिटेड के सरकारी समापक द्वारा 30 जून, 1966 तक ऋण और पेशगी की कितनी रकम वसूल की गयी; और

(ख) ऋण और पेशगियों की रकम शीघ्र वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) 2.59 करोड़ रुपया ।

(ख) परिसमापक ने सभी बकाया ऋणों के सम्बन्ध में बैंकिंग विनियम न अधिनियम, 1949 की धारा 45 घ के अधीन दावे दायर कर दिये हैं और उसके हक में डिगरियां हो गयी हैं । केरल के उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार, राजस्व की वसूली सम्बन्धी कार्यवाइयां या दीवानी अदालतों में डिगरियों की रकम वसूल करने के सम्बन्ध में कार्यवाइयां करके परिसमापक डिगरियों की रकमों और साथ ही बैंक के परिसमापन से पहले उसके हक में दी गयी डिगरियों की रकमों की वसूली के लिए प्रयत्न कर रहा है ।

भारत सरकार मुद्राणालय, अलीगढ़ के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

506. **श्री ईश्वर रेड्डी** :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 28 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4627 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जाँच पूरी हो गई है;

(ख) क्या भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध सरकारी सम्पत्ति के दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायतों के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना):

(क), से (ग) : शिकायतों की तफ़तीश अभी पूरी नहीं हुई है । फिर भी, अभी तक जो जाँच की गई है उसके परिणामस्वरूप, प्रबन्धक तथा दो सहायक प्रबन्धकों को अलीगढ़ मुद्रणालय से स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा उन्हें चेतावनी दे दी गयी है कि अलीगढ़ में उनका कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया गया । यह कार्यवाई ऐसी अन्य विभागीय कार्यवाई जो कि जाँच पूरी होने पर आवश्यक समझी जायेगी के बगैर किसी प्रतिकूल प्रभाव के है ।

कोठागुंडम तापीय बिजली घर

507. **श्री ईश्वर रेड्डी**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में कोठागुंडम तापीय बिजली घर के तीसरे चरण के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस पर अनुमानत: कितना खर्च होगा;

(घ) क्या इस तापीय बिजली घर के तीसरे चरण का कार्य आरम्भ हो गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(च) तीसरा चरण पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद):

(क) इस प्रस्ताव को तकनीकी सलाहकार समिति ने स्वीकार कर लिया है और इस की मन्जूरी की इन्तजार की जा रही है ।

(ख) इस स्कीम में 180 मैगावाट की अतिरिक्त क्षमता के संयंत्र का प्रतिष्ठापन परिकल्पित है ।

(ग) 19.65 करोड़ रुपये ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) लगभग 3½ वर्ष ।

Smuggled Goods seized in Bombay

508 Shri Vishwa Nath Pandey : Shri Raghunath Singh :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Finance** by pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of watchos and transistors were seized in Bombay on the 17th May, 1966 by the officials of the Central Excise and Customs Departments;

(b) if so, the number and value thereof; and

(c) the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) :

(a) & (b) On 17th May, 1966 the officers of the Bombay Central Excise Collectorate seized 24 pieces of transistors worth about Rs. 12,000/- along with other goods such as cloves, cinnamons, autoradios, sunglasses, razor blades and lighter flints valued at about Rs. 2,08, 000/-, from a truck on the Panvel-Uran Road about 40 miles from Bombay. The truck was also seized. No watches were seized.

(c) Three persons were arrested and subsequently released on bail. Investigations are in progress.

Seminar on Juvenile Delinquency

509. Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2421 on the 18th March, 1966 and state :

(a) whether Government have received the recommendations of the seminar which was held from the 25th to 27th November, 1965 on Juvenile Delinquency;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, when they are likely to be submitted to Government ?

Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Smt. Chandra sekhar):

(a) to (c) : The Inter-Departmental Documentation Committee set up for the purpose submitted a report on the Seminar recently. The report contains far reaching recommendations covering the field of education, police organisation and social defence approach in so far as they concern the problem of juvenile delinquency. The recommendations will be considered by the Departments concerned and decisions taken on them in due course.

उत्तर प्रदेश में डाकघरों के माध्यम से जीवन बीमा निगम के प्रीमियम का संग्रह

510. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों के माध्यम से जीवन बीमा निगम का प्रीमियम इकट्ठा करने की एक योजना डाक तथा तार महा-निदेशक के सहयोग से लागू की गयी है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब से ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जी हाँ ।

(ख) 1-5-1966

नर्मदा नदी परियोजना संबन्धी खोसला समिति का प्रतिवेदन

511. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :
श्री राम हरख यादव :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री ओंकार लाल बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री 12 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1655 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी परियोजना सम्बन्धी खोसला समिति द्वारा की गई सिफारिशों की कार्यान्विति के लिए सरकार ने और क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया जा चुका है, और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) हाल ही में सम्बद्ध राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से अलग-अलग विचार विमर्श किया

गया था । तकनीकी पहलुओं पर विचार करने के लिए दिल्ली में 19 जून से 22 जुलाई 1966 तक सम्बद्ध राज्यों के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक भी हुई थी । सरकारी स्तर पर और बातचीत चल रही है ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) सम्बद्ध राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की एक संयुक्त बैठक शीघ्र ही रखने का विचार है ।

ग्रेट ब्रिटेन में लागू चयनात्मक रोजगार कर

512. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन में लागू चयनात्मक रोजगार कर के बारे में अध्ययन किया है और कहा है कि वह निर्यात प्रोत्साहन, पे रोल कर तथा सामान्य बिक्री कर जैसे तीन बड़े कर सुधारों को, एक में मिला दिया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने भारतीय पृष्ठभूमि में इस प्रणाली के परिणामों पर विचार किया है; और

(ग) इस प्रणाली का किस स्तर पर अध्ययन किया गया है और उसके क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी):

(क) **से** (ग) : वित्त मन्त्रालय के "करगवेषणा एकक" द्वारा इस बारे में जाँच की गयी है । ब्रिटेन ने यह कदम, मजदूरों की आम कमी होने और मजदूरों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में जाकर काम करने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता के कारण उठाया है । भारत में जो परिस्थितियाँ हैं उनमें यह उपाय उपयोगी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि इस देश के सामने तो बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार को दूर करने की समस्या है ।

यूनिट ट्रस्ट

513. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन बचाने तथा उसे पूँजी के रूप में लगाने की आदत को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनिट ट्रस्ट ने एक पुनर्विनियोजन योजना निकाली है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उससे क्या-क्या लाभ होने की संभावनाएं हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) : जी हाँ ।

(ख) · पुनर्निवेश योजना के द्वारा यूनिटों के मौजूदा मालिकों के लिए, स्वतः निवेश (आटोमेटिक इनवेस्टमेण्ट) की सुविधा की व्यवस्था की गयी है, जिसके अनुसार वे अपने

मौजूदा यूनिटों से होने वाली आमदनी का, 10 रुपया प्रति यूनिट के सम-मूल्य पर और अधिक यूनिट प्राप्त करके, फिर से निवेश कर सकते हैं। इस योजना के द्वारा, यूनिटों के मालिकों को कुछ वर्षों में अपनी पूंजी बढ़ाने की सुविधा दी गई है।

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का सम्भरण

514. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष राजस्थान की ग्रामीण जल संभरण योजनाओं के लिये नियत राशि को बहुत कम कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के आंकड़े क्या हैं तथा नियत राशि को कम करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर):

(क) जी नहीं।

राज्य सरकार ने अपनी 1966-67 की वार्षिक योजना में ग्राम जल पूर्ति योजनओं के लिये 40 लाख रुपये की व्यवस्था का सुझाव दिया था और इसे योजना आयोग ने स्वीकार भी कर लिया था। तथापि राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए अपने चालू बजट में केवल 30 लाख रुपयों की व्यवस्था की है। उनकी ग्राम जल पूर्ति योजनाओं के लिये चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त राशि के नियतन सम्बन्धी उनकी प्रार्थना विचाराधीन है।

(ख) 1964-65 में राजस्थान की ग्राम जलपूर्ति योजनाओं के लिये 20 लाख रुपये की बजट व्यवस्था थी। अभी पूरा होने वाले भारी काम को दृष्टि में रखते हुए बाद में इस राशि को बढ़ा कर 83 लाख रुपये कर दिया गया। इसी प्रकार 1965-66 में राजस्थान की ग्राम जलपूर्ति योजनाओं के लिए जहाँ पहले 40 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई थी उसे बढ़ा कर बाद में 66 लाख रुपये कर दिया गया।

राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम एक केन्द्र सहायियत योजना है जिसके लिए आवश्यक व्यवस्था राज्य योजना में करनी पड़ती है। ग्राम जलपूर्ति योजनाओं के लिए उपयुक्त व्यवस्था अपनी योजना में करना प्रथमतया राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दी जाती है।

राजस्थान में बिजली की कमी

515. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजस्थान में बिजली की भारी कमी है, राहत तथा सहायता देने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार एक ऐसा विवरण, जिसमें केन्द्रीय सहायता तथा बिजली की कमी को दूर करने की संभावना का ब्यौरा दिया हुआ हो, सभा पटल पर रखने का है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद):

(क)और (ख) : गत दो वर्षों के दौरान राजस्थान में बिजली की भयंकर कमी रही है। राज्य में बिजली की इस कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई थी :—

(1) भाखड़ा नंगल प्रणाली से जयपुर-अजमेर क्षेत्र तक बिजली पहुँचाने के लिये मार्च, 1965 में रतनगढ़ से जयपुर तक एक 132 के० वी० सिंगल सर्किट ट्रांसमिश्न लाईन बनाई गई थी और उसमें बिजली छोड़ी गई थी।

(2) 6. 3 मैगावाट की कुल क्षमता के डीजल उत्पादन संयंत्रों को प्राप्त कर प्रतिष्ठापित किया गया था।

(3) अजमेर और उदयपुर में निजी लाइसैन्सदारों को कहा गया था कि वे अपने उन स्थानीय डीज़लकेन्द्रों से बिजली उत्पन्न करें जिनको पहले बन्द कर दिया गया था।

(4) मद्रास से 10 मैगावाट की क्षमता वाला एक गैस टर्बाईन सैट खरीदा गया और उसे कोटा, राजस्थान, में लगा दिया गया।

राजस्थान में बिजली की सप्लाई स्थिति में 1966-67 के दौरान स्थिति के निम्नलिखित के कारण सुधर जाने की सम्भावना है : —

(1) गांधी सागर जलाशय में पानी के अंत:प्रवाह में सम्भावी बृद्धि

(2) मार्च 1967 के लगभग सतपुरा ताप केन्द्र के प्रथम यूनिट (62.5 मैगावाट) से बिजली के राजस्थान के अंश की उपलब्धता।

जहाँ तक वित्तीय सहायता का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने उपर्युक्त 10 मैगावाट के गैस टर्बाइन सैट को खरीदने और लगाने के खर्च को पूरा करने के लिए 50 लाख रुपये का ऋण स्वीकार किया था।

पारेषण पथों के निर्माण के लिए 200 लाख रुपये की सहायतार्थ राजस्थान सरकार के एक और प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

चेलियार में सिंचाई योजना

516. **श्री मुहम्मद कोया :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चेलियार नदी में कोई सिंचाई योजनाएं आरम्भ करने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है.; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद):

(क) तथा (ख) : केरल सरकार ने चेलियार नदी पर बेपोर पूझा अथवा चेलियार पूझा सिंचाई योजना का अनुसन्धान कार्य किया है। इस स्कीम में एरीकोडा ग्राम में चेलियार

नदी पर एक बराज का निर्माण तथा बेसिन में लगभग 14000 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई लाभ पहुँचाने के लिये वाम तथा दक्षिण तटों पर दो नहरों द्वारा जल का व्यपवर्तन कार्य सम्मिलित है। इस स्कीम से नौपरिवहन, मत्स्यपालन मनोरंजन इत्यादि जैसे अन्य लाभ होंगे। इस स्कीम की अनुमित लागत लगभग 350 लाख रुपये है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चलियार नदी के पानी का दूषित हो जाना

517. **श्री मुहम्मद कोया :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में चलियार नदी के दोनों ओर रह रहे लोग विभिन्न रोगों से पीड़ित हैं क्योंकि उस नदी का जल दूषित हो गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस क्षेत्र में महामारी न फैले, इसके लिए स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) :

(क) यद्यपि समाचारपत्रों में इस सम्बन्ध में लिखा गया है, परन्तु केरल सरकार की ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होने की सूचना नहीं मिली है।

(ख) महामारी फैलने को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :—

(1) ग्राम्य जल सम्भरण योजना के अन्तर्गत मावोर गाँव के लिए, जो कि नदी के दाईं ओर है, एक योजना मन्जूर की गई है।

(2) नदी की बाईं ओर रहने वाले लोगों के लिए एक अन्य योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) उस कारखाने को जिसके कारण पानी दूषित होता है यह निदेश दिया गया है कि वह अपनी गन्दगी को पानी बहाने से पहले ठीक प्रकार साफ कर लें।

कोट्टायी सिंचाई परियोजना

518. **श्री मुहम्मद कोया :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कोट्टायी परियोजना के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) क्या खाद्यान्न की मौजूदा कमी को देखते हुए सरकार ने इस परियोजना का निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही की है।

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) तथा (ख) : कोट्टायी सिंचाई परियोजना नाम की कोई स्कीम केरल सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु तैनूर कोट्टायी नहर में : नमक के प्रवेश को रोकने के लिये एक नियामक के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

अल्प आय वर्ग में आवास किराया

519. **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े शहरों में लिये जाने वाले बहुत ही ऊँचे किराये को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार का विचार अल्प आय वर्ग से लिये जाने वाले आवास किराये को नियमित करने के लिये कोई विधान प्रस्तुत करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) और (ख) यह ऐसा मामला है जिसका सम्बन्ध राज्य सरकारों से है जिनके कि अपने किराया नियन्त्रण कानून हैं। जहाँ तक दिल्ली के संघ क्षेत्र का सम्बन्ध है, किराये का नियतन दिल्ली रैन्ट कन्ट्रोल एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पहले ही आ चुका है।

भूमि के बेचने से मुनाफा खोरी

520. **श्री वारियर :**

क्या **निर्माण. आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 12 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 5540-ख के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में भूमि के बेचने से होने वाली मुनाफाखोरी को रोकने के लिये विधान बनाने के सम्बन्ध में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कैसा निर्णय लिया गया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) और (ख): पश्चिमी बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र तथा पंजाब सरकार के मंत्रियों तथा केन्द्रीय सरकार के उच्च अधिकारियों की समिति ने शहरी भूमि नीति की जाँच की। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ नियन्त्रण से सम्बन्धित वर्तमान विधान, विनियम तथा भूमि के अनिवार्य-अधिग्रहण, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नगर आयोजन कानून के अधिनियमन, राजपथों के साथ-साथ रिबन डवलपमेंट के नियन्त्रण के लिये विधान के पास किये जाने तथा शहरी क्षेत्रों में एक साथ बहुत अधिक भूमि के अधिग्रहण में संशोधन की सिफ़ारिश की है। आवश्यक कार्यवाही के लिए रिपोर्ट की प्रतिलिपियाँ राज्य सरकारों को भेज दी गयी हैं।

मन्दिरों में सोना

521. **श्री वारियर :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न मन्दिरों में सोने की अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(ख) इस सोने में से अब तक कितना सोना मन्दिरों ने स्वर्ण बान्डों में लगाया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) और (ख) भारत रक्षा नियम, 1962 के खण्ड XII क के अन्तर्गत, सोने के

बारे में की गयी सभी घोषणायें गोपनीय रखी जानी होती हैं। प्रासंगिक नियम 126 ओ (1) का उद्धरण सूचनार्थ नीचे दिया जा रहा है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 6536/66] इसी प्रकार स्वर्ण बान्ड योजना के अन्तर्गत उन व्यक्तियों का, तथा उन मन्दिरों का भी परिचय गोपनीय रखना होता है जो इस योजना के अन्तर्गत स्वर्ण बान्ड लेते हैं। अतएव खेद है कि माँगी गई सूचना देना सम्भव नहीं है।

दक्षिणी बिजली ग्रिड

522. **श्री वारियर :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी बिजली ग्रिड स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) दक्षिणी बिजली ग्रिड स्थापित करने के सम्बन्ध में पहला कदम यह उठाया गया कि मद्रास और मैसूर, मद्रास और केरल तथा मद्रास और आन्ध्र के बीच 220 के० वी० और मैसूर व केरल के बीच 110 के० वी० की लाइनों को लगाने का एक कार्यक्रम बनाया गया है जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य को बिजली भेजने में सुविधा होगी। मद्रास और मैसूर के बीच की लाइन पहले से ही पूरी हो चुकी है और मैसूर से मद्रास को बिजली सप्लाई हो रही है। केरल और मैसूर के बीच लाइन पूर्ण हो चुकी है और इसे ऊर्जित करके इसका परीक्षण भी कर लिया गया है। मद्रास और केरल तथा मद्रास और आन्ध्र प्रदेश के बीच लाइनें निर्माण के विविध चरणों में हैं और लगभग 1966 के अन्त तक और 1966 के मध्य तक क्रमशः उनके पूर्ण हो जाने की आशा है।

(ख) अब तक व्यय किया गया धन लगभग 280 लाख रुपये है।

केरल में ताप बिजली परियोजना

523. **श्री लिंग रेड्डी :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री वारियर - **श्री अ० व० राघवन :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक ताप बिजली घर स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह ताप बिजली घर कब तक चालू हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) जी, हाँ।

(ख) योजना आयोग ने कोचीन में 30 मैगावाट की क्षमता के ताप बिजली घर को

स्वीकार कर लिया है। इस बिजली केन्द्र के लिये एर्नाकुलम के निकट एक स्थान चुन लिया गया हुआ है। संयंत्र और सामान की विशिष्टियों को तैयार किया जा रहा है।

(ग) यह संयन्त्र 3 से $3\frac{1}{2}$ वर्ष की अवधि में चालू हो जायेगा, ऐसी सम्भावना है।

मजदूरों के लिए राष्ट्रिय न्यूनतम मजूरी

524. **श्री वारियर :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के श्रम सम्बन्धी पैनल ने सिफारिश की है कि मजदूरों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिये विधान बनाया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

योजना तथा कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) और (ख) मजदूरी नीति सम्बन्धी अध्ययन दल के कई सदस्यों और योजना आयोग के श्रम सम्बन्धी पैनल द्वारा गठित सात अध्ययन दलों के अध्यक्षों ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता पर बल दिया था। अतः चौथी योजना के लिए श्रम नीति निर्धारित करते समय इस सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा।

सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋणों पर कानूनी सीमा

528. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री वारियर :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामान्त : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकार द्वारा लिये गये ऋणों की सीमा को कानूनी रूप से निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार का विचार विधान प्रस्तुत करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क): सरकार द्वारा ऋण लिये जाने की सांविधिक सीमा निर्धारित करने के प्रश्न की कई मौकों पर जांच की जा चुकी है। निम्नलिखित कारणों से, सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाना आवश्यक या उचित नहीं समझा।

(1) संविधान के अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत, इस प्रकार का कानून बनाने के लिए अनुमति है, बाध्यता नहीं।

(2) सरकार द्वारा देश के अन्दर और बाहर से जो ऋण लिया जाता है, वह आयोजना में परिकल्पित स्थूल सीमाओं के आदर और बजट में रखे गये वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार लिया जाता है। आयोजना और वार्षिक बजट सम्बन्धी बहसों द्वारा संसद ऋण लेने पर पर्याप्त नियंत्रण रखती है।

3) यदि कानून द्वारा कोई सीमा निर्धारित की जायेगी, तो वह काफी ऊंची रखनी पड़ेगी। ऊंची

सीमा रखने से कोई वास्तविक रोक नहीं लगायी जा सकेगी और सीमा कम रखना अव्यावहारिक होगा और उसके कारण कानून में बार-बार संशोधन करने पड़ेंगे।

(4) व्यावहारिक कारणों से, विदेशों से लिये जाने वाले ऋणों और देश के अन्दर रिजर्व बैंङ्क से लिये जाने वाले ऋणों को, इस किस्म के किसी भी कानून के क्षेत्र से बाहर रखना पड़ेगा। यदि इन ऋणों को छोड़ दिया जाये, तो बाकी ऋणों (अर्थात् बाजार से लिये जाने वाले ऋणों) के लिये संसद की मंजूरी लिये जाने का कोई विशेष महत्व नहीं होगा।

(5) चूंकि भारत की समेकित निधि से, उस प्रकार के व्यय के रूप में निकलने वाली रकम पर, जिसकी वित्त-व्यवस्था ऋणों के जरिये किये जाने का विचार हो, संसद विनियोग सम्बन्धी कानून बनाकर पूरी तरह से नियंत्रण रखती हैं, इसलिए ऋणों की सांविधिक सीमा निर्धारित करने से अतिरिक्त संसदीय संरक्षण की व्यवस्था न हो सकेगी, बल्कि स्थिति के अनुसार फेर-बदल करने की जो गुंजाइश इस समय है, इससे वह भी कम हो जायेगी।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

T.B. patients in Delhi.

529. Shri Naval Prabhakar :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of T.B. patients registered in various hospitals in Delhi and their number as on the 31st March, 1966;

(b) the number of those out of them who were given financial assistance; and

(c) the number of those for whom beds were provided in hospitals as on 31st March, 1966 ?

Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) :

(a) 15891.

(b) 307.

(c) 1506.

Mental Hospital at Shahdara.

530. Shri Naval Prabhakar :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Mental Hospital at Shahdara (Delhi) has started functioning;

(b) if so, the number of beds provided in this hospital for patients ; and

(c) the details regarding the provisions for their treatment ?

Minister for Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) :

(a) Not yet. But it is hoped to commission it within this year.

(b) and (c). It it proposed to start with 116 beds and to provide all modern methods of treatment.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को छात्रवृत्तियाँ

531. श्री दलजीत सिंह श्रीमती सावित्री निगम :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित छात्रवृत्तियाँ सभी राज्यों में अन्तिम परीक्षा के बाद एक वर्ष समाप्त होने पर दी जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1964-65 और 1965-66 में पंजाब में विश्वविद्यालय की परीक्षा के बाद भी ऐसी कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : 1964-65 तथा 1965-66 के दौरान छात्रवृत्तियों का वितरण न किये जाने के बारे में अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । तो भी, अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से माँगी गई है तथा प्राप्त होने पर वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में गावों में बिजली लगाना

532. **श्री दलजीत सिंह :** **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि 1966-1967 में गांवों में बिजली की व्यवस्था करने के लिये एक विशेष ऋण दिया जाय ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

533. **श्री दलजीत सिंह :** **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये पंजाब सरकार को 1965-66 और 1966-67 में अब तक कितनी राशि दी गई ; और

(ख) उक्त अवधि में राज्य द्वारा किस प्रकार उक्त राशि खर्च की गई ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) और (ख) राज्य की सालाना योजना में पहाड़ी क्षेत्रों (लाहौल और स्पिति सहित) के लिए 1965-66 और 1966-67 के दौरान 5.63 करोड़ रुपये तथा 5.36 करोड़ रुपये की पृथक से व्यवस्था की गई है । विकास की मद के अनुसार व्यय-व्यवस्था दर्शाते हुए एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी** 6577/66] राज्यों की योजनाओं में पिछड़े क्षेत्रों के लिए पृथक से कोई व्यवस्था नहीं की जाती है ।

व्यापारी फर्मों को विदेशी मुद्रा

534. **श्री स० चं० सामान्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हन्सदा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष में जनवरी से मार्च, 1966 तक विभिन्न व्यापारी फर्मों के उद्योग-पतियों को विदेशों में भ्रमण करने तथा उनके द्वारा किये गये सभी किस्म के खर्चों के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में उपरोक्त प्रयोजनों के लिए कितनी विदेशी मुद्रा निर्धारित की गई है और अप्रैल-जून 1966 तक की प्रथम तिमाही में इसमें से कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई कटौती लागू की गई है और यदि हाँ, तो वे क्या है और किन कारणों से उन्हें लागू किया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जनवरी-मार्च, 1966 की अवधि में व्यापार सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए 40, 24, 949 रुपये की विदेशी मुद्रा दी गयी थी।

(ख) इन प्रयोजनों के लिए कोई विशेष रकम निर्धारित नहीं की गयी है। इसलिए अप्रैल- जून, 1966 की अवधि में विशिष्ट रकम में से खर्च की गई रकम के दिये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

पश्चिम बंगाल में महिला शरणार्थी शिविर

535. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में स्थायी दायित्व वाले महिला शरणार्थी शिविरों की मरम्मत की जायेगी जिससे कि बरसात में उनके अन्दर पानी न जा सके;

(ख) क्या टीटागढ़ महिला शिविर में मरम्मत का काम आरम्भ कर दिया गया है;

(ग) क्या इन शिविरों में रहने वाले व्यक्तियों की पानी की कमी की कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ और पेय जल वाले नलकूपों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(घ) जो महिलाएं तथा व्यस्क लड़के भूमि के प्लाट तथा पुनर्वास सम्बन्धी लाभ पाने के अधिकारी हैं उन्हें इन सुविधाओं के दिये जाने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :

(क) सामान्य मरम्मत के, जो प्रति-वर्ष पश्चिमी बंगाल के स्थायी दायित्व वाले गृहों में की जाती है, अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो स्थायी दायित्व के गृहों की विशेष मरम्मत की पश्चिम बंगाल ने पहले ही व्यवस्था कर दी है।

(ख) टीटागढ़ के गृहों की मरम्मत के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ग) टीटागढ़ के दो गृहों में नल कूपों की वर्तमान संख्या मंजूरशुदा अनुपात के, अर्थात् प्रति दो सौ (200) व्यक्तियों के लिये एक नल कूप, अनुसार है। टीटागढ़ गृह नं० 3 में फिर से दो नल कूप लगाने के लिये तथा पानी की प्रदाय की स्थिति में सुधार करने के हेतु टीटागढ़ गृह नं० 2 की वर्तमान पाइप लाइन की मरम्मत तथा सफाई के लिये प्रबन्ध किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं।

(घ) विलम्ब का कारण यह है कि शहरी इलाकों में, जहाँ कि परिवारों को फिर से बसाया जाना है, जमीन की बहुत कमी है और वह मिलती भी महंगी है। भूमि अर्जन के लिये सांविधिक औपचारिकतायें पूरी करने पर होने वाले प्रक्रियात्मक बिलम्ब भी इस सम्बन्ध में बाधक हैं।

मोती नगर नई दिल्ली में जल सम्भरण

536. **श्री वाल्मीकी :** **श्री काजरोलकर :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री दलजीत सिंह :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री मोती नगर, नई दिल्ली में जल सम्भरण के बारे में 28 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4631 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इस बीच पहली मंजिल पर पानी का दबाव बढ़ा दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दबाव कम होने के कारण "वी०" ब्लाक के कुछ ऊपरी क्वार्टरों (पहली मंजिल) में अब भी काफी पानी नहीं चढ़ता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) :

(क) उपयुक्त इण्टर कनेक्शन देकर पानी का दबाव कुछ हद तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) जी हाँ।

(ग) इस क्षेत्र में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिये वजीराबाद से औद्योगिक क्षेत्र जलाशय तक एक 30 इंची नल तथा औद्योगिक क्षेत्र जलाशय से तिलक नगर तक 36 " × 30 " × 24" नल बिछा दिया गया है। सिर्फ जलाशय से उसे जोड़ने का काम शेष है जिसके अगले दो महीनों में पूरा हो जाने की सम्भावना है। तब काफी राहत मिलने लगेगी। तब तक स्लूयस वाल्वों के विनिमय द्वारा अस्थायी राहत दी जा रही है।

Gold recovered from traders in Laheriasarai

538. **Shri Bhagwat Jha Azad:** **Shri Sonavane :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Raghunath Singh :**

Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 1500 grams of gold was recovered from wool traders in Laheriasarai in May, 1966; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) :

(a) In the month of May, 1966, gold weighing 1589.25 grams and gold ornaments weighing 62,512.522 grams were seized from three licensees under Gold Control Rules and one silver merchant at Laheriasarai. These merchants are also dealing in woollen garments and blankets.

(b) Investigations are in progress.

सरकारी बस्तियों में सड़कों की बत्तियां

539. **श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 5 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4881 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की उन सरकारी बस्तियों में सड़क बत्तियों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस प्रश्न पर विचार करने के लिये नई दिल्ली नगर पालिका तथा मन्त्रालय के बीच कोई बैठक आयोजित की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) इन क्षेत्रों में सड़क-बत्तियों की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) (से) (ग) :

(1) राहजहाँ रोड, (2) पंडारा रोड के भाग (3) पंचकुईयां रोड (टाईप क्वार्टर) तथा (4) रामकृष्णपुरम के बहुमंजिले फ्लैटों में सड़क की बत्तियों की व्यवस्था के प्रश्न पर नई दिल्ली नगर पालिका के प्रतिनिधियों के साथ, निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 16 जून, 1966 को हुई बैठक में विचार किया गया था तथा यह निर्णय किया गया था कि नई दिल्ली नगर पालिका, इन बस्तियों में सड़क की बत्तियों को अपने अधिकार में ले सके तथा उन्हें रोशनी दे सके, इसे ध्यान में रखते हुए सड़क के विवरणों को सार्वजनिक सड़कें घोषित करने का उन्हें संकेत दे दिया जाये। यह भी निर्णय किया गया कि यदि आवश्यक हो तो इस मामले को दिल्ली के मुख्य-आयुक्त के पास ले जाया जाये।

सड़कों के विवरण, नई दिल्ली नगर पालिका के पास भेजे जा रहे हैं आशा की जाती है कि जैसे ही सड़कें "सार्वजनिक सड़कें" घोषित कर दी जायेंगी तथा नई दिल्ली नगर-पालिका के द्वारा उन्हें अपने अधिकार में ले लिया जायेगा, सड़क की बत्तियों को रोशनी दे दी जायेगी तथा अनुरक्षण उन्हीं के द्वारा किया जायेगा।

जहाँ तक रामकृष्णपुरम के नेबरहुड के भाग तथा, तथा नेबरहुडों का प्रश्न है, यह आशा की जाती है कि नगर निगम उन्हें शीघ्र अपने अधिकार में ले लेगा तथा इन क्षेत्रों में सड़क की बतियों को शीघ्र ही रोशनी दे दी जायेगी।

भारतीय अर्थ व्यवस्था

540. **श्री विभूति मिश्र :** **श्री क० ना० तिवारी :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा प्रायोजित अखिल भारतीय प्रबन्धक संघ द्वारा आयोजित किये गये चौथी योजना में प्रबन्ध सम्बन्धी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने 27 मई, 1966 को दिल्ली में कहा था कि भारतीय अर्थ व्यवस्था रुक 'सीज' गई है और हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए क्या मार्गोपाय अपनाए गये हैं?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, मैंने अपने भाषण में कहा था कि बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के साथ साथ साधनों की तंगी एक समस्या है, जिसका चौथी योजना के दौरान देश को अनुशासन तथा दृढ़ संकल्प से मुकाबला करना है। अत्यधिक अनुशासन और दृढ़ स्वावलम्बन की आवश्यकता पर बल देते हुए मैंने कहा था कि हमारी स्थिति की तुलना अवरोध के अन्तर्गत अर्थ व्यवस्था की दशाओं से की जा सकती है। परन्तु जैसा कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है कि मेरे कहने के मुताबिक अर्थ व्यवस्था अवरोध (सीज) के अन्तर्गत है, इस प्रकार न मेरे कहने का तात्पर्य था और न मैंने कहा ही है।

(ख) सीमित साधनों तथा बढ़ती हुई आवश्यकताओं की स्थिति का सामना करने के लिए जो नीति अपनाई जानी है वह विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्पष्ट कर दी गई है। इसमें अपनी सारी शक्ति को अनिवार्य रूप से तीव्र विकास की ओर लगाने, अधिक आत्म-निर्भरता और उत्पादक कार्यों के लिए अधिक मात्रा में घरेलू साधनों को जुटाना है।

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों का उत्थान

541. **श्री विभूति मिश्र :** **श्री क० ना० तिवारी :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1965-66 और 1966-67 में जात-पाँति के भेद भाव को ध्यान में न रखते हुए देश में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिये कोई योजना बनाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या था ?

समाज-कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :

(क) तथा (ख) : जात-पात के भेद-भाव को ध्यान में न रखते हुए आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के उत्थान पर ही क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में बल दिया गया है।

House Building Activities

542. **Shri Bibhuti Mishra :** **Shri K.N. Tiwary :**

Will the **Minister of Works, Housing and) Urban Devclopment** be pleased to state:

(a) the amount spent by Government from 1960 to 25th July, 1966 on house-building;

(b) the amount spent in villages and cities separately ; and

(c) whether it is a fact that Government gives priority to urban house-building over rural house-building ?

Minister of Works, Housing And Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna):

(a) A sum of Rs. 175.93 crores was spent during the financial years 1960-61 to 1965-66 on the Social Housing Schemes of this Ministry

(b) Rs.166.61 crores were spent on Urban Housing Schemes and Rs.7.31 crores on Rural Housing Schemes.

(c) It is intended to make a bigger allocation for rural housing in the Fourth Plan. It has also been decided to raise the loan ceiling for Rs 2000/- to Rs-3000/-.

मध्य पूर्व देशों से चोरी-छिपे लाया गया सोना

543. **श्री राजदेव सिंह :** **श्री बालकृष्ण सिंह :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य-पूर्व देशों, विशेषकर ईरान से खजूरों के आयात करने के काम में लगे हुए देशी जहाज वहाँ से चोरी छिपे सोना लाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन जहाजों की अब तक कितनी बार तलाशी ली गई; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) और (ख) : सन् 1963 से लगाकर अब तक मध्य-पूर्व देशों से तथा ईरान से खजूर लाता हुआ कोई देशी जलयान चोरी छिपे सोना लाता नहीं पकड़ा गया । लेकिन चोरी छिपे माल का लाना ले जाना रोकने के उपायों के रूप में, सीमा शुल्क अधिकारी इन देशों से आने वाले सभी संदिग्ध देशी जलयानों की व्यवस्थित ढंग से खाना-तलाशी लेते हैं ।

(ग) : सवाल ही नहीं उठता ।

"लूप" के आविष्कर्ता की भारत यात्रा

544. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन के लिये लूप के आविष्कर्ता ने मई, 1966 में भारत का दौरा किया;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने सभी परिवार नियोजन केन्द्रों का दौरा किया; और

(ग) क्या उन्होंने लूप के इस्तेमाल के बारे में सरकार के साथ कोई बातचीत की और भारतीय महिलाओं द्वारा लूप के प्रयोग के बारे में उनकी क्या राय थी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर):

(क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं । डाक्टर जैक लिप्स ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, केरल तथा राजस्थान के कुछ परिवार नियोजन केन्द्रों का दौरा किया ।

(ग) जी हाँ। डा० जैक लिप्स ने इस देश में लूप के प्रयोग को बढ़ाने के बारे में भारत सरकार तथा राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत की। डा० लिप्स ने 21-5-66 को आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए कहा था कि भारतीय नारियों ने इस कार्यक्रम का स्वागत किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन राज्यों का मैंने दौरा किया है उनमें से कुछ राज्यों जैसे पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में लूप लगाने का कार्यक्रम बहुत सफल रहा है किन्तु कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में इसने अधिक सफलता प्राप्त नहीं की।

अर्द्धवृत्ताकार छत वाले (शैल टाइप) सरकारी गोदाम

545. **श्री हरिविष्णु कामत :**
श्री नाथ पाई :
श्री हेम बरुआ :
श्री अल्वारेस :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों को जमा करने के काम में लाये जाने वाले कुछ अर्द्धवृत्ताकार छत वाले सरकारी गोदामों में खतरनाक दरारें पड़ गई हैं जिसके कारण वे बेकार हो गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस मामले में पूरी-पूरी जाँच की गई है; और

(घ) इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द्र खन्ना) : (क) से (घ) : नवम्बर 1963 में बनाये गये बोरीविल्ली (बम्बई) में अर्द्धवृत्ताकार छत वाले 106 खाद्यान्न गोदामों में से एक मई 1964 में असफल हो गया था तथा दूसरा जनवरी 1966 में। जाँच के बाद, पहले मामले में असफलता का आरोप ठेकेदार द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण कार्य पर लगाया गया था। ठेकेदार ने निर्णय पर प्रतिवाद किया तथा मामला मध्यस्थ के अधीन है। दूसरे मामले में असफलता के कारणों की जाँच एक समिति कर रही है।

मद्रास में बिजली की कमी

546. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में बिजली की भारी कमी हो गई है और उद्योगों की स्थिति चिन्ताजनक हो गई है जिसके कारण वर्तमान उत्पादन तथा भावी प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) राज्य अधिकारियों से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार नवम्बर और दिसम्बर 1965 में बिजली में उन के द्वारा की गई कटौती को 21-7-66 की अर्ध-रात्रि से हटा दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गर्भपात सम्बन्धी नियम

547. **श्री उमानाथ :** **डा० श्री निवासन :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गर्भपात सम्बन्धी बर्तमान नियमों में ढील देने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) :

(क) और (ख) गर्भपात को कानूनी करार देने के प्रश्न के चिकित्सीय, सामाजिक, नैतिक और आचार सम्बन्धी सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की है। आशा है यह समिति 30 सितम्बर, 1966 तक अपनी रिपोर्ट को दे देगी।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

ब्रह्मपुत्र नदी के लिये बहुप्रयोजनीय योजना

548. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड प्रतिष्ठान के एक विशेषज्ञ ने ब्रह्मपुत्र नदी को नियन्त्रित करने के लिये एक एकीकृत बहुप्रयोजनीय बेसिन सम्बन्धी योजना तैयार करने की सिफारिश की है, जिससे अधिक अच्छा नौवहन, सस्ती पन-बिजली, बाढ़ तथा भूमि के कटाव से होने वाली क्षति से कम हो जाने के रूप में आसाम की अर्थ-व्यवस्था को लाभ होगा; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) जी, हाँ।

(ख) रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

पुलिन (बीच) कटाव बोर्ड

549. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री इम्बीचीबाबा :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक केन्द्रीय पुलिन (बीच) कटाव बोर्ड बनाया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बोर्ड में कितने सदस्य हैं;

(ग) यह बोर्ड कब बनाया गया था;

(घ) क्या इस बोर्ड ने केरल के लिये कुछ योजनाओं का सुझाव दिया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क), (ख) और (ग) : संकल्प की एक प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—65238/66]

(घ) और (ङ) : बोर्ड ने अभी तक किसी विशेष स्कीम का सुझाव नहीं दिया है। परन्तु हाल ही में हुई एक बैठक में बोर्ड ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

(i) 1963-1964 में राज्य का दौरा करने वाले अमरीकी विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई लाइनों पर शीघ्र ही आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्यक्रम और क्षेत्रीय अनुसंधान आरम्भ किया जाए। जिन मदों को देशी सामान से किया जा सकता है उनको शीघ्र ही कर देना चाहिए।

(ii) समुद्री दीवार के बाहरी भाग के लिये कन्क्रीट ब्लाकों को परस्पर जोड़ देने के काम की प्रयोगामत्क आधार पर आजमायश की जाये।

(iii) समुद्री दीवार सहित अथवा उसके बिना लकड़ी के बने व्यवस्थाप्य ठोकरों की प्रयोगात्मक उपायों के रूप में आजमायश की जाये।

केरल में जल सम्भरण योजनायें

550. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री मे० क० कुमारन :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केरल जल सम्भरण बोर्ड ने हाल में केरल की तटीय पट्टियों में अनेक जल सम्भरण योजनायें आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो उसने कितनी योजनायें आरम्भ करने का प्रस्ताव रखा है;

(ग) प्रत्येक योजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा उसमें कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी;

(घ) क्या इनमें से किसी योजना को छोड़ दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) :

(क) जी हां।

(ख) 77।

(ग) इन योजनाओं की अनुमानित लागत की सूची संलग्न है।

सामुदायिक विकास विभाग के स्थानीय विकास कार्यों के कार्यक्रम के अधीन चलने वाली ग्राम जल पूर्ति योजनायें केन्द्र से 100 प्रतिशत अनुदान पाने की अधिकारिणी हैं जबकि राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई योजनाओं के खर्च से चलने वाली ग्राम जल पूर्ति योजनायें 50 प्रतिशत अनुदान पाने की।

इस सूची में दी गई 77 योजनाओं के अतिरिक्त कुट्टनाड के हैजा स्थानिकमारी क्षेत्र की 12 तटीय पंचायतों के लिये एक करोड़ रुपये की लागत की एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

(घ) जी नहीं

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कालीकट 'धोबी खाना' विस्तार योजना

551. **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालीकट नगर निगम की 'धोबी खाना' विस्तार योजना के लिए सहायता देने का वचन दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी धनराशि देना स्वीकार किया;

(ग) इसमें से कितनी धनराशि दी जा चुकी है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक धनराशि नहीं दी;

(ङ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इसके परिणास्वरूप निगम को यह कार्य बन्द करना पड़ा ; और

(छ) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) से (ग) : केरल सरकार ने यह सूचित किया है कि कालीकट नगर निगम ने एक धोबी खाना बनाने के लिए 45,000 रुपये की राशि के दो प्राक्कलन (एस्टीमेट्स) प्रस्तुतकिये हैं । ऐसे मामलों में राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के अनुमोदित प्रतिरूप (पैटर्न) के अनुसार नगर निगम प्राक्कलन के एक तिहाई लागत, 15,000 रुपये के ऋण की पात्र थी, जिसे नगर निगम को दे दिया गया है ।

(घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठता ।

(च) और (छ) : कार्य पूरा हो गया है । नगर निगम ने 16,533 रुपये के ऋण के लिए पुनः आवेदन किया है तथा यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

झुग्गिवासियों को भूमि का नियतन

552. **श्री गुलशन :** **श्री हुकुम चन्द कछवाय :**

श्री बड़े :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को झुग्गी वासी संघ, दिल्ली से हाल में एक ज्ञापन मिला है जिसमें यह मांग की गई है कि उन्हें अन्य सुविधाओं के साथ 80 वर्ग गज के प्लाट स्थायी रूप से दिये जायें;

(ख) यदि हाँ, तो इस ज्ञापन, विशेषतः इस मांग, के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अब तक 80 वर्ग गज के कितने प्लाटों का विकास किया गया है तथा 1967 के आम चुनावों से पहले कितने ऐसे प्लाट बनाये जायेंगे और इनको आवंटित किये जायेंगे ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) और (ख) : मदनगीर कैम्प, नई दिल्ली के झुग्गी-निवासियों की फैडरेशन की ओर से

एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें कि कैम्प के निवासियों को 80 वर्ग गज के प्लाटों के आवंटन, उन्हें आवंटित किये गये प्लाटों में किराये की कमी तथा पानी की सप्लाई, सफाई (सैनीटेशन), परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था में सुधार करने की मांगें की गई हैं। अनधिकृतवासियों (स्क्वैटर्स) की समस्या को शीघ्रता से सुलझाने के लिए फिलहाल केवल 25 वर्ग गज की कैम्पिग साइट का विकास किया जा रहा है तथा पात्र-अनधिकृतवासियों (स्क्वैटर्स) को आवंटित किया जाता है, किन्तु इन अनधिकृतवासियों को जब कभी उपलब्ध होवेंगे तब बने बनाये टैनमैन्टों को या 80 वर्ग गज के प्लाटों को आवंटित किया जायेगा।

पात्र अनधिकृतवासी 6 रुपये प्रतिमाह के सामान्य किराये के स्थान पर 3.50 रुपये प्रति माह का इमदादी किराया तथा इसके साथ 1 रुपया प्रतिमाह पानी तथा स्वच्छता प्रभार दे रहा है तथा इन दरों को और अधिक कम करना सम्भव नहीं। जहाँ तक नागरिक सुविधाओं का प्रश्न है, दिल्ली नगर निगम ने पानी की सप्लाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सफाई, परिवहन, चिकित्सालय (डिसपेन्सरी) आदि की व्यवस्था पहले ही कर दी है तथा इन सेवाओं में सुधार के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) अभी तक विकसित किये गये 80 वर्ग गज के प्लाटों की संख्या 3803 है जिनमें से 3565 को आवंटित कर दिया गया है। फिलहाल 25 वर्ग गज प्लाटों को विकसित करने पर बल दिया जा रहा है।

दिल्ली तथा नई दिल्ली में दुकानों का आवंटन

553. **श्री गुलशन :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नयी दिल्ली के विभिन्न बाजारों (मार्केटस) में, जिनमें सरोजनी नगर शामिल है, दुकानों तथा दुकानों के ऊपर बने फ्लैटों के आवंटन के बारे में क्या प्रकिया अपनाई गई है;

(ख) क्या यह सच है कि सरोजनी नगर मार्केट में फ्लैटों के आवंटन के लिये न तो कोई टेन्डर और न ही कोई प्रार्थनापत्र मांगे गये थे; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) से (ग) : दिल्ली तथा नई दिल्ली के विभिन्न बाजारों में दूकानों का आवंटन विभिन्न व्यापारों के सन्तुलित प्रतिनिधित्व तथा आवेदक के साधनों को ध्यान में रख कर किया जाता है। नये बाजारों में दुकानों के ऊपर के फ्लैटों का आवंटन, आवंटन नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को किया जाता है। सरोजिनी नगर मार्केट में अधिकांश फ्लैटों का आवंटन अनेक वर्ष पूर्व पुनर्वास मन्त्रालय के द्वारा उन व्यक्तियों को क्रमश: आवंटित कर दिये गये हैं जिन्हें कि फ्लैटों के नीचे दुकानें आवंटित की गयी थीं। इस हालत में टेन्डर मंगवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बाबू मार्केट, सरोजिनी नगर

554. **श्री गुलशन :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरोजिनी नगर, नई दिल्ली की बाबू मार्केट 1962 में बनी थी और इस पर भी विशेष रूप से पक्षपात करके उन्हें उसी स्थान पर पक्की दुकानें दी गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अन्य झुग्गीवासियों के सम्बन्ध में 1960 का नियम क्यों लागू किया जा रहा है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क), से (ग) : क्योंकि सरोजिनी मार्केट की दुकानें विनय नगर तथा उसकी निकट की बस्तियों के निवासियों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपर्याप्त सिद्ध हुई थीं, अतएव मार्केट के निकट की भूमि के खुले प्लाट पर विक्रेताओं ने कब्जा कर लिया तथा थोड़े समय के बाद उन्होंने झुग्गियां और बाँस की झोपड़ियां बना लीं। इस प्रकार बने दुकानों के समूह को बाबू मार्केट कहा जाने लगा। ये दुकानें अक्टूबर 1963 में लगी आग से पूर्णतः नष्ट हो गई थी। इसलिए उस स्थान पर एक नया मार्केट बनाया गया तथा दुकानें उन पुराने दूकानदारों को आवंटित कर दी गईं जिनकी दुकानें आग में नष्ट हो गयी थीं।

मेडिकल कालेजों में स्थानों का सुरक्षण

555. **श्री गुलशन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिये पंजाब मेडिकल कालेजों में कोई स्थान सुरक्षित रखे गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो पंजाब के विद्यार्थियों के लिये अन्य राज्यों के मेडिकल कालेजों में कितने स्थान सुरक्षित रखे गये हैं।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नैयर):

(क) पंजाब राज्य के मेडिकल कालेजों में अन्य राज्यों के छात्रों के लिए चार प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं।

(ख) मेडिकल कालेज श्रीनगर में पंजाब सरकार के उम्मीदवारों के लिये पांच स्थान आरक्षित किये गये हैं।

वेसेक्टामी तथा ट्यूबक्टामी आपरेशन

556. **डा० श्री० निवासन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन के लिए स्वेच्छा से वैसेक्टामी तथा ट्यूबेक्टामी आपरेशन कराने वाले लोगों को धनराशि देने के सम्बन्ध में असमानता है, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या एक ही दर से धनराशि देने के कोई प्रस्ताव हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) :

(क) स्वेच्छा से वन्ध्यीकरण आपरेशन कराने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधायें जिनमें नकद पैसा देना भी सम्मिलित है, आपरेशन की प्रकृति तथा उस व्यक्ति की आवश्यकताओं पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए आपरेशन के बाद का इलाज, परिवहन तथा आराम की अवधि में होने वाली मजदूरी की हानि की पूर्ति आदि। वर्तमान में दी जाने वाली इस प्रकार की सुविधाओं का एक विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् द्वारा बनाई गई विशेष समिति के सुझावों के आधार पर इस विषय पर पुर्नविचार किया जा रहा है।

वेसेक्टोमी तथा ट्यूवक्टामी दोनों के लिए	(क) अपने धन्धे में लगे प्रत्येक व्यक्ति को 5-6 दिन के लिए 2 रुपये प्रति दिन के हिसाब से 10 रुपये से 12 रुपये तक उसकी मजदूरी की हानि की क्षति पूर्ति।
	(ख) रोगी तथा उसके साथ आने वाले को परिवहन के लिए 5 रुपये ।
केवल वेसेक्टोमी के लिए	(ग) वेसेक्टोमी कराने वाले केन्द्रीय सरकार के अनौद्योगिक तथा औद्योगिक कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जाती है जो 6 दिन से अधिक नहीं होती ।
केवल ट्यूवेक्टोमी के लिए	(घ) केन्द्रीय सरकारी महिला कर्मचारियों (औद्योगिक और अनोद्यौगिक) को अगर आपरेशन उनके प्रसूति अवकाश में न हुआ हो, 14 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जाती है।

कीनिया में बच्चों का अस्पताल

557. **डा० श्री निवासन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि महात्मा गांधी की शताब्दी की स्मृति के रूप में कीनिया में बच्चों का एक अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके लिए कितना धन देने का वचन दिया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर):

(क) और (ख) केनया में बच्चों का अस्पताल खोलने का कोई सरकारी प्रस्ताव नहीं है। तथापि स्वास्थ्य मन्त्री ने हाल ही में अपनी नैरोवी यात्रा के दौरान स्थानीय भारतीय

लोगों को एक सुझाव दिया था कि वे महात्मा गांधी जन्म शताब्दी मनाने के स्मृतिस्वरूप बच्चों का एक अस्पताल स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं।

यदि वे ऐसा करें तो भारत सरकार उन्हें भारत में बनी चिकित्सा सामग्री आदि देकर उनकी सहायता करने के प्रश्न पर विचार कर सकती है।

पोलियो

558. **डा० श्रीनिवासन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 1964-65 और 1965-66 में, राज्यवार पोलियो रोग के कितने मामलों के समाचार मिले हैं;

(ख) क्या नकद पैसे देकर पोलियो निरोधक वैक्सीन मिल जाते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा. सुशीला नायर) :

(क) 1964-65 और 1965-66 में, राज्यवार, पोलियो रोग के कितने मामले हुए और उससे कितनी मौतें हुई उसका एक विवरण संलग्न है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी** 6540/66]

(ख) जी हाँ।

(ग) खाई जाने वाली वैक्सीन मेसर्स चन्द्र ट्रेडिंग कारपोरेशन, 405, काल्बा देवी रोड, बम्बई से मिल जाती है। उन्होंने हाल ही में रूस से द्रव्य तथा डलियों दोनों रूपों में खायी जाने वाली पोलियो वैक्सीन का भारी स्टाक आयात किया है। इसके अतिरिक्त हैफ्किन इंस्टिट्यूट. बम्बई के निदेशक ने भी रूस से वाणिज्य आधार पर खायी जाने वाली पोलियो वैक्सीन का आयात किया है जो नकद पैसे देक र खरीदी जा सकती है।

भिक्षु-गृह

559. **डा० श्रीनिवासन** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में "भिक्षु-गृह" खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

(क)तथा (ख) : चौथी योजना के दौरान भिक्षुओं के लिए विभिन्न प्रकार की बहुत सी संस्थायें स्थापित करने का विचार है। पर, अब तक इस योजना के ब्यौरे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। यह राज्य सरकारों तथा योजना आयोग की सलाह से किया जा रहा है।

दक्षिणी राज्यों में प्लेग

560. **श्रीमती विमला देवी** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास, मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों में प्लेग पुन: फैल गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में प्लेग न फैले इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) :

(क) मैसूर, मद्रास और आन्ध्र प्रदेश के परस्पर मिलने वाले तीन तालुकों में प्लेग का एक पुराना गढ़ है तथापि 1966 में प्लेग की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य दोनों के स्वास्थ्य अधिकारी इस सम्बन्ध में सतर्क हैं तथा जब कभी भी कोई प्लेग का चूहा मर जाता है अथवा मनुष्यों में प्लेग की कोई घटना हो जाती है तो वे तुरन्त रक्षात्मक उपाय करते हैं।

Family Planning Camps

561. Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government opened 104 Family Planning camps in July this year,

(b) if so, the amount spent on them ; and

(c) the number of operations performed ?

Minister of Health & Family Planning (Dr Sushila Nayar):

(a) to (c) Family Planning camps are generally organised by the State Governments. The information regarding the number of such camps held during the month of July, 1966, the expenditure incurred thereon and the number of operations performed has not so far been received. The Government of India have not opened any Family Planning Camps in July, 1966.

Officers Visiting Abroad

562. Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :-

(a) the number of Government Officers (excluding those of the Minisery of External Affairs) who proceeded to foreign countries during 1964- 65 on official business ; and

(b) the amount of foreign exchange sanctioned to them ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) :

(a) & (b) The information is being collected from the various Ministries/Departments and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Working of Excise Department.

563. Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that a Study Team has been appointed to go into the working of the Excise Department ; and

(b) if so, its composition, personnel and its terms of reference ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) :

(a) No, sir.

(b) Does not arise.

परिवार नियोजन योजनायें

564. **श्री द्वारका दास मन्त्री :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री मा० ल० जाधव :**
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1966 में अब तक विभिन्न राज्यों में परिवार नियोजन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ख) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर):

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों को सहाय्यानुदान देने के लिए 1966-67 के बजट में 970 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । इस कार्य पर राज्य सरकार ने अब तक ठीक ठीक कितना खर्च किया है इसके आंकड़े अभी राज्य सरकारों से प्राप्त होते हैं ।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण नम्बर 1 में दी गई है ।

(ग) अब तक हुई प्रगति संलग्न विवरण नम्बर 2 में दी गई है ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०—6541/66**]

कलामसेरी में बिजली का सब-स्टेशन

565. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **सिंचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा देने में देरी के कारण कलामसेरी के 220 किलोवाट के सब-स्टेशन में उपकरण लगाने का काम रुका हुआ है;

(ख) क्या टर्मीनल उपकरण प्राप्त होने में बिलम्ब के कारण साबरिगिरी जल-विद्युत परियोजना से बिजली की सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) टर्मीनल उपकरण प्राप्त करने के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा मंजूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद):

(क) से (ग): साखपत्र खोलने में अनुभूत कुछ कठिनाइयों के कारण कलामसेरी के 220 किलोवाट उपकेन्द्र के लिए उपकरण प्राप्त करने में कुछ देरी हुई । आशा है कि इन कठिनाइयों को शीघ्र ही हल कर लिया जाएगा । इसी दौरान केवल राज्य बिजली बोर्ड ने स्थाई आधार पर उप-केन्द्र को सुसज्जित करने की कार्यवाही की है ।

जम्मू तथा काशमीर में अस्थिरवासी गूजर

566. **श्री रिशांग किशिंग :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काशमीर में अस्थिरवासी गूजरों को बसाने की कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या है;

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होगा;

(घ) इस योजना को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

समाज-कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)

(क) से (ग) : अस्थिरवासी गूजरों को बसाने के लिए राज्य सरकार ने एक योजना बनाई है, जिस पर चतुर्थ योजना की कालावधि में 23.01 लाख रुपये का खर्च होने की सम्भावना है ।

राज्य सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं का प्रस्ताव किया है :—

		(रुपये लाख की राशियों में)
1.	चलते फिरते स्कूलों की स्थापना	0.75
2.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियाँ देना	0.25
3.	अश्व-पथों में सुधार	5.00
4.	रैन बसेरे तथा विश्राम स्थल	2.00
5.	व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए गूजर तथा बकरवाल जातियों के लड़कों को विशेष छात्रवृत्तियाँ	0.25
6.	क्रय तथा प्रदाय केन्द्रों की स्थापना	1.00
7.	शिल्प केन्द्रों की स्थापना	1.00
8.	दोधी गूजरों के लिए मकान तथा मकानों के वास्ते जमीनें	2.25
9.	चलता-फिरता चिकित्सा एकक	0.33
10.	चलते फिरते पशु-चिकित्सा एकक	1.18
11.	गड हाँजियों तथा डूंगरा हाँजियों के लिए उपनिवेशन योजनायें	3.00
12.	मोचियों तथा वातलों के कल्याण के लिये योजनायें	5.00
13.	श्रव्य चाक्षु साज सामान	1.00
	जोड़	23.01

(घ) : इन योजनाओं पर विचार हो रहा है। यदि ये मंजूर कर ली गई, तो 1966-67 से प्रारम्भ होनी वाली चतुर्थ योजना के दौरान उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा।

तीसरी योजना में सम्मिलित की गई मणिपुर की योजनाएं

567. **श्री रिशांग किशिंग :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना में सम्मिलित योजनाओं के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में मणिपुर के लिये कुल कितनी धनराशि नियत की गई थी;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कितनी प्रतिशत धनराशि वापस लौटाई गई;

(ग) इस धनराशि के वापस लौटाये जाने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसी राशि को वापस लौटाये जाने से रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) **और** (ख) : 1288 लाख रुपये की स्वीकृत व्यय-व्यवस्था के विपरीत, मणिपुर सरकार ने 1966-67 की सालाना योजना के विचार विमर्श के दौरान सम्भावित खर्चा 1397 लाख रुपये बताया। यह 9 प्रतिशत अधिक है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित अदिम जातियों के कल्याण कार्य के लिये धन का नियतन

568. **श्री रिशांग किशिंग :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण कार्यों के लिए संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि नियत की गई थी;

(ख) योजना के दौरान प्रतिवर्ष नियत की गई धनराशि में से कितनी राशि वापिस की गई;

(ग) यदि कोई धनराशि वापिस की गई है तो उसके क्या कारण है; और

(घ) भविष्य में समाज कल्याण कार्यों के लिए नियत राशि को वापिस किये जाने से रोकने के लिए यदि कोई उपाय किए गए हैं, तो वे क्या हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :

(क) से (घ): यह सूचना विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Eradication of Cholera and Smallpox

569. **Dr. Ram Manohar Lohia : Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have conveyed their thanks to the World Health Organisation for their help in eradicating Malaria in India ;

(b) whether it is a fact that that Organisation has been requested to formulate a scheme jointly with Government regarding eradication of Cholera and Small-pox ;

(c) if not, the reasons thereof ;

(d) whether Government have estimated the number of deaths caused by these two epidemics every year ; and

(e) if so, the conclusions arrived at ?

Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar):

(a) The Union Minister for Health and Family Planning in her address to the 19th World Health Assembly thanked the International and Bilateral organisations for their assistance.

(b) No The World Health Organisation is however, providing assistance for the successful implementation of the Cholera Control Programme and the National Smallpox Eradication Programme.

(c) Does not arise.

(d) A statement giving the year-wise number of notified deaths due to Cholera and Smallpox is given below:-

Year	No. of notified deaths.	
	Cholera	Smallpox.
1963	20,309	26,360
1964	19,836	11,831
1965	12,743 *	8,739 *
1966 (upto 2.7. 66)	774 *	4,912 *

(e) It will be observed from the above statement, that there has been a progressive decline in the number of deaths from Cholera and Smallpox from year to year.

Adivasis

570. **Shri Uttya : Shri Madhu Limaye :**

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have issued any directives to safeguard the traditional rights of Adivasis in respect of Harkhanda, Dharkhanda and Jalawan with a view to discharge their responsibility under Article 339 of the Constitution ;

(b) the number of States where such rights are being enjoyed by the Adivasis at present ; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Smt. Chandrasekhar) :

* Figures are provisional.

(a) to (c) Article 339 of the Constitution empowers the giving of directions with reference to the preparation and execution of welfare schemes, and there is no reference in this article to protection of traditional rights. There is no information about these traditional rights and no directions have peen issued by the Central Government in respect of Harkhanda, Dharkhanda and Jalawan.

दिल्ली के आसपास नई बस्तियों की खाका सम्बन्धी योजनाएं

571. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने जनता को यह चेतावनी दी है कि वह सम्बन्धित अधिकारी से खाका सम्बन्धी योजनाओं (ले-आउट प्लान्स) की जांच करवाये बिना अनधिकृत भूमि न खरीदे ;

(ख) क्या यह सच है कि सम्बन्धित अधिकारी ने खाका सम्बन्धी योजनाओं की स्वीकृति देने के पश्चात् स्वीकृति वापस ले ली जिसके फलस्वरूप अनेक नई बस्तियां बसाने वाले (कालोनाइजर्स) को अत्याधिक कठिनाई हुई तथा काफी नुकसान हुआ ; और

(ग) दिल्ली के आसपास नई बस्तियों के खाका सम्बन्धी योजनाओं को शीघ्र अन्तिम रूप देने तथा कालोनाइजरों की करार अवधि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द्र खन्ना) :

(क) जी हाँ।

(ख) ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है ।

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा नई बस्तियों के ले-आउट प्लान पर उसके बाद विचार किया जायेगा जब कि दिल्ली डवलपमेंट आथरटी के द्वारा जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप दे दिया जाये तथा सरकार के द्वारा अनुमोदित हो जाये ।

एर्णाकुलम में तापीय बिजली घर

572. **श्री रामचन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **सिचाई और विद्युत** मन्त्री 20 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न सं० 3932 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्णाकुलम में एक तापीय बिजली घर स्थापित करने की योजना पर इस बीच विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) तथा (ख) : कोचीन में एक तापीय संयंत्र स्थापित करने की एक स्कीम स्वीकार की गई है । इसमें 352 लाख रुपये की अनुमति लागत पर 30 मैगावाट क्षमता के एक तापीय बिजलीघर का प्रतिष्ठाप सम्मिलित है, यह बिजली घर कोचीन तैलशोधक कारखाने से उपलब्ध भट्टी का तेल प्रयोग में लाएगा ।

दरभंगा राज की सम्पत्ति

573. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दरभंगा के स्वर्गीय महाराजा द्वारा दरभंगा राज को जो सम्पत्ति दरभंगा विश्वविद्यालय के लिये न्यास सम्पत्ति के रूप में दे दी गई थी, उसे न्यासी द्वारा उसके वास्तविक मूल्य से बहुत कम मूल्य पर बेचा जा रहा है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त सम्पत्ति पर सभी सरकारी कर वसूल कर लिये हैं; और

(ग) क्या इस सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य पता लगाने के लिये कोई जांच की जा रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) अभी तक सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) न्यासियों पर कर का कोई दायित्व नहीं है । चूँकि इन सम्पत्तियों का दान सार्वजनिक धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए किया गया था, इसलिए दान-कर का भी कोई दायित्व नहीं है, और चूंकि उक्त प्रयोजनों के लिए यह दान स्वर्गीय महाराजा की मुत्यु के 6 महीने से भी अधिक समय पहले दिया गया था, इसलिए मृत सम्पत्ति शुल्क का भी दायित्व नहीं है ।

(ग) जी, नहीं । राजस्व की दृष्टि से ऐसी जांच-पड़ताल करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

Water Supply to Vikram Nagar Colony.

574. **Dr. Ram Manohar Lohia : Shri Ramsewak Yadav :**
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Vikram Nagar Colony is in existence for the last eighteen years, but no arrangements for water supply have been made there so far ;

(b) whether it is also a fact that despite many representations, no action has been taken so far ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) :

(a) and (b) : Yes ; the colony is in existence for about eighteen years. There are about a dozen water hydrants in the colony which supply filtered water to the residents.

(c) The colony has been built up in an area which has been shown as "green" in the Master Plan for Delhi. The inhabitants of this colony will have to be shifted elsewhere as soon as possible. The Delhi Municipal Corporation do not propose to incur an infructuous expenditure on the provision of piped water supply in this colony which is expected to be shifted from its present site before long.

सरकारी कर्मचारियों के लिये उपदान (ग्रेच्युटी) नियम

575. **डा० श्रीनिवासन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक समान नीति निर्धारित करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले ग्रेच्युटी नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हाल के वर्षों में स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों पर लागू नियमों को पहले ही पुनरीक्षित कर दिया गया है ।

पीने के लिये भूमिगत जल

576. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीने के लिये भूमिगत जल का उपयोग करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क) और (ख) जहाँ कहीं भी जल विज्ञान सम्बन्धी परिस्थितियां अनुकूल पाई जाती हैं वहां उथले तथा गहरे कुओं के माध्यम से भूमिगत जल को पीने के काम में लाना, पेय जल पूर्ति योजनाओं का आधार हैं । गहरे तल से भूमिगत जल निकालने के लिए ज्योलौजिकल सर्वे आफ इण्डिया तथा एक्स-प्लोरेटरी ट्यूब वैल्स आर्गेनाइजेशन की सेवायें भी उपयोग में लाई जा रही है । संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की सहायता से राजस्थान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मद्रास राज्यों तथा दिल्ली में भी जिन स्थानों में भूमिगत जल मिलने की आशा है, जल स्रोत खोजे जा रहे हैं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में 'लूप' सम्बन्धी प्रचार

577. **श्री हरि विष्णु कामत** : **श्री क० ना तिवारी** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान राजधानी में अशिष्टतापूर्ण चित्रों द्वारा परिवार नियोजन के लिये लूप का प्रचार करने वाले बोर्डो की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे भद्दे बोर्डो को हटाने तथा अधिक उपयुक्त बोर्ड बनाने का है ; और

(घ) क्या सरकार राज्य सरकारों को भी ऐसा ही परामर्श देगी ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) :

(क) और (ख) जी नहीं । कुछ लोगों ने कतिपय डिजायनों को पसन्द नहीं किया है जबकि अन्यों ने उन बोर्डों के लिए सरकार को बधाई दी है । आधुनिकतम विधियों को जनता के ध्यान में लाने का उद्देश्य पूरा हो गया है।

(ग) अपने सामान्य क्रम में इस डिजायन को हर तीसरे महीने बदला जाना था । बोर्डो को बदला जा रहा है । जनता को निरन्तर प्रेरित करते रहने के लिये नये डिजायन तैयार किये जा रहे हैं ।

(घ) राज्य सरकारों ने ये बोर्ड लगाये ही नहीं हैं अतः उन्हें सलाह देने का प्रश्न नहीं उठता ।

करेंसी नोट

578. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री श० ना० चतुर्वेदी :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जून, 1966 के स्टेट्समैन में "रैड टेप बाइन्ड्स ए पैकेट आफ 1,000 रुपी नोट्स' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस में कही गई बातें कहां तक सच हैं ; और

(ग) अधिक मूल्य के नोटों को बदलने के लिये 28 फरवरी, 1947 से पहले किये अन्य कितने दावे अभी तक निर्णय के लिये पड़े हैं तथा वे किस स्थिति में हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी):

(क) जी हां

(ख) श्री एम० के० बैयाद ने हजार-हजार रुपये के सोलह नोट बदलवाने के लिए 27 मई, 1946 को, अर्थात् उस तारीख (26 अप्रैल, 1946) के बाद एक घोषणा-पत्र पेश किया था जिस तारीख तक इस प्रकार के नोटों के विनिमय के दावों को स्वीकार करने की बात अधिसूचना में कही गयी थी । चूंकि ऐसी अपवादजनक परिस्थितियां नहीं थीं जिनमें, आदेशों में ढील देना उचित होता, इसलिए श्री बैयाद का दावा 25 फरवरी, 1947 को नामंजूर कर दिया गया ।

(ग) कोई दावा विचाराधीन नहीं है ।

सिंचाई क्षमता

579. **श्री पे० वेंकटासुब्बया :** **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पैदा की सिंचाई क्षमता के उपयोग के सम्बन्ध में कोई नवीनतम अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई मूल्यांकन किया गया है कि इसका उपयोग न किये जाने के लिए केन्द्र तथा राज्यों में प्रशासन व्यवस्था कहां तक उत्तरदायी है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) और (ख) : सिंचाई शक्यता के उपयोग के सम्बन्ध में एक विस्तृत अनुमान लगाया था और तारांकित प्रश्न संख्या 349 के उत्तर में 3 मार्च, 1966 को लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा गया था। विवरण में सम्बन्धित प्रशासन व्यवस्था को सुधारने के विविध उपाय बताए गए हैं।

दिल्ली में अनधिकृत इमारतें

580. **श्री राम हरख यादव :** **श्री श्रीनारायण दास :**

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में अनधिकृत इमारतों को गिराये जाने का काम पूरी गति से चल रहा है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के हेतु सरकार ने और अधिक दस्ते (स्क्वाड्स) स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ग) कितने अनधिकृत मकानों का गिराया जाना अभी बाकी है ; और

(घ) इस बरसाती मौसम में बेदखल किये गये व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) और (ख) : जी हां। डिमोलीशन स्क्वाड्स की संख्या बढ़ा दी गयी है।

(ग) और (घ): सूचना मिली है कि सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि पर लगभग 50,000 परिवार अनधिकृत रूप से बैठे हुए हैं। जिन क्षेत्रों पर अनधिकृत रूप से वे बैठे हुए हैं, उनकी जब कभी सफाई शुरू की जायेगी तो जो परिवार झुग्गी-झोपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे उन्हें वैकल्पिक वास दिया जायेगा।

केरल में कैंसर के मामले

581. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केरल राज्य में इस समय कैन्सर रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या क्या है ;

(ख) कैन्सर के उपचार के लिए इस राज्य में क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने कालीकट के मेडिकल कालेज अस्पताल में आधुनिक तरीके से कैन्सर का उपचार करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क) 1964 में, जिसका कि व्यौरा उपलब्ध है, कैन्सर के 4590 रोगियों का इलाज किया गया।

(ख) इसके इलाज की सुविधायें मेडिकल कालिज, कालीकट, जनरल अस्पताल, एर्नाकुलम् तथा मेडिकल कालिज अस्पताल, त्रिवेन्द्रम में उपलब्ध हैं।

(ग) भारत सरकार, द्वारा नियुक्त कैन्सर समिति मौजूदा सुविधाओं का अध्ययन करने तथा यदि आवश्यक और सम्भव हुआ तो उनके विस्तार की सिफारिश करने के लिए निकट भविष्य में केरल का दौरा करेंगी ।

Vasectomy Operations.

582. **Shri Kashi Ram Gupta :** **Shri Balmiki :**

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a)whether a man operated for vasectomy can again be operated for gaining reproductive capacity :

(b) whether Government have collected any data about its success and if so, what is the percentage :

(c) whether any such operation facilities are available in Delhi : and

(d) if the reply to part (c) above be in affirmative, the names of the Hospitals or Centres where such facilities are available ?

Minister of Health & Family Planning (Dr. Sushila Nayar):

(a) Yes, Sir.

(b) Late Dr. G.M. Phadke of Bombay performed such operations on 50 cases, 45 of these cases (90%) proved to be successful. In their cases semen became positive for spermatozoa after the operation and wives of 32 of these persons became pregnant.

(c) & (d) No special facilities are available but anyone who wishes so can go to a surgeon and seek assistance in any of the hospitals.

पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

583. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** **श्री हेमराज :**

श्री हरि विष्णु कामत : **श्री दलजीत सिंह :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने योजना आयोग से कहा है कि वह पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करने के लिये पृथक विशिष्ट योजनायें तैयार करें; और

(ख) यदि हाँ, तो ये योजनायें क्या हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे की रूपरेखा अन्तिम रूप से तैयार हो जानेके बाद योजना आयोग सम्बन्धित राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सरकारों को पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के बारे में लिखेगा और इन क्षेत्रों के विकास के मार्गदर्शन के लिये कुछ निर्देश भी देगा जिनके आधार पर पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किये जा सकेंगे और चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में शामिल कर लिए जायेंगे ।

Damage to Buildings due to Tremors in Delhi

584. **Shri Mohan Swarup :** **Shri Hari Vishnu Kamath :**

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether any damage has been caused to the buildings in Delhi as a result of tremors felt on the 27th June, 1966 ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the extent of damage caused thereby ;

(d) whether an inquiry has been or is being held in the matter with a view to ascertain whether inferior or defective material was used in construction was a contributory factor in the damage caused ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) :

(a) to (e) . As a result of the tremors, no structural damage has been caused to any of the buildings constructed by or under the charge of the Central Public Works Department. Some minor cracks have appeared in the Transport Bhavan, Shram Shakti Bhavan, Rail Bhavan, and the National Institute of Education and bungalow No. 10, Presidents Estate (South Avenue) The cracks have not been caused due to the use of any inferior or defective materials as examination of works during execution or after completion by the Chief Technical Examiner of the Central Vigilance Commission safeguards against the use of such materials.

नेफा का आर्थिक विकास

585. **श्री अ० चं० बरुआ :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा के लिये एक आर्थिक विकास योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों के लिये नियत परिव्यय तथा योजना में शामिल की गई मुख्य-मुख्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्कूलों के बच्चों का स्वास्थ्य

586. **डा० महादेव प्रसाद:** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूलों के तथा स्कूलों के बाहर के भारतीय युवकों का स्वास्थ्य धीरे-धीरे गिर रहा है; और

(ख) देश में राज-सहायता प्राप्त तथा मान्यता प्राप्त स्कूलों के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) :

(क) इस निष्कर्ष की सत्यता प्रमाणित करने के लिये कोई अध्ययन अथवा अन्य कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) सरकार ने स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया है जिसे राज्य सरकारों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा अधिकारी स्कूलों में कार्यान्वित कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों की भी अपनी अलग स्वास्थ्य योजनायें हैं।

स्वास्थ्य कार्यक्रम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

(1) स्कूलों में नये भरती होने वाले सभी बच्चों की मेडिकल जाँच, शारीरिक त्रुटियों का पता लगाना तथा प्राथमिक स्कूलों में ही, जहां तक सम्भव हो, उनको दूर करना तथा सुधारना।

(2) चेचक, क्षय, डिपथीरिया, आदि जैसे कतिपय संचारी रोगों के प्रति सभी स्कूल जाने वाले बच्चों का निरापदीकरण।

(3) अध्यायकों को स्वास्थ्य तथा पोषण एवं बच्चों की स्वास्थ्य शिक्षा के सम्बंध में पुनश्चर्या प्रशिक्षण देना।

(4) स्कूलों में उचित सफाई रखना तथा उनके लिये सुरक्षित जल की व्यवस्था करना।

(5) माध्याह्न आहार कार्यक्रम।

(6) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा स्कूलों में स्वास्थ्य की शिक्षा; और

(7) केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तर पर स्कूल स्वास्थ्य प्रशासन को सुदृढ़ करना।

भारत-नेपाल सीमा पर भूमि सीमा शुल्क केन्द्र

587. **डा० महादेव प्रसाद :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-नेपाल सीमा पर कितने तथा किन-किन स्थानों पर सीमा शुल्क केन्द्र हैं; और

(ख) चोरी-छिपे भारत से नेपाल को किस प्रकार की तथा कितने मूल्य की वस्तुएं ले जाई जाती हैं तथा नेपाल से भारत में किस प्रकार की और कितने मूल्य की वस्तुएं भारत में लाई जाती हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) भारत-नेपाल सीमा पर कोई स्थल कस्टम स्टेशन नहीं है। लेकिन नीचे लिखी 17 सीमा चौकियाँ हैं:—

1. जोगबनी (बिहार)
2. जयानगर (बिहार)
3. रक्सौल (बिहार)
4. गलगलिया (बिहार)
5. निर्माली (बिहार)
6. बैरगानिया (बिहार)
7. बिखानाथोरी (बिहार)
10. नेपाल गंज (उत्तर प्रदेश)
11. टनकपुर (उत्तर प्रदेश)
12. पिथौरा गढ़ (उत्तर प्रदेश)
13. तिकोनिया (उत्तर प्रदेश)
14. बरहानी (उ० प्र०)
15. गौरीफांटा (उ०प्र०)
16. जारवा (उ० प्र०)

8. सोनबरसा (बिहार)
9. नौतनवा (उत्तर प्रदेश)
17. सुखिया पोखारी (पश्चिम बंगाल)

(ख) विदेशों में बना जो माल नेपाल से भारत में चोरी छिपे लाया जाता है उसमें उपभोग के सामान जैसे घड़ियां, ट्रांजिस्टर, सिगरेट लाइटर, कैमरे, वस्त्र, सेफ्टी रेज़र, सौंदर्य प्रसाधन आदि होते हैं। 1965 में और 1966 में (जून तक) पकड़े गये ऐसे माल का मूल्य लगभग 1,68,000 रुपये और 1,06,000 रुपये है। खयाल है कि भारत से नेपाल में चोरी छिपे ले जाया जाने वाला माल नगण्य है।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में पीने योग्य पानी की समस्या

588. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभाव तथा कठिन परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में पीने योग्य पानी की व्यवस्था करने की समस्या का अनुमान करने के लिये विशेष जांच सैलों द्वारा प्रत्येक राज्य में सर्वेक्षण आरम्भ किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) अगस्त 1962 में प्रत्येक राज्य में विशेष ग्राम्य जल सम्भरण जाँच प्रभाग स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी। सब राज्यों में ऐसे प्रभाग (डिविज़न) स्थापित किये गये हैं, केवल जम्मू तथा काश्मीरराज्य में एक सब-डिविजन ही स्थापित किया गया है और नागालैंड में इस योजना के अन्तर्गत कोई प्रभाग स्थापित नहीं किया गया।

(ख) इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य अभाव तथा कठिन परिस्थितियों वाले क्षेत्रों की जन संख्या वहाँ उपलब्ध पय जल की सुविधाओं, निकटस्थ जल संसाधनों की उपलब्धता की मात्रा तथा किस्म तथा पाइपों द्वारा जल सम्भरण पर होने वाली अनुमानित लागत आदि के लिये सामग्री एकत्रित करना है। ऐसा समझा जाता है की प्रत्येक गाँव के लिये अथवा कुछ गाँव के लिये जल सम्भरण की इंजीनियरी रिपोर्ट तथा अति व्यवहारिक योजना का अनुमान भी उस सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित होंगे।

अधिकतर राज्यों में प्राथमिक सर्वे तथा अनुमान का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब तक प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर देश में कठिन तथा अभाव वाले क्षेत्रों में रहने वाली जन संख्या को पय जल सम्भरण करने की योजना पर मोटे तौर पर 630 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

Artificial Kidneys.

589. **Dr. Mahadeva Prasad :**

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that artificial kidneys are being manufactured and used in U.K. ; and

(b) if so, whether Government propose to take action to manufacture kidneys in India also ?

Minister of Health and Family Planning (Dr Sushila Nayar) :

(a) As far as Government is aware attempts are being made to manufacture artificial kidneys in an isolated manner.

(b) The question of manufacturing artificial kidneys in this country depends on the availability of components from abroad and the question of fabricating these units in this country will therefore depend on the availability of foreign resources.

"Dr. V.K.R V. Rao's visit to U.K."

590. **Dr. Mahadeva Prasad;**

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state .

(a) whether it is a fact that Dr. V.K.R.V. Rao, Member, Planning Commission had visited U.K. in June, 1966, to study the inevitable relationship between technical education and practical experience in industry ;

(b) if so, whether he has submitted any report to the Planning Commission on return from his visit ; and

(c) if so, the salient features of the report ?

Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asoka Mehta):

(a) Yes, Sir.

(b) A report is expected to be submitted shortly.

(c) Does not arise.

इन्द्रप्रस्थ बिजली घर

591. **श्री द्वारका दास मंत्री : श्री मधु लिमये :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 जून, 1966 को दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ बिजली घर की नाली (डक्ट) में बाढ़ का पानी भर गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इससे बिजली घर को कितनी क्षति हुई; और

(ग) इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) 23-24 जून, 1966 की रात को इन्द्रप्रस्थ केन्द्र वि (परियोजना की परिवाही जल प्रणाली की निस्सार नाली में बाढ़ का पानी चला गया।

(ख) किसी भी संरचना कार्य, संयंत्र तथा उपकरण को व हानि नहीं पहुंची।

(ग) इसकी जाँच की जा रही है।

विवाहों का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन)

592. **श्री द्वारका दास मंत्री :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय परिवार नियोजन बोर्ड ने विवाहो का अनिवार्य पंजीयन करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) :

(क) से (ख) जी नहीं। किन्तु 27 और 28 जून, 1966 को बंगलौर में हुई अपनी बैठक में केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् ने विवाहों के पंजीयन के बारे में एक सुझाव पर विचार किया तथा एक प्रस्ताव पारित किया जिसकी एक प्रति संलग्न है।

इस बात पर विचार करते हुए कि परिवार नियोजन सम्बन्धी शिक्षा के क्षेत्र में नव-विवाहितों का एक महत्वपूर्ण स्थान है और उनका तुरन्त पता लगाने के लिये सामान्यतया कोई सन्तोषजनक पद्धति नहीं है केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् यह सुझाव रखती है कि जन्म और मृत्यु के पंजीयन में सुधार के साथ विवाहों के पंजीयन की पद्धति का भी प्रचार किया जाय।

उच्च-न्यायालयों में आयकर के अनिर्णीत मुकदमे

593. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों में इस समय निर्णय के लिये आयकर के ऐसे कुल कितने मुकदमे पड़े हैं जो करदाताओं और आयकर विभाग द्वारा दायर किये गये हैं; और

(ख) 1963, 1964 और 1965 में कुल कितने मामले तय किये गये ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना 31-3-66 को जैसी स्थिति थी उसके बारे में है। इसके अनुसार 31-3-66 को नीचे लिखे अनुसार मामले बकाया थे :—

(i) कर निर्धारितियों की ओर से निर्णय के लिए पेश किये गये मामले	1747
(ii) विभाग की ओर से निर्णय के लिए पेश किये गये मामले	1707
(iii) जोड़	3454

(ख) 1963-64 और 1964-65 के वित्तीय वर्षों में निपटाए गये उक्त प्रकार के मामलों की कुल संख्या उपलब्ध है और वह नीचे दी गयी है :—

(i) 1963-64	698
(ii) 1964-65	712
(iii) जोड़	1410

कलकत्ता न्यायालय में तस्करी का मामला

594. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता में सीमा- शुल्क अधिनियम के अधीन एक मामले की ओर दिलाया गया है जिसमें मुख्य प्रेजीडेन्सी दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) ने 29 जून को अभियुक्तों को रिहा कर दिया था क्योंकि कलकत्ता के सीमा-शुल्क अधिकारी ने उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की थी हालाँकि जाँच दिसम्बर, 1965 में आरम्भ हो गई थी;

(ख) क्या जाँच कई लाख रुपयों की विदेशी घड़ियों और दीवार घड़ियों (क्लाक) के पुर्जों के पकड़े जाने के पश्चात् आरम्भ की गई थी जो कहा जाता है कि अखिल भारतीय षड्यंत्र में आयात किये गये थे; और

(ग) क्या इस षड्यंत्र की जांच केन्द्रीय जांच विभाग भी कर रहा है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जी हाँ।

(ख) कलकत्ता की दो कम्पनियों द्वारा जाली लाइसेन्स से हाथ घड़ियों के व मेज घड़ियो के पुर्जे आयात किये जाने की सूचना मिलने पर जांच-पड़ताल शुरू की गई थी।

(ग) जी हाँ।

राष्ट्रीय गृह-निर्माण निगम

595. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय गृह-निर्माण निगम ने खराब हुए औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी सामान से नया इमारती सामान बनाने का तरीका निकाला है ताकि प्रचलित इमारती सामान पर अधिकतर निर्भर न करना पड़े;

(ख) यदि हाँ, तो यह नया सामान ठीक ठीक किस प्रकार का है; और

(ग) क्या यह सामान आजकल प्रयोग किये जा रहे प्रचलित सामान से सस्ता होगा अथवा महंगा ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) राष्ट्रीय (भवन) निर्माण संगठन ने खराब हुए औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी सामान से कोई नया इमारती सामान बनाने का तरीका नहीं निकाला है। तथापि, वह मद्रास तथा पश्चिमी बंगाल सरकार को सेल्यूलर कार्नक्रीट प्लान्ट्स की स्थापना करने तथा थर्मल पावर स्टेशनों के खराब उत्पादन (वेस्ट प्राडक्ट) लाईम तथा फ्लाई एश का उपयोग करने में तकनीकी सहायता दे रहा है।

(ख) सैल्यूलर कन्क्रीट एक हल्के वज़न का इमारती सामान है तथा इसका उपयोग

इमारती खंडों में ईंटों के स्थान पर तथा प्रबलन (रिएनफोर्समेंन्ट) के साथ छतों के शिला-खंडों (स्लैब्स) के रूप में भी किया जा सकता है।

(ग) कलकत्ता तथा मद्रास में आजकल उपयोग किये जा रहे प्रचलित सामान से यह सस्ता होगा।

दामोदर घाटी निगम कमान क्षेत्र में सिंचाई

596. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों की पानी की बढ़ती हुई माँग के कारण दामोदर घाटी निगम को दामोदर घाटी निगम कमान क्षेत्र में सिंचाई के लिये न्यूनतम अपेक्षित मात्रा में पानी देने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का इस बात के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि सम्बन्धित क्षेत्र में पानी की कमी से सिंचाई कार्य को हानि न हो ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नजफगढ़ नाला

597. **श्री हरि विष्णु कामत** : **श्री ओंकार लाल बेरवा** :

श्री बड़े :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में नजफ़गढ़ नाले के साथ बनाया गया एक बाँध पूरा होने के पन्द्रह दिन बाद ही टूट गया,

(ख) यदि हाँ, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिये किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराने के लिये कोई जाँच की गई है अथवा की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) नजफगढ़ नाले के साथ कोई तटबन्ध नहीं टूटा है। किन्तु रूप नगर और विजय नगर के बीच तथा रूप नगर और जी० टी० रोड के बीच के भाग में नाले के दक्षिण तट के साथ प्रस्तर कार्य को कुछ हानि पहुँची है।

(ख) सब्जी मण्डी क्षेत्र के साथ पड़ने वाले भाग का समस्त दक्षिण क्षेत्र बहुत पक्की तरह से बनाया गया है और यह नजफगढ़ नाले के दक्षिण किनारे के बहुत पास है। यहाँ पर नमी को सोखने के लिए अधिक हरियाली नहीं है और क्षेत्र में पड़ने वाला समस्त वर्षा जल

शीघ्र ही नजफगढ़ नाले में डाल दिया जाता है। 22 और 23 जून 1966 के बीच की रात्रि को इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षापात हुआ जिसके परिणास्वरूप नजफगढ़ नाले को जाने वाली गलियों और छोटी नालियों में प्रचंड धारा प्रवाह हुआ। जल की यह प्रचंड धारा नाले के दक्षिण ओर के प्रस्तर कार्य पर से गुजर गई और इसकी कुछ भागों में हानि पहुँचाई।

(ग) तथा (घ) केन्द्री जल तथा विद्युत आयोग के अध्यक्ष द्वारा जांच की जा रही है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम

598. **श्री बासप्पा :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री लिंग रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् ने अपने कार्यक्रमों को अधिक कारगर बनाने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में अधिक धन मांगा है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सूशीला नायर) :

(क) और (ख) जी हाँ। यह विषय विचाराधीन है।

सेनिक कर्मचारियों के जीवन बीमा निगम के दावे

599. **श्री बासप्पा :** **श्री काशी राम गुप्त :**

श्री बड़े:

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने उन सैनिक कर्मचारियों के सारे दावे अब तक पूरी तरह से निपटा दिये हैं जिनके बारे में सरकार ने यह मान लिया था कि वे पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई में मारे गये हैं; और

(ख) दावों का भुगतान किस प्रकार किया गया है तथा बीमे की राशि कितनी थी ?

वित मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

Food Poisoning Cases in Delhi

600. **Shri Bade :**

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the condition of 50 employees of Petroleum and Chemicals Ministry, who took poisoned sweets, is very serious ;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) :

(a) No. There was some gastric upset among 45 persons. One of them was admitted in the Safdarjung Hospital and one in the All India Institute of Medical Sciences, where they were kept for the night and discharged the next day.

(b) No specific reasons could be traced. Samples of Khoa, which was suspected to be responsible for the gastric upset, were taken, but nothing wrong was found either on bacteriological or chemical examination under the Prevention of Food Adulteration Act.

(c) The concerned shop was closed for a week till the investigation was completed.

Gold smuggling in Bombay

601. **Shri Bade :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Bureau of Investigation recovered 560 tolas of contraband foreign gold, incriminating documents and one thousand rupees from a flat at Kalba Devi Road, Bombay during the last week of June, 1966 ;

(b) if so, the name of the place from where this gold was brought and

(c) the action taken against those persons ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) :

(a) On 28th June, 1966, the officers of the Central Bureau of Investigation recovered 560 tolas of gold bearing foreign markings, Indian currency amounting to Rs. 9,100/- and some incriminating documents from a flat at Kalbadevi Road, Bombay.

(b) & (c) Two persons were arrested. The case is under investigation.

राज्यों का आर्थिक विकास

602. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली दो पंच वर्षीय योजनाओं में विभिन्न राज्यों का आर्थिक विकास किस अनुपात से हुआ ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल राज्य में यह अनुपात धीरे-धीरे कम होता जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में राज्यों के विकास की आय की अनुमानित दर दर्शाते हुए एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०**—6542/60]

(ख) और (ग) : दूसरी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल के विकास की औसत सालाना दर 5.4 प्रतिशत थी जबकि पहली योजना के दौरान 3.8 प्रतिशत थी । पहली दो योजनाओं के दौरान पश्चिम बंगाल के विकास की दर कम नहीं हुई है। परन्तु ऐसा

मालूम होता है कि तीसरी योजना में, समस्त देश की निम्न दर के साथ पश्चिम बंगाल की दर में भी गिरावट आ गई है।

आयकर अधिकारियों की परीक्षा का स्थगित किया जाना

603. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिकारियों (श्रेणी दो) की भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दूसरी बार स्थगित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब यह परीक्षा कब होगी ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) और (ख) आयकर अधिकारियों, श्रेणी–II, की भर्ती के विज्ञापन में लिखित परीक्षा के लिए निश्चित तारीखों की घोषणा नहीं की गई थी परन्तु यह कहा गया था कि परीक्षा मई, 1966 में किसी समय होगी। उस विज्ञापन के उत्तर में अप्रत्याशित रूप से अधिक संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त होने के कारण परीक्षा के लिए 17 और 18 जून 1966 की घोषणा की गई थी।

एक उम्मीदवार द्वारा, जिसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी, दायर की गयी अधिकार-याचिका (रिट-पिटीशन) पर आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी अन्तरिम आज्ञा के आशय को ध्यान में रखकर आयोग ने 17 और 18 जून, 1966 को होने वाली लिखित परीक्षा स्थगित कर दी है। कुछ आयकर निरीक्षकों ने भी कलकत्ता के उच्च न्यायालय में इस तर्क पर दो अधिकार-याचिकाएँ दायर की हैं कि यह भर्ती श्रेणी–II, के आयकर अधिकारियों के पदों के लिए भर्ती-नियमों के उपबन्धों के अनुसार नहीं है।

(ग) इस परीक्षा को यथा सम्भव शीघ्र लेने के लिए आयोग आवश्यक प्रारम्भिक प्रबन्ध कर रहा है।

गैर-योजना व्यय में कटौती

604. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री मा० ल० जाधव :**

श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री जी ने गैर-योजना व्यय को कम करने के हेतु एक अभियान चालू करने के लिये मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था ;

(ख) यदि हाँ, तो अभियान की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में कितना गैर-योजना व्यय हुआ है और इसमें इस वर्ष कितनी कमी होने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी):

(क) जी, हाँ।

(ख) वर्तमान आर्थिक स्थिति से सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर तथा उसके साथ ही, सरकार के योजना सम्बन्धी और योजना से भिन्न व्यय के बारे में विचार करने के लिये यह सम्मेलन किया गया था। विचार-विमर्श का लक्ष्य यह था कि केन्द्रीय और राज्य सरकारें 1966-67 के लिए की गई बजट व्यवस्था के आंकड़ों में निम्न प्रकार से खर्चे में कमी करें —

(i) प्रशासन सम्बन्धी राजस्व व्यय में 3 प्रतिशत ;

(ii) पूंजी सम्बन्धी व्यय में 5 प्रतिशत ;

(iii) असैनिक निर्माण कार्यों में 15 प्रतिशत।

जहाँ तक केन्द्रीय बजट का सम्बन्ध है उसमें उपर्युक्त बचत प्रत्येक मन्त्रालय के बजट की समीक्षा करने के बाद चयन करके की जायेगी।

(ग) पिछले तीन वर्षों में (रेलवे को छोड़कर) केन्द्रीय सरकार के योजना से भिन्न व्यय के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

	(करोड़ रुपयों में)
1962-63 (वास्तविक)	2061
1963-64 (वास्तविक)	2536
1964-65 (वास्तविक)	2850

(1965-66 के व्यय के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।) मन्त्रालयों के बजट की समीक्षा का काम पूरा होने पर ही यह पता चल सकेगा कि 1966-67 के बजट में कितनी कमी की जा सकेगी।

Irrigation Schemes

***605. Shri Kishen Pattnayak : Shri Madhu Limaye :**

Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken for laying more emphasis on minor and medium irrigation works during the Fourth Five Year Plan;

(b) the names of those schemes amongst the major irrigation schemes which would be given preference; and

(c) the decision taken so far in regard to the Tikarpara project in Orissa?

Minister for Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) :

(a) to (c) :- The Fourth Five Year Plan is yet to be finalised and the new projects to be taken have to await its finalisation.

मकान किराया भत्ता

606. **श्री जेधे :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सरकारी कर्मचारी को, जो दूसरे सरकारी कर्मचारी के साथ उसके सरकारी क्वार्टर में रहता है मकान किराया भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को, जो सरकारी नौकरी करते हैं और अपने माता-पिता के साथ रहते हैं, मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो दो विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के बीच ऐसी भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) और (ख) किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी के साथ उसके क्वार्टर में रहने वाले सरकारी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता दिया जाता है। लेकिन मकान किराया भत्ता तब नहीं दिया जाता जब

(i) साथ रहने वाला सरकारी कर्मचारी मकान पाने वाले सरकारी कर्मचारी का पति अथवा पत्नी, पिता, माता, पुत्र अथवा पुत्री हो ; या

(ii) सरकारी मकान बिना किराया दिया गया हो।

(ग) यह इस आधार पर किया गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों का मकान पाने वाले कर्मचारी के साथ पति-पत्नी, पिता, माता, पुत्र अथवा पुत्री का सम्बन्ध नहीं होता, उन्हें मकान पाने वाले कर्मचारी को किराया देना पड़ता है और इसलिये उन्हें मकान किराया भत्ता दिया जाता है। दूसरी ओर इस प्रकार के रिश्तेदार मकान पाने वाले के साथ बिना किराया दिये रहते हैं और इसलिए वे मकान किराया भत्ता पाने के हकदार नहीं हैं।

देव नगर के गलियारों में सीवर लाइन

607. **श्री जेधे :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सर्किल संख्या 1, नई दिल्ली के सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जीनियर को 5 अप्रैल, 1966 को देव नगर में 'ई' टाइप के सरकारी क्वार्टरों के निवासियों से कोई अभ्यावेदन मिला था, जिसमें सम्बन्धित क्वार्टरों के गलियारों में सीवर लाइन बदलने के बारे में कहा गया था ;

(ख) क्या उसमें बताई गई कठिनाइयों की मौके पर जांच की गई थी और शिकायत ठीक पायी गई ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस मामले का सम्बन्ध दिल्ली नगर निगम से है। वर्त्तमान 6" सीवर-लाइन को अधिक बड़ी सीवर-लाइन में बढ़ाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने उससे सम्पर्क स्थापित किया है।

देव नगर के क्वार्टरों के लिये जल-निस्सारण-व्यवस्था

608. **श्री जेधे :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री 3 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1474 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दे तथा बरसाती पानी की निकासी की सुविधाएं प्रदान करने के लिये देव नगर के सरकारी क्वार्टरों में जिन खुली नालियों को बनाने के लिये दिल्ली नगर निगम सहमत हो गया था वे अब बन चुकी हैं।

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह बात भी सच है कि दिल्ली निगम ने सरकारी क्वार्टरों के निवासियों की कठिनाइयां कच्ची नालियों के स्थान पर पक्की नालियां बनाकर अर्थात् पहले से सतह को ऊंचा करके और भी बढ़ा दी हैं जिससे गन्दा और बरसाती पानी अधिक इकट्ठा होने लग गया है; और

(घ) यदि हां, तो अपने कर्मचारियों को इस मुसीबत से बचाने के लिए सरकार का कौन सी कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) से (घ) दिल्ली नगर निगम ने नालियां बनाने में कुछ कठिनाईयां बताई थीं। तथापि, इस मामले में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नगर निगम से संपर्क स्थापित किये हुए है तथा यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही खुली हुई नालियों की व्यवस्था कर दी जायेगी।

(ग) जी हां।

सामान्य भविष्य निधि का जमा राशि पर ब्याज की दर

609. **श्री जेधे :**

क्या **वित्त** मन्त्री 7 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3464 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज की दर को बढ़ाये जाने के बारे में अब कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं तो बिलम्ब के क्या क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष के लिये ब्याज की दर 4.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष से बढ़ा कर 4.60 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

नागपुर स्थित रिजर्व बैंक से गायब दस्तावेज

610. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री अ० गोपालन : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री दशरथ देव : **श्री च० का० भट्टाचार्य :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर स्थित रिजर्व बैंक से महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिनका सम्बन्ध नागपुर क्षेत्र के एक प्रमुख उद्योगपति की फर्मों द्वारा सरकार को दी जाने वाली धन राशि के कथित अपवंचन के मामले से था, गायब होने का समाचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अपर इन्द्रावती परियोजना

611. **श्री कपूर सिंह :** **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री बूटा सिंह : **श्री प्र० के० देव :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अपर इन्द्रावती परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) तथा (ग): चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने परियोजना को जिस प्रकार बनाया है उसमें गोदावरी से महानदी में पानी का पार-बेसिन व्यपवर्तन सम्मिलित है । इसमें निम्नलिखित का निर्माण परिकल्पित है ।

(1) चार बांध-एक मुख्य बांध पर और बाकी इसकी तीन सहायक नदियों पर ।

(2) एक जल संवाहक प्रणाली जिसमें महानदी बेसिन में पानी ले जाने के लिए 7500 क्यूजक को जल निस्सार के लिये अभिकल्पित 6600 फुट लम्बी सुरंग और 5500 फुट लम्बी नाली शामिल है ।

(3) लगभग 1200 फुट के कुल शीर्ष पर चलाने के लिये अभिकल्पित 60 मैगावाट के 10 यूनिटों की प्रतिष्ठापित क्षमता के साथ एक बिजली घर / परियोजना की अनुमित लागत 60.59 करोड़ रुपये है और आशा है कि इससे 100 प्रतिशत भार अनुपात

पर 227 मैगावाट (60 प्रतिशत भार अनुपात पर 380 मैगावाट) की वास्तविक क्षमता उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त इससे कालाहाण्डी जिले में 2,16,000 एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

उड़ीसा के पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास

612 **श्री कपूर सिंह :**
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० के० देव :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में पिछड़े हुए क्षेत्र विशेषकर कालाहांडी, फूलबनी तथा बोलनगोर जिलों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को एक योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा और इसकी विशेष बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी०** 6543/66]

(ग) इस स्कीम की योजना आयोग में जांच की जा रही है। इसे आंशिक रूप से या पूरी तरह चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जब कि राज्य की समस्त योजना पर विचार विनिमय होगा तथा उसे अन्तिम रूप दिया जायेगा।

तूतीकोरिन में ताप बिजली घर

613. **श्री मुथिया :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री 7 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3485 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई, प्रवाह, नियंत्रण तथा विद्युत् परियोजनाओं सम्बन्धी मंत्रणा समिति की तकनीकी उप-समिति ने तूतीकोरिन में एक ताप बिजलीघर स्थापित करने की योजना पर अब विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इस योजना का अध्ययन तथा जांच कब पूरी हो जायेगी; और

(घ) इस बिजलीघर को चौथी योजना अवधि में स्थापित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) तकनीकी उप समिति ने अभी तक स्कीम की जांच पूरी नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बहुप्रयोजनीय परियोजनाएं

614. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल्य कम किये जाने के कारण किन बड़ी बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं की लागत पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) क्या सरकार ने सिंचाई तथा विद्युत सम्बन्धी परियोजनाओं की बढ़ी हुई लागत का हिसाब लगाया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) रुपये के अवमूल्यन से सभी बृहत बहूद्देश्यीय परियोजनाओं की निर्माण लागत बढ़ जाएगी। उनमें से महत्वपूर्ण परियोजनाएं ये हैं :—

1. नागार्जुनसागर परियोजना
2. कोसी परियोजना
3. गण्डक परियोजना
4. उकाई परियोजना
5. पेराम्बिकूलम-आलियार परियोजना
6. भीम परियोजना
7. भद्र परियोजना
8. ब्यास परियोजना
9. रामगंगा परियोजना
10. चम्बल परियोजना
11. पूर्ना परियोजना

(ख) लागत में कितनी वृद्धि हो सकती है, इसका हिसाब लागाया जा रहा है।

उड़ीसा में आयकर की वसूली

615. **श्री धुलेश्वर मीना : श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1966 के अन्त तक उड़ीसा में आयकर की कुल कितनी रकम वसूल की गई ; और

(ख) उस राज्य में अभी तक आयकर की कितनी रकम बाकी है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी):

सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन की मेज़ पर रख दी जायगी ।

उड़ीसा में ग्राम्य गृह-निर्माण योजनायें

616. **श्री धुलेश्वर मीना : श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य के लिये राज्य की ग्राम्य आवास योजनाओं के लिये 1966-67 में कितनी राशि मंजूर की है अथवा मंजूर करने का विचार किया है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना):

(क) योजित निधियों में से 1.60 लाख रुपये। राज्य सरकार की आवश्यकतायें प्राप्त होने पर जीवन बीमा निगम निधियों में से भी नियतन किया जायेगा।

(ख)

	रुपये लाखों में
ऋण — —	0.60
अनुदान (पूंजी) —	0.60
अनुदान (राजस्व) —	0.40
	1.60

उत्तर देने की तारीख 28 जुलाई, 1966

617. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में उड़ीसा में आदिम जातीय विकास खण्ड स्थापित करने के लिये उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :

(क) 122.86 लाख रुपये।

(ख) यह राशि द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शुरू किये गये 66 आदिम जातीय विकास खण्डों के अनुपोषण पर तथा 1966-67 के दौरान 9 नये आदिम जातीय विकास खण्ड शुरू करने पर खर्च की जायेगी।

मध्य प्रदेश में कताई मिलें

618. **श्री वाडीवा :** **श्री चांडक :**

डा० चन्द्रभान सिंह : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री 24 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 762 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार के कताई मिलें स्थापित करने के प्रस्ताव को वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से अब स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) और (ख) : सहकारी क्षेत्र में कताई मिलें स्थापित करने के मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर वाणिज्य मंत्रालय से परामर्श कर पुनः जाँच की गई थी और यह निश्चय किया गया है कि इन्हें राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने पर विचार किया जाय।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

619. **श्री वाडीवा:** **श्री चांडक :**

डा० चन्द्रभान सिंह : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री 7 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3395 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की, विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं सम्बन्धी तथा परिष्करण उद्योग, स्थापना की नीति के बारे में क्या निश्चित निर्णय किये गये हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश के संसद् सदस्यों ने प्रधान मंत्री को कोई सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके सुझाव के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

योजना तथा समाज कल्यण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की उन्नति को प्रोत्साहित करना हमारी औद्योगिक नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है। इसके लिए इस प्रकार के उपाय अपनाये गये हैं, ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों का विस्तार करना, जहां सब मिलाकर तकनीकी-आर्थिक पहलुओं की विवशताओं को देखते हुए संभव है सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं को पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करना, निजी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं के लाइसेंस देने में पिछड़े क्षेत्रों को तरजीह देना और जहां उद्योगों को आकर्षित करने के लिए अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सुविधाओं की व्यवस्था है वहां औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम कार्यान्वित करना।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को सहारा और प्रोत्साहन देने की नीति पहले ही स्वीकार की जा चुकी है।

चौथा वित्त आयोग

620. **श्री वाडीवा :** **डा० चन्द्रभान सिंह:**

श्री चांडक: **श्री हुकम चन्द कछवाय:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथे वित्त आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुसार राज्यों की ऋणग्रस्तता और लोक ऋण के परिशोधन के मानकीकरण की आवश्यकता सम्बन्धी सामान्य प्रश्न की जांच करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

वित्त आयोग ने जिन सामान्य प्रश्नों का उल्लेख किया है सरकार द्वारा उनकी जांच का काम अभी जारी है और जांच पूरी होने तथा निश्चय करने में अभी कुछ समय लगेगा।

स्वर्णकारों को रोजगार दिलाना

621. **श्री रामपुरे :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्णकारों को रोजगार दिलाने के लिये केन्द्र ने राज्यों को अब तक कुल कितना ऋण दिया है ; और

(ख) इस सहायता के माध्यम से कितने व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य/संघ राज्य सरकारों को स्वर्णकारों के पुनर्वास के लिए ऋण के रूप में 10.84 करोड़ रुपये की रकम दी गई है।

(ख) अब तक 87,098 व्यक्तियों को ऋण के रूप में सहायता मिली है ।

लोक लेखा समिति के पच्चासवें प्रतिवेदन के बारे में

RE : FIFTIETH REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

अध्यक्ष महोदय : श्री भागवत झा आजाद ने नियम 377 के अन्तर्गत मुझे सूचना दी है। वह प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : कल ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के उत्तर वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार ने लोक लेखा समिति को अपना उत्तर भेज दिया है। समिति ने अभी तक उस पर अपने विचार प्रकट नहीं किये हैं इसलिये जब तक उस प्रतिवेदन को सभा के समक्ष पेश नहीं किया जाता किसी नियुक्ति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

इस उत्तर को देखते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष से मुझे यह पूछने की अनुमति दी जाये कि क्या वह इस मामले पर श्री बूर्थलिंगम के मामले को ध्यान में रख कर विचार कर रहे हैं अथवा क्या सरकार ने इस समिति के समक्ष कुछ नये तथ्य रखे हैं और क्या लोक लेखा समिति इन अतिरिक्त तथ्यों पर विचार करेगी जिनको कि पहले दबा दिया गया था अथवा जान बूझकर समिति के समक्ष पेश नहीं किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरे भाग के पूछे जाने की अनुमति नहीं दे सकता परन्तु इस बात की अनुमति देता हूँ कि क्या लोक लेखा समिति को सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है और क्या वह इसकी जांच कर रही है ।

श्री मुरारका (झुंझूनू) : सच यह है कि निर्यात संबंधी योजनाओं तथा सम्बन्धित मामलों के बारे में लोक लेखा समिति के पच्चासवें प्रतिवेदन को जो कि राजस्व आय, 1965 से सम्बन्धित लेखा परीक्षा (सिविल) के पैरा 88 के संदर्भ में है मैंने 26 अप्रैल 1966 को लोक सभा में पेश कर दिया था।

इस प्रतिवेदन के चैप्टर चार में समिति ने कुछ सिफारिशें की थी। इन पर लोहा तथा इस्पात मंत्रालय ने कुछ टिप्पण किया है जो कि समिति को 19 जुलाई 1966 को प्राप्त हुआ है। इसके दो दिन पश्चात् अर्थात् 21 जुलाई 1966 को लोहा तथा इस्पात मंत्रालय ने भारत के नियन्त्रक तथा

महालेखापरीक्षक के टिप्पणों की एक प्रति इस समिति को भेजी थी जिसमें यह कहा गया था कि इस तथ्य को देखते हुये कि ज्ञापन के पैरा 31 के अनुसार सरकार का एक जांच समिति नियुक्त करने का विचार है और इसलिये इन 31 पैरों में उठाये गये विभिन्न प्रश्नों पर इस अवस्था में विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है। सरकार ने इस पैरे के उप-पैरा में जो निष्कर्ष निकाले हैं वे प्रशासनिक निर्णय के रूप में हैं। इसलिये हमें इस पर कोई टिप्पण नहीं करना है।

26 जुलाई 1966 को लोहा तथा इस्पात मंत्रालय यह निवेदन किया है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये टिप्पण पर विचार के लिये शीघ्र ही समिति की बैठक बुलाई जाये। इस आशय का पत्र हमें 26 जुलाई 1966 की सायं को प्राप्त हुआ है।

मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक इस समिति का सम्बन्ध है हमें किसी भी ओर से किसी विशेष मामले पर विचार करने अथवा रिपोर्ट देने के लिये कोई निवेदन अथवा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केरल में रबड़ बागान के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

श्री अ० कु० गोपालन (कासर गोड) : मैं श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूँ तथा उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इसके बारे में वक्तव्य दें।

"केरल में रबड़ बागान के श्रमिकों द्वारा हड़ताल।"

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : रबड़ बागानों के श्रमिकों की मजूरी का ढांचा तैयार करने के लिये 7 जुलाई, 1961 को एक केन्द्रीय मजूरी बोर्ड कायम किया गया था जिसमें दो निर्दलीय सदस्यों के अतिरिक्त मालिकों और मजदूरों के दो-दो प्रतिनिधि और एक निर्दलीय अध्यक्ष थे। मद्रास और केरल के रबड़ बागानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये बोर्ड द्वारा 1962 में सर्व सम्मति से की गई सिफारिशें और मैसूर के कर्मचारियों के लिये 1963 में की गई सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं।

मजूरी बोर्ड ने क्षेत्रीय तथा कारखाने के कर्मचारियों की मजूरी दरों के बारे में सर्व सम्मति से निर्णय किये जो रबड़ बागान उद्योग में 1 मई,1964 से पांच वर्ष तक लागू होने थे। किन्तु बोर्ड लिपिकों, चिकित्सा तथा शिक्षण सम्बन्धी कर्मचारियों, निरीक्षकों आदि की मजूरी के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट अन्तिम रूप से निश्चित नहीं कर सकता था। इसके लिये कुछ अधिक समय चाहिये था। इसलिये बोर्ड ने रबड़ बागान उद्योग के कर्मचारियों के लिये 1 मई, 1964 से दैनिक मजूरी की दरों की सिफारिश की है। मजूरी बोर्ड ने मजूरी में जिन दो बढ़ोतरियों की सिफारिश की उन्हें अधिकांश रूप में कार्यान्वित किया जा चुका है।

यह भी बताया जाता है कि केरल के असोसिएशन आफ प्लान्टर्स ने एक परिपत्र जारी करके 24 पैसे प्रतिदिन की और बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल, 1966 से लागू होगी और मजूरी बोर्ड की अन्तिम सिफारिशों के अनुसार उसका तालमेल बैठाया जायगा।

केरल में कुछ श्रमिक वर्ग रबड़ बागान कर्मचारियों में रबड़ मजूरी बोर्ड की अन्तिम सिफारिशों के सम्बन्ध में आशंका उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बागान श्रमिकों की मजूरी बढ़ाने के

प्रश्न विचार करने के लिये 26 मई को एर्नाकुलम में एक त्रिदलीय सम्मेलन किया गया था किन्तु उसमें कोई समझौता नहीं हो सका । मजूरी बढ़ाये जाने के प्रश्न को लेकर रबड़ बागानों में 4 जुलाई 1966 से आंशिक हड़ताल हुई है । सरकार मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है जो संभवत: बहुत शीघ्र ही प्राप्त होगी । उस रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात् ही उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अ० कु० गोपालन : क्या यह सच है कि इस वर्ष और पिछले वर्ष की रबड़ की कीमत में अन्तर है और कि यह लगभग 1½ प्रतिशत बढ़ी है और मालिक मजूरी में वृद्धि देने के असमर्थ है विशेषतया जबकि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या 20 जुलाई 1966 को मजूरी बोर्ड की बैठक हुई थी और कि मुख्य सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था । मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि 25 दिनों से चल रही हड़ताल को समाप्त करने के लिये सरकार तुरन्त क्या कार्यवाही करने वाली है ताकि विदेशी मुद्रा की अधिक हानि न हो । सरकार तुरन्त क्या कार्यवाही करने जा रही है क्योंकि 20 जुलाई को मजूरी बोर्ड निर्णय लेने तथा मुख्य सिफारिशें स्वीकार करने के लिये अपनी बैठक नहीं कर सका ।

श्री जगजीवन राम: माननीय सदस्य ने रबड़ के मूल्य की बृद्धि के बारे में जो तथ्य बताये हैं उन पर मजूरी बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा । मजूरी बोर्ड की 20 जुलाई को बैठक हुई थी और मेरे विचार में श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं । हड़ताल करने वाले श्रमिकों से मेरा निवेदन है कि वे हड़ताल समाप्त कर दें और मैं कार्मिक संघ के नेताओं से भी अपील करता हूँ कि वे श्रमिकों को काम पर जाने का परामर्श दें ।

श्री प० कुन्हन (पालघाटा) : इस तथ्य को देखते हुए कि श्रमिकों तथा हड़ताल करने वाले, श्रमिकों की मांगों के बारे में मालिकों की हठधर्मी के कारण सुलह कराने के सभी प्रयत्न असफल हो गये हैं, सरकार का विचार ऐसे प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री जगजीवन राम : मैं नहीं समझ सका कि जब मजूरी बोर्ड है तो इन लोगों की क्या मांग है । जैसा मैंने बताया है कि यदि श्रमिकों के प्रतिनिधि और मजूरी बोर्ड मालिकों और निर्दलीय सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों से सहमत न हों तो वे अपनी सिफारिशें कर सकते हैं और यह विचार करना सरकार का काम है कि वह किसको स्वीकार करे अथवा उनमें परिवर्तन करे और उनको क्रियान्वित करे । इसलिये इस समय जबकि मजूरी बोर्ड की बैठक हो रही है कोई भी कार्यवाही करना उचित नहीं है ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : इस तथ्य को देखते हुए कि मजूरी बोर्ड की गतिविधियां पिछले चार से पांच वर्ष से जारी हैं और अन्तिम प्रतिवेदन यह कि बंगलौर में श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किये और कि प्रतिवेदन को बिना उनके हस्ताक्षर के ही पेश कर दिया गया है क्या मैं जान सकता हूँ कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिये कहा है और क्या केन्द्र सरकार का इरादा इस मामले में हस्तक्षेप करने का है ।

श्री जगजीवन राम : हमें मजूरी बोर्ड की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि इन्टस' के नेता ने जो कि मजूरी बोर्ड के सदस्य भी हैं बंगलौर में इस प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने से

इन्कार कर दिया है और श्रमिकों को एक दो दिन पश्चात हड़ताल करने के लिए कहा है। हम चाहते हैं कि केन्द्रीय श्रम मंत्री इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करके कोई समझौता करायें। क्या वह ऐसा करने को तैयार हैं ?

श्री जगजीवन राम : मैं उचित अवस्था में ऐसा करने को तैयार हूँ।

श्री वासुदेवन नायर : वह अवस्था कब आयेगी। क्या मन्त्री महोदय चाहते हैं कि 'इन्टस' के श्रमिक भी हड़ताल कर दें ?

श्री जगजीवन राम : यदि वे हड़ताल करना चाहते हैं तो कर लें।

श्री अ० कु० गोपालन : केरल सम्बन्धी सलाहकार समिति की बैठक में जिसमें गृह-मंत्री भी उपस्थित थे हमने यह प्रश्न उठाया था और गृह-कार्य मन्त्री ने यह वचन दिया था कि वह इस मामले को श्रम मन्त्री के साथ उठायेंगे। इस बात को पन्द्रह दिन से भी अधिक हो गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ है।

श्री जगजीवन राम : मैं अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं रहा हूँ। इस समय केरल राज्य में श्रमिकों का जो झगड़ा है वह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने बताया है कि हम उचित अवस्था में हस्तक्षेप करेंगे।

ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE. CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : Mr. Speaker, Sir, you might remember that we gave notice in regard to the hunger strike of Sadhus.....

Shri Madhu Limaye : Sir, I also gave notices of two call attention notices.

Mr. Speaker . I have disallowed all of them If members are not satisfied with my decision, they can write to me.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : मैं मनुभाई शाह की ओर से भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1954 की धारा 4 (क) की उप-धारा (दो) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 की धारा 4 क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिनके द्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये :—

(एक) एस० ओ० 1696 जो दिनांक 6 जून 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) अधिसूचना संख्या 43 (3)-टार/66 जो दिनांक 6 जून, 1966 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) एस० ओ० 1841 जो दिनांक 15 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) एस० ओ० 2133 जो दिनांक 15 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(2) भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 की धारा 4 क की उप-धारा 2 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1940 की एक प्रति जो दिनांक 28 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये क्रमश: संख्या एलटी**-6514/66 **और एलटी**-6515/66]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :

* (1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल बागान (अतिरिक्त कर) अधिनियम, 1960 की धारा 27 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केरल बागान (अतिरिक्त कर) निर्धारण का पुनरीक्षण नियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 22 फरवरी 1966 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 68/66 में प्रकाशित हुए थे ।

* (2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल साहूकारा अधिनियम, 1958 की धारा 21 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केरल साहूकारा नियम, 1964 की एक प्रति जो दिनांक 31 मार्च, 1964 के केरल राजपत्र में अधिसूचना संख्या 38051/ए4/63/आई डी में प्रकाशित हुए थे ।

* (3) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषण के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल स्टाम्प अधिनियम, 1959 की धारा 69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 121/66 की एक प्रति जो दिनांक 15 मार्च, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल स्टाम्प निर्माण तथा बिक्री नियम, 1960 में एक संशोधन किया गया ।

* (4) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल स्टाम्प अधिनियम, 1959 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 149/66 की एक प्रति जो दिनांक 5 अप्रैल, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(5) (1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 842 जो दिनांक 4 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० एस० आर० 866 जो दिनांक 6 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० एस० आर० 867 जो दिनांक 6 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० एस० आर० 868 जो दिनांक 6 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी० एस० आर० 869 जो दिनांक 6 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) जी० एस० आर० 870 जो दिनांक 6 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सात) जी० एस० आर० 871 जो दिनांक 6 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) जी० एस० आर० 872 जो दिनांक 6 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(नौ) जी० एस० आर० 873 जो दिनांक 6 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दस) जी० एस० आर० 874 जो दिनांक 6 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 875 जो दिनांक 6 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(बारह) जी० एस० आर० 876 जो दिनांक 6 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तेरह) जी० एस० आर० 877 जो दिनांक 6 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चौदह) जी० एस० आर० 901 जो दिनांक 6 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 902 जो दिनांक 6 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सोलह) जी० एस० आर० 903 जो दिनांक 6 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सत्तरह) जी० एस० आर० 909 जो दिनांक 9 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(अठारह) जी० एस० आर० 910 जो दिनांक 9 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(उन्नीस) जी० एस० आर० 924 जो दिनांक 11 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बीस) जी० एस० आर० 958 जो दिनांक 15 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(इक्कीस) जी० एस० आर० 959 जो दिनांक 15 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बाईस) जी० एस० आर० 960 जो दिनांक 15 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेईस) जी० एस० आर० 961 जो दिनांक 15 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चौबीस) जी० एस० आर० 962 जो दिनांक 15 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पच्चीस) जी० एस० आर० 974 जो दिनांक 20 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छब्बीस) जी० एस० आर० 1006 जो दिनांक 23 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सत्ताईस) जी० एस० आर० 1007 जो दिनांक 23 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(अट्ठाईस) जी० एस० आर 1007 जो दिनांक 24 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(उनतीस) जी० एस० आर 1009 जो दिनांक 24 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीस) जी० एस० आर० 1010 जो दिनांक 24 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(इकत्तीस) जी० एस० आर० 1011 जो दिनांक 24 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बत्तीस) जी० एस० आर० 1012 जो दिनांक 24 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेतीस) जी० एस० आर० 1093 जो दिनांक 9 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चौंतीस) जी० एस० आर० 1098 जो दिनांक 11 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पैंतीस) जी० एस० आर० 1099 जो दिनांक 11 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(2) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 5 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत आपात जोखिम (माल) बीमा (दूसरा संशोधन) योजना, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 25 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1935 में प्रकाशित हुई थी ।

(3) आपात जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत आपात जोखिम (कारखाने) बीमा (दूसरा संशोधन) योजना, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 25 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1936 में प्रकाशित हुई थी।

(4) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(i) सरकारी बचत पत्र संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 13 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 719 में प्रकाशित हुए थे।

(ii) राष्ट्रीय बचत पत्र (प्रथम निर्गमन) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 13 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 720 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए क्रमशः संख्या एलटी—6224/66, एलटी-6313/66 एलटी-6362/66, एलटी-6363/66, एलटी-6516/66, एलटी,-6517/66 एलटी-6518/66, और एलटी-6519/66]

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्र० शे० नास्कर): मैं श्री हाथी की ओर से निम्नलिखित पत्र की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ। पंजाब के राज्यपाल से भारत के राष्ट्रपति के नाम दिनांक 28 जून 1966 के पत्र संख्या पी० एस०/1/एस/66 की एक प्रति जिस में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत पंजाब के राज्य के सम्बन्ध में एक उद्घोषणा जारी करने की सिफ़ारिश की गई थी।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एलटी-6520/66]

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भगवती): मैं श्री मेहर चन्द खन्ना की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नेशनल बिल्डिंग्ज कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ii) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एलटी-6521/66]

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कु० ल० राव): मैं भारतीय बिजली अधिनियम 1910 की धारा 38 उप-धारा (3) के अन्तर्गत भारतीय बिजली (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 9 अप्रैल 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 523 में प्रकाशित हुए थे । सभापटल पर रखता हूँ ।

[पुस्तकालय में रखे गए । देखिए संख्या एलटी-6225/66]

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरैशी) : मै निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ :

(एक) रेशम उत्पादन सम्बन्धी कार्यकारी दल के प्रतिवेदन, 1964

(दो) टस्सर रेशम समिति के प्रतिवेदन, 1966.

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए क्रमश: संख्या एलटी,-6522/66, और एलटी-6523/66]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य-सभा ने अपनी 26 जुलाई, 1966 की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया है कि कीटनाशी विधेयक 1964, दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें राज्य-, सभा के 15 सदस्य अर्थात् :—

(1) श्री के० एस० चावड़ा

(2) डा० धर्म प्रकाश

(3) श्री कृष्ण दत्त

(4) श्री नीरेन घोष

(5) डा० श्रीमती फूलरेनू गुहा

(6) श्री आई० के० गुजराल

(7) श्री जगत नारायण

(8) श्री लोकनाथ मिश्र

(9) चौधरी ए० मोहम्मद

(10) श्री नेकी राम

(11) श्री पंढरीनाथ सीतारामजी पाटील

(12) श्री जे० सी० नागी रेड्डी

(13) श्री एन० श्री रामा रेड्डी

(14) डा० एम० एम० एस० सिद्धू

(15) श्री निरंजन सिंह

तथा लोक-सभा के 30 सदस्य हों और सिफारिश की कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा उक्त संयुक्त समिति के लिए लोक-सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम उस सभा को सूचित करे ।

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में
RE. POINT OF ORDER

Shri Bagri (Hissar) : Mr. Speaker, Sir, on a point of order, Sadhus have been arrested in Delhi. How can law and order be maintained in Delhi I request that the Home Minister may make a statement in regard thereto ?

Mr. Speaker : The point of order does not mean that if it is not taken notice of, the law and order position will worsen. I disallow the motion

---

कुछ सदस्यों के निलम्बन के रद्द किये जाने के बारे में
RE. REVOCATION OF SUSPENSION OF CERTAIN MEMBERS

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैंने कल कुछ सदस्यों के निलम्बन को समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव रखा था उसे नहीं लिया जा रहा है । मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को संदेश भेजा था कि वह सभा नेता से परामर्श करें । मैं नहीं चाहता कि ऐसा प्रस्ताव रखा जाये और अस्वीकार हो जाये । इससे और विरोध पैदा होगा । पिछले $4\frac{1}{2}$ वर्षों में एक मामले को छोड़कर किसी को खेद प्रकट किये बिना सभा में आने की अनुमति नहीं दी गई है ।

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): मैंने माननीय सदस्य को बताया है कि ऐसा प्रस्ताव मानना सम्भव नहीं है ।

वित्त मन्त्री की हाल की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. FINANCE MINISTER'S RECENT VISIT ABROAD

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : हाल में मैंने ब्रिटेन, संघीय जर्मन गणराज्य, फ्रांस, इटली और नेदरलैण्ड की यात्रा की थी जिसकी रिपोर्ट मैं सभा के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं । मैं 22 जून, 1966 को भारत से रवाना हुआ था और 9 जुलाई, 1966 को वापस आया । मैंने इन देशों की सरकारों के साथ, पारस्परिक हित के आर्थिक विषयों, विशेषत: और अधिक गैर-प्रायोजना (नान-प्राजेक्ट) सहायता की हमारी आवश्यकता के सम्बन्ध में बातचीत की । मैं बौन में चांसलर डा० लुडविग ऐरहार्ड से और लन्दन में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री हैरोल्ड विल्सन से मिला । इन सभी देशों में मैंने विभिन्न सरकारों के मंत्रियों से बातचीत की, जिसकी पूर्ति अधिकारियों के स्तर पर हुई बातचीत से हुई । जहां जहां मैं गया, मेरा हार्दिक स्वागत किया गया और बातचीत पारस्परिक सद्भाव और सहयोग के वातावरण में हुई ।

जिन सभी देशों में मैं गया वहां हमारी सामान्य आर्थिक नीति को, उन उपायों को, जो हमने स्थायित्व के साथ विकास को प्रोत्साहन देने के लिए किये हैं और खा। तौर से आयात सम्बन्धी हमारी उदारतापूर्ण नीति को अच्छी तरह से समझा जाता है। हमारे ।धान मंत्री को बुद्धिमत्ता और साहसपूर्ण नेतृत्व की मुक्तकंठ से प्रशंसा की गयी। मैंने देखा कि इन सभी देशों में, भारत के प्रति बहुत सद्भावना और हमारी कठिनाइयों और समस्याओं को समझने की इच्छा है।

जैसा कि मैंने कहा, बौन की यात्रा में मुझे जर्मन संघीय गणराज्य के चांसलर से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। पारस्परिक हित के विषयों पर हमने सद्भावपूर्वक विचार-विनिमय किया। मैं वहाँ के अर्थ मंत्री श्री श्म्यूकर, आर्थिक सहयोग मंत्री श्री वाल्टर शील, केन्द्रीय बैंक के गवर्नर डाक्टर कार्ल ब्लेसिंग और प्रख्यात बैंकर डाक्टर हर्मन ऐब्स से भी मिला। मेरे वहां जाने से पहले ही, गैर-प्रायोजना आयात की वित्तव्यवस्था के लिए 1 करोड़ डालर के ऋण के लिए करार किया जा चुका था। यह ऋण आवश्यक सहायता की कुल रकम का केवल छोटा-सा हिस्सा है। हमारी बातचीत के बाद मुझे बताया गया कि जर्मन सरकार ने गैर-प्रायोजना सहायता के लिए पर्याप्त अतिरिक्त रकम के प्रस्ताव जर्मनी की संसद में प्रस्तुत किये हैं। ये प्रस्ताव उसके विचाराधीन हैं, साथ ही हमने जर्मन अधिकारियों से इस बात का प्रबन्ध करने के लिए उपयुक्त बातचीत शुरू कर दी है कि आयात के लिए लाइसेंस देने के कार्य में कोई बाधा न पड़े।

27 जून, 1966 से 29 जून, 1966 तक मैंने लंदन में बातचीत की, और उस बीच में ब्रिट्रेन के प्रधान मंत्री, उप-प्रधान मंत्री, श्री ब्राउन, वित्त-मंत्री (चांसलर आफ एक्सचेकर), राष्ट्र-मंडलीय सम्बन्धों (कामन्वेल्थ रिलेशन्स) के मंत्री (सेक्रेट्री आफ स्टेट), समुद्रपारीय विकास मंत्री और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष से भी मिला। मैं आर्थिक विषयों के पत्रकारों और ब्रिटिश उद्योग संघ के सदस्यों से भी मिला। बिटिश सरकार ने बड़ी सहानुभूति प्रकट की और कहा कि वह 728 लाख डालर (260 लाख पौण्ड) की गैर-प्रायोजना सहायता का वचन देने के लिए तैयार हैं।

तीस जून और पहली जुलाई को मैं नेदरलैंड में था। मैं वहां के वित्त मंत्री तथा विदेश मन्त्रालय के विदेशी सहायता सम्बन्धी मन्त्री से मिला। उन्होंने हमारी बहुत सी समस्याओं के सम्बन्ध में सहानुभूति प्रकट की। वे अपने साधनों की सीमा के अन्दर हमें सहायता देने के लिए तैयार थे। नेदर लैंड की सरकार ने, चालू वर्ष में 110 लाख डालर की सहायता देने का हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया है, जिसमें वस्तुओं के आयात के लिए 70 लाख डालर का एक सरकारी ऋण, और मशीनें तथा साजसामान मंगाने के लिए 40 लाख डालर का संभरक ऋण (सप्लायर्स क्रेडिट) शामिल है।

फ्रांस में मेरी बातचीत वित्त-मंत्री, कृषि-मंत्री और विदेश-मंत्रालय के मंत्री से हुई। फ्रांस में हमारा काम यह था कि हम इस बात के लिए उनकी सहमति प्राप्त करें कि हमें जिस तरह की वस्तुओं की आवश्यकता होगी उनका आयात हम कर सकेंगे। इस यात्रा के परिणाम स्वरूप, ये लोग इस बात के लिए राजी हो गये कि हम रासायनिक खाद, इस्पात, रासायनिक पदार्थ और भारत-फ्रांस के सहयोग से चलाये जाने वाले उद्योग-धंधों के लिए आवश्यक वस्तुओं का आयात कर सकेंगे। वे इस बात के लिए भी राजी हो गये कि ऋण भारत सरकार को दिया जायगा। इन व्यवस्थाओं को औपचारिक पत्र-व्यवहार में सम्मिलित कर लिया गया है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि

चालू वर्ष के लिये फ्रांस द्वारा दी जाने वाली गैर-प्रायोजना सहायता 1 करोड़ 70 लाख डालर की होगी। फ्रांस में, मैंने मद्रास के परमाणु शक्ति केन्द्र और हल्दिया के तेल साफ करने के कारखाने के लिए फ्रांस द्वारा दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में भी बातचीत की। इन प्रायोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने के बारे में फ्रांस की सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है और आगे की बातचीत सामान्य राजनयिक माध्यम से जारी रखी जायगी।

इटली में मैं वहां के विदेश-व्यापार मंत्री से मिला जिन पर इटली द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का जिम्मा है। हमने, इटली द्वारा भारत को दिये गये ऋणों के उपयोग की समीक्षा की। इटली ने चालू वर्ष में 3.2 करोड़ डालर की गैर-प्रायोजना सहायता देने की इच्छा प्रकट की है। मैंने उन वस्तुओं के बारे में, जिनका आयात हम इटली से ऋण के अन्तर्गत कर सकते हैं, अधिक लचकीला रवैया अपनाने का अनुरोध किया और इसके लिए उपयुक्त संस्थात्मक प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इटली की सरकार ने हमारे दृष्टिकोण पर समुचित रूप से विचार करना मान लिया है। यहां मैं यह भी बता दूं कि इटली ने संकटकालीन सहायता के उपाय के रूप में रासायनिक खाद के आयात के लिए 20 लाख डालर का ऋण अलग से देना स्वीकार कर लिया है।

इस यात्रा के मेरे अनुभवों का सारांश यही है कि सभी स्थानों पर हमारा स्वागत पूरे सौजन्य और सद्भाव के साथ हुआ, हर स्थान पर लोगों ने हमारे उन प्रयत्नों की बहुत सराहना की जो हम अपने देशवासियों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कर रहे हैं और सभी जगह उन्हें इस बात की जानकारी थी कि एक विकासोन्मुख देश के रूप में भारत अन्य देशों से काफी आगे है। एक और दृष्टि से भी यह यात्रा बहुत लाभदायक रही, क्योंकि इससे मुझे इन देशों की सरकारों के मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर मिला और मैं महसूस करता हूं इससे इस भावना का संचार करने में मदद मिलती है कि आज की दुनिया में एक दूसरे पर निर्भर हुए बिना काम नहीं चल सकता और चूंकि भारत एक प्रगतिशील देश है, इसलिए उसे जो सहायता दी जायगी उससे राष्ट्र-समाज के विकास में काफी सहायता मिलेगी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या मन्त्री महोदय ने अपने दौरे के दौरान यह अनुभव किया कि विदेशों में यह विचार है कि विकिसिन देश विकासशील देशों को जो सहायता दे रहे हैं, वह दायित्व नहीं बल्कि दान है ? यदि हाँ, तो क्या मन्त्री महोदय ऐसा प्रभाव दूर कर सके हैं अथवा नहीं ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मुझे बातचीत के दौरान यह अनुभव बिलकुल नहीं हुआ कि हमें दान दिया जा रहा है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : It appears from the joint Indo-Russian Communique issued after Primo Minister's visit to Moscow that there is some change with regard to India's policy towards West Germany. I would like to know whether there is any change in the attitude of Weast Germany after this Communique.

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं वहाँ इस विज्ञप्ति के जारी होने से पहले गया था। इसलिये वहाँ किसी परिवर्तन के होने अथवा न होने के बारे में मेरे निश्चय करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पेटेंट विधेयक

PATENTS BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय को बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—"कि पेटन्टों से सम्बन्धित विधि को संशोधित और समेकित करने के लिए विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को अगले सत्र के प्रथम दिन तक और बढ़ा दिया जाये।"

अभी तक समिति की 22 बैठकें हुई हैं और उसने 33 संस्थापकों तथा संगठनों के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया है। समिति को छः साक्ष्य लेने हैं। 14 सदस्यों ने मुझे पत्र लिखा है कि उन्हें समक्ष/भारतीय तथा विदेशी साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करना है। मैं आशा करता हूँ कि प्रतिवेदन अगले अधिवेशन के पहले दिन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस समिति के सभापति ने जो कारण बताये हैं, वह प्रथम दृष्टि से ठीक मालूम होते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में संयुक्त समितियों तथा प्रकट समितियों के प्रतिवेदन बिना अधिक विलम्ब के सभा में प्रस्तुत किये जायें। इस बिलम्ब का एक कारण यह है कि उपाध्यक्ष महोदय को बहुत सी समितियों का सभापति बना दिया गया है और उन पर काम का बोझा अधिक है।

Shri Hukam Chand Kacchavaiya (Dewas) : May I know whether there is any foreign pressure with regard to delaying this bill.

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै) : इसके लिये पिछले अधिवेशन में भी अवधि बढ़ाई गई थी। इस अधिवेशन में भी अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसका अर्थ यह है कि यह विधेयक इस अधिवेशन के दौरान प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। मुझे यह भी सन्देह है कि अगला अधिवेशन चुनाव से पहले का अधिवेशन होने के कारण यह सम्भावना है कि यह विधेयक प्रस्तुत ही न किया जाये।

श्री कृष्णमूर्ति राव : मैंने संसद-कार्य मंत्री को कहा है कि यदि इस संसद की अवधि के दौरान विधेयक पारित नहीं किया जायेगा तो हमारे सभी प्रयत्न निष्फल हो जायेंगे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि यह विधेयक अगले अधिवेशन में प्रस्तुत किया जायेगा और हम इसे पारित करा सकेंगे।

श्री हीं० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य): हमें यह सन्देह है कि इस मामले को स्थगित किया जा रहा है और सरकार को सभा में आश्वासन देना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोट) : यह मामला संसदीय समिति के समक्ष है और उसके निर्णय लेना है। सरकार का इसमें कोई सम्बन्ध नहीं।

Shri Kishan Pattanayak (Sambalpur) : It is a Parliamentary Committee but a vast majority of its members represent the Government and the Government can put pressure through them. I would, therefore, like to know whether the Government intends to get this bill passed during this year or not ?

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : यहाँ जो बातें कही गई हैं यदि वे संसद के बाहर कही जातीं, तो यह संसदीय समिति तथा सभा का अपमान समझा जाता। इस प्रकार के आरोप नहीं लगाये जाने चाहिये।

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं इस समिति का सदस्य हूँ। न केवल पश्चिमी देशों में बल्कि पूर्व ने भी इसमें रुचि दिखाई है। इसलिए प्रो० मुकर्जी तथा अन्य सदस्यों के आरोप उचित नहीं हैं।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : This matter was brought before the committeei. It was told by the Government that there is no likeiy hood of this bill being brought during this session. Extension of time was asked for due to this. There is no question of any pressure of any kind.

श्री बड़े (खरगोन) : मैं संयुक्त समिति का सदस्य हूँ, अमरीका जापान, ब्रिटेन तथा इटली से साक्षियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया था इसके लिये समय की आवश्यकता थी। इसी कारण यह प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : यह कहना बहुत अनुचित है कि समिति पर दबाव डाला गया है। सदस्यों को समिति की इस प्रकार आलोचना नहीं करनी चाहिये।

श्री उमानाथ : इस बात को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। किसी ने भी सभापति अथवा सदस्यों के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है। केवल यह चिन्ता व्यक्त की गई है कि इस बारे में सभा को आश्वासन दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "पेटन्टो से सम्बन्धित विधि को संशोधित और समेकित करने के लिये विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियत समय को अगले सत्र के प्रथम दिन तक और बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

विशेषाधिकार समिति के सातवें प्रतिवेदन के बारे में
RE : SEVENTH REPORT OF COMMITTEE OF PRIVILEGES

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to seek a clarification. Dr. Lohia had raised an objection regarding expunction of certain portion of the minute of Dissent of Sardar Kapur Singh and our oral order before the committee. You had called a meeting of the leaders of opposition in the House and it was decided in that meeting that the committee should reconsider the minute of Dissent of S. Kapur Singh and our evidence before the committee. The Secretariat was, therefore, requested to circulate the copies of the original minute of dissent so that the discussion could be held properly and Members could participate in the discussion. I would like to know how the discussion can go on properly when the copies have not been distributed.

Mr. Speaker : Your letter was placed before me and I have deicded that the copies will not be distributed. If the House decides, then the copies can be distributed and they can be referred to, but how can the copies be distributed when the commi-

ttee has decided not to include that portion. The order in that case will become invalid .

Shri Kapur Singh : It is not proper. Without reading the Minutes of Dissent the House cannot decide whether the decision of the committee is proper and according to the rules.

Mr. Speaker : There are two questions before the House. Firstly, whether the committee is authorised to expunge it and secondly, whether only portions can be expunged or the whole minute of dissent can be expunged.

श्री कपूर सिंह : सभा के सामने स्थिति ठीक प्रकार से पेश नहीं की जा रही है, पहला प्रश्न यह है कि क्या समिति को इसे निकालने का अधिकार है अथवा नहीं, दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस अधिकार का उचित प्रयोग किया गया है अथवा नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब सभा में कोई वाद-विवाद होता है तो प्रत्येक सदस्य जानता है कि सभा में क्या कहा गया है । तब उसमें से कुल निकाले जाने का आदेश दिया जाता है । हमें इस बात का पता होता है कि उसमें से क्या निकाल दिया गया है । परन्तु इस मामले में हम बिलकुल अन्धकार में हैं । आप यह निर्देश दे सकते हैं कि सभापति ने जो टिप्पण निकाले जाने का आदेश दिया है, वह सदस्यों को उपलब्ध कराया जाये, इसके साथ ही आप यह आदेश भी दे सकते हैं कि जब तक सभा निर्णय करे समाचार पत्र उसे प्रकाशित नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : विपत्ति टिप्पण के अंश निकाले जाने के बारे में आदेश दिया गया था । उसे पुन: समिति को भेजा गया और अब समिति ने इसे निकाले जाने का आदेश दिया है । पहले उस प्रश्न का निर्णय किया जाना चाहिये कि क्या समिति यह आदेश दे सकती है अथवा नहीं ।

श्री कपूर सिंह : मुझे इस बात का खेद है कि मामले ने दूसरा रूप धारण कर लिया । वैसे नियमों में व्यवस्था कि अनुचित अशिष्ट तथा असंसदीय अभिव्यक्तियों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय । परन्तु जहाँ तक इस समिति का सम्बन्ध है ये नियम इस पर लागू नहीं होते । यही कारण है कि इस पर आपने अपना आदेश दिया था । मेरा कहना यह है व्यवस्था यह है कि अध्यक्ष महोदय नियमों में अपनी ओर से कोई वृद्धि नहीं कर सकते । अतः आपने जो आदेश दिया उसमें आप अपने अधिकारों की सीमा लांघ गये, यद्यपि आपने नियम की कमी दूर करने का प्रयास किया । अतः मेरा निवेदन यह है कि आपका आदेश अवैध है ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा है कि और काम छोड़ कर इस पर चर्चा कर ली जाय । और कोई निर्णय कर लिया जाय ।

श्री कपूर सिंह : मेरा निवेदन हैं कि तीन प्रश्न हैं जिन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । प्रश्न यह कि विशेषाधिकार समिति के सभापति की अभिव्यक्ति को निकालने का आपका अधिकार है । और दूसरा यह कि समिति के सभापति को अधिकार है कि वह जो अंश चाहे रिपोर्ट से निकाल दे और तीसरा यह कि जो अधिकार उनके हैं वे ठीक ढंग से प्रयोग किये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सरदार कपूर सिंह ने जो प्रथम दो प्रश्न प्रस्तुत किये हैं, उन पर स्वतन्त्र रूप से चर्चा हो सकती हैं। पहले इन दो पर निर्णय हो जाय फिर तीसरे पर चर्चा होगी।

श्री कपूर सिंह : यह प्रक्रिया सम्बन्धी महत्व पूर्ण मामला है, इस पर चर्चा के लिये समय रखा जाय ताकि इस विषय पर तैयारी कर ली जाय।

अध्यक्ष महोदय : यदि डा० लोहिया चाहे तो समय दे सकता हूँ।

Dr. Ram Manohar Lohia : You can fix up for Tuesday. But it will be better if you inform me for my convenience.

अध्यक्ष महोदय : अविश्वास प्रस्ताव के बाद किसी दिन रख लेंगे।

बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक जारी

ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL (CONTD)

अध्यक्ष महोदय : अब हम डा० कु० ल० राव द्वारा 27 जुलाई 1966 को प्रस्तुत निम्न-लिखित प्रस्ताव और आगे चर्चा करेंगे :—

"कि बिजली (सम्भरण) अधिनियम 1948 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : मैं प्रस्तुत करता हूँ कि यह विधेयक 12 सदस्यों की प्रवर समिति को सौंपा जाय।"

अध्यक्ष महोदय : दोनों बातें सदन के समक्ष है।

Shri Bade (Khargone) : I have to say two or three things regarding this Electricity (Supply) Amendment Bill, which is before the House at present. It has been stated in Bill that if there is a scheme involving the expenditure less than 25 lakhs of rupees, need not be published. This process is considered unnecessary and wasteful. I have a strong objection to it. The reasons given that it will be wasteful and unnecessary expenditure are untenable. This is very strange that Rs. 25 lakhs are not considered to be sufficient amount. I think very strongly in this matter that it should not be left unpublished. We are today under the bureaucratic regime. And in this bureaucratic set up when we usually find that the actual amount spent on any project goes far above the estimate. I am of the opinion that there seems tobesome ulterior motive behind the amendment.

There is another important aspect of this matter. That is that Indian Limitation Act has a provision regarding extension of period of limitation for the recovery of outstanding dues in favour of the Electricity Boards, which are as a matter of fact against all canons of jurisprudence. The reasons for making this provision has been very clear. It was made so that members of the Parliament be made available for the appointment as members of State Electricity Boards without a period of 12 months passing after the end of their membership of Parliament is highly objectionable. It has become abundantly clear now that it is meant to get some of their own men fixedup there. This provision will be utilized by the party in power to help their henchmen.

There is one thing more which deserves the attention of the House. There are

no uniform rates of electricity throughout the country. Every State has got its own rates. In our state, it is the highest, in Madras it is the lowest.

[श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

Even if no electricity is consumed even then in my State, everybody has to pay rupees four as minimum. It is really very strange that the Electricity Boards are fixing the rates in an arbitrary manner. Together with that there is also one strange process that they follow. If there is a shortage of power, they diverted elsewhere, the power which actually meant for rural areas. I am strongly of the opinion that such arbitrary exercise of discretion must stop. I also urge the Government that the rural areas should be supplied power at cheaper rates. I very strongly oppose this clause and state this Bill is very reactionary Bill, it will not solve any useful problem.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Jainagar):

I think this amending Bill, will lead us towards the socialistic pattern of society. This is very timely and it is in the right direction. We are going to have a rural electrification programme in the whole country. The amendment proposed in the sixth schedule. It is changing the old law. We know it very well that 80 percent people in this country live in villages. There are almost 5 lakhs and 60 thousand villages in the country. Until and unless we arrange electricity in the rural areas, we cannot think of the progress of agricultural production. We are already very backward in this connection as compared with the State of affairs in the other country. It may be mentioned in this connection that by June 30, 1962, 97·7 percent of farmers in America had obtained electricity. One American feeds 25 Americans. If we want that every village in India may have electricity by Oct. 1969, we shall have to put up tremendous efforts .

This is true that 214 licencees are not working properly. We must know that the idea of taking over the private licences is in keeping with our aim of achieving socialism. You will have to deal with the private companies very strongly. These managing directors are also very clever people and doing so many objectionable things. Let us hope that with Bill we will be able to solve many a difficult problem in this connection.

It may be mentioned that the private companies have not been administering things very correctly and have been exploiting the consumers. Now when they have seen that tables are turning they have started their game of getting better terms. I want to urge upon the Government very strongly that they should deal such people very strongly and they ought not to get any benefit whatsoever in this deal This resolve of giving electricity to the one lakh villages of the country must be implemented by the Birth Centenary of Mahatma Gandhi i. e. Oct. 1966. If this is done it will add to the agricultural production of the country.

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) इस सन्दर्भ में मुझे तीन महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं, इसका सम्बन्ध सरकारी नीति से है । उन कुछ बातों को छोड़ कर मेरे विचार में सामूहिक दृष्टि से यह विधेयक ठीक ही है । इससे बहुत सी चीजें ठीक हो जायेगी । मुख्य अधिनियम की धारा 5 में यह व्यवस्था है कि भूतपूर्व विधायक को बिजली बोर्ड का सदस्य नियुक्त करने से पूर्व 12 मास का समय व्यतीत हो जाना चाहिए । मेरे विचार में यह बहुत ही उचित नियम है । मेरा यह मत है कि बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उसे

नहीं बदला जाना चाहिए। यह तो हमें पता ही है कि आम चुनाव होने वाले हैं और इस बात की सम्भावना है कि पदासीन दल के बहुत से लोग इस चुनाव में पराजित हो जायेंगे। इस बात की पूरी सम्भावना है कि इन कई एक पराजित लोगों को इन बोर्डों का सदस्य मनोनीत कर दिया जायगा। अतः मेरा कहना है कि इस प्रस्ताविक संशोधन को वापिस ले लिया जाना चाहिए। हम पिछले कई वर्षों से भष्टाचार को समाप्त करने की बातें करते चले आ रहे हैं। हम इसके लिए विविध प्रकार के लोगों को उत्तरदायी ठहराते हैं। परन्तु यह बात नहीं करते कि संसद के भूतपूर्व सदस्यों को बोर्डों के सदस्य न बनायें। उद्देश्यों और कारणों में इसके लिए जो तर्क प्रस्तुत किया गया है वह भी बहुत ठोस नहीं है। अतः मेरा कहना है कि इस खण्ड को नहीं बदला जाना चाहिए।

यह एक बड़ा अजीब प्रस्ताव है कि 25 लाख रुपये से कम के पूंजीपत खर्च वाली योजनाओं को प्रकाशित करने की कोई आवश्यकता नहीं और केवल एक करोड़ रुपये से कम के पूंजीगत खर्च वाली योजनाओं को ही एक बार प्रकाशित करने की आवश्यकता है। इनमें से प्रत्येक योजना से किसानों वर्तमान लाइसेन्सदारों और कई अन्य लोगों के अधिकारों सम्पत्ति विषयक अधिकारों आदि का हनन होता है। इस प्रकाशन का उद्देश्य यह है कि जहाँ कहीं किसी को कोई आपत्ति हो या उसका कोई सुझाव टिप्पणी अथवा आलोचना हो वह उसे दे सकता है, उन पर विचार करके एक अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है, यह कहना कि सूचना को दोबारा प्रकाशित करने में जो खर्च होगा वह बहुत ही अधिक है और राज्य सरकार 25 लाख रुपये लागत वाली परियोजनाओं पर होने वाले इस खर्च को बर्दाश्त न कर सकेगी या यह कहना कि 25 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये लागत वाली परियोजना पर केवल एक ही प्रकाशन का खर्च सहन कर सकती है, हास्यप्रद और असंगत है। योजनाओं को उन पर किये जाने वाले खर्च के अलावा उन व्यक्तियो की राय से जो उससे प्रभावित होते हैं, भी काफी हद तक सुधारा जा सकता है।

किसी बिजली कम्पनी की भारित पूंजी को विभाजित करने का प्रस्ताव जिसके अनुसार किसी निश्चित तारीख तक लगाई गई पूंजी पर 7 प्रतिशत लाभ दिया जाए और उस तारीख के बाद 8 प्रतिशत लाभ दिया जाए, अत्यन्त असाधारण है। आगे जो लाभ दिया जा रहा है उसकी कम मात्रा से यह प्रतीत होता है कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को ठीक तरह नहीं समझा जा रहा है। यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया जैसे सुरक्षित निवेश में भी लोगों को 7 प्रतिशत लाभ मिलता है। जोखिम के निवेश में भी उतना ही लाभ मिले तो कोई उसमें धन नहीं लगायेगा। यह समझ में नहीं आता कि किसी उद्योग को किस प्रकार आधुनिक बनाया जा सकता है और उसका विकास किया जा सकता है जो वित्त मन्त्री कहते हैं।

Shri Bibhuti Mishra : I want to impress upon the Honourable Minister to withdraw this Bill. I think the farmers are not going to get any benefit of this Bill. Before you decide to have the uniform rate of the electricity all over the country the farmers are not going to be benefitted with this. Let me tell you that there is no provision in the Bill fixing the percentage of electricity generated to be given to agriculturists and other consumers. I am of the opinion that the farmers will not be able to get electricity unless there is a provision in this Bill to this effect. I think the presentBill completely ignores the interest of the agriculturits and therefore, it should be withdrawn, Let there be another Bill, which may cater the interests of the agriculturists

be brought forward. There should be proper arrangement of supplying electricity to the agriculturists.

I am of the opinion that Government can provide electricity at cheap rates to the peeple in big cities. It is just possible that sometimes the cost of supplying electricity to some vilagers may be high. In that case Government should provide subsidy for this purpose and the electricity should be supplied to the people at subsidized rates. In this direction this is very essential that the rates of the electricity should be uniform throughout the country.

Government may pay more attention to provide electricity to the areas which are not getting it at present. It is not justice to decrease the rate of the electricity in Bombay because Bombay High Court remarked that it is compact area. It is strange that in Bombay the electric will be cheap while in villages its rates will be very high.

There should not be any discrimination in generation of electricity in various states. I find that in some state the capacity has been increased while in others there is still great shortage and no measures have been taken in this regard. There should be some provision in this Bill.

The rates of electricity in Bihar are very high as compared to other states.

The poor farmers have to experience great hardship before they are given power connections for agricultural purposes. The procedure in connection should be simplified.

This Bill should be suitably amended.

The private companies, that are doing distribution work, are working very inefficiently. Similar is the condition of Government Departments. Government should take into consideration the difficulties of consumers and try to remove them. I have found that Government gives preferential treatment to industries in the matter of giving electricity and the agriculturists are given a lukewarm attention. It is not proper. If we want to attain self-sufficiency in the matter of foodgrains, we should provide all facilities to the farmers.

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार): मुझे आशा थी कि इस विषय पर एक व्यापक विधेयक लाया जायेगा परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया है। इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है कि संसद सदस्य तथा राज्यों के विधायक अपनी कार्याविधि के पश्चात् राज्यों के बिजली बोर्डों के सदस्य बन सकेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इससे अपने दल के सदस्यों को लाभ पहुंचाना चाहती है ? क्योंकि नये चुनावों पर वे लोग सदस्यता से वंचित हो जायेंगे।

वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत बकाया धन की वसूली तीन वर्षों के बाद नहीं की जा सकती। अब इस अवधि को बढ़ाये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकारी अधिकारी अपना काम ठीक प्रकार से नहीं करते और बिजली विभाग का रुपया वसूल नहीं होता। क्या इन दोषी अधिकारियों को और अधिक समय दिया जाना उचित है ? मेरे विचार में तो ऐसे दोषी अधिकारियों को दण्ड नहीं मिलता जो अपना कार्य कुशलता से नहीं करते। माननीय मंत्री इस बारे में स्पष्टीकरण करें।

रिजर्व फंड में इस धन के प्रतिशत के रखे जाने के क्या कारण है ? बिहार के पुर्निया जिले के कटिहार निर्वाचन क्षेत्र जैसे पिछड़े क्षेत्रों के किसानों को कम दर पर

बिजली मिलनी चाहिए। इससे कृषि उत्पादन की वृद्धि में सहायता मिलेगी। मंत्रालय को विधेयक में आवश्यक परिवर्तन करने चाहिएं। अवमूल्यन से कर्मचारियों की वास्तविक मजूरी में कमी हो गई है। सरकार को उनके वेतन में तुरन्त वृद्धि कर देनी चाहिए। बिजली बोर्डों को बोनस देने पर भी विचार करना चाहिए। सरकार को निजी कम्पनियों को अपने अधीन कर लेना चाहिए और निहित हितों के आगे झुकना नहीं चाहिये। बिजली के कारखानों में कोयले के स्थान पर डीजल को प्रयोग में लाया जाना चाहिये। इससे व्यय में कमी होगी।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : The Electricity Act was passed in 1948 . Since then many dovelopments have taken place since then. The Act has become outmoded. We should make necessary. Under new arrangements schemes will have to be published. There should not be any objection over this. State Governments have to incur large sums of money on laying the transmission lines. There is great shortage of electricity in Eastern Disticts of U. P.

There are two Departments dealing with electricity. One is generating Department and the other is Distribution Department but unfortunately there is no coordination in these two Departments. Then it is said that we are short of material. I can say that it is not the lack of material that is responsible for this state of affairs but it is lack of coordination between various Departments. Railway Administration should be contacted for poles for transmission lines.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

The Rihand Power station is working to full capacity. We should enlarge the area of transmission. I am glad that a good provision has been made under section 49 but along with the proviso that has been added mars the provision. The Boards have been authorised to fix different tariffs for the supply of electricity. It will not help the poor agriculturists but it will help the big industrialists. There should be equal tariffs for all. There should not be any discrimination in this matter.

In regard to the recovery of arrears of electricity, the Boards should be given powers. It should be like the powers of revenue authorities for collecting land revenue. I know about many big people who owe Government lakhs of rupees. No action is taken against them. This type of favour should not be shown to these people.

All efforts of Government are directed towards the increase in agricultural output Electricity plays a major role in this. It is a good gesture on the part of Central Government that it has agreed to sudsidise the expenditure on electricity beyond a certain amount. The U.P. Government has put some conditions on installing tubewells near a Government tubewell. This will hamper the increase in the agricultural produce. The tubewells that are run with diesel should be treated at par with those run with electricity.

We can be self-sufficient only when we provide all types of facilities to our farmers. Government should think over these suggestions and points.

Shri K.N. Pandey (Hote): This amending Bill has been brought forward to remove the defects in the existing measure. There is a tendency found in dusstrialists that they establish their industries only in those areas which are already well

developed. But this Bill seeks to develop all areas on an equitable basis. Keeping in view this thing I welcome this Bill.

It is not necessary that only Congress legislators would be appointed members of Board. Persons belonging to opposition parties would also be appointed. It is not proper to cast reflection on ruling party. We should have some restraint while saying such things.

It is a good provision in this Bill that employee's representatives would be members of the Advisory Council. I feel that their representatives should be made members of the Boards also. The workers of Electricity Department should be provided more facilities. In the event of their death their families should be given pension. Government should give benefits of entire previous service to workers of private undertakings that have been taken over by Government.

श्री वारियर (त्रिचूर) : इस विधेयक को ध्यान से पढ़ने पर मुझे निराशा हुई है। सरकार को गैर-सरकारी लाइसेंसदारों पर अपना नियन्त्रण और अधिक कड़ा कर देना है। और इसके साथ साथ राज्य बिजली बोर्डों को भी अपने नियन्त्रण में कर लेना चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य के बिजली बोर्ड को पूरी निधि दे दी थी परन्तु राज्य बोर्ड ने जिस तरीके से उसका प्रयोग किया है उस पर सन्देह होता है। सरकार को ठेकेदारों और मज़दूरों के बीच उठे झगड़ों को स्वयं निपटाना चाहिए। हमें बताया जाये कि कितने राज्य बिजली बोर्ड संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। देश के 16 राज्यों में केवल तीन या चार राज्यों को छोड़कर कहीं भी राज्य बिजली बोर्ड ठीक प्रकार से और कुशलता से कार्य नहीं कर रहे हैं। सरकार को अपने हाथ में कार्य ले लेना चाहिये और प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिये। जहां तक बिजली दिये जाने की बात देहातों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमें ग्रामों को पूरा महत्व देना चाहिये। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। देश की प्रगति ग्रामों की प्रगति पर निर्भर करती है। ग्रामीणों को अधिकाधिक बिजली मिलनी चाहिये।

इस विधेयक में कुछ बहुत आश्चर्यजनक उपबन्ध हैं। यह बात स्पष्ट नहीं हुई कि सरकार संसद सदस्यों तथा विधान सभाओं के सदस्यों को उनकी सदस्यता समाप्त होने के बाद नियुक्त करने के बारे में इतनी अधिक चिन्तित क्यों है ? बड़े बड़े ठेकेदार सेवानिवृत्त इंजीनियरों को नौकर रख लेते हैं और उनके द्वारा अनुचित लाभ उठाते हैं। ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये।

जहां तक टैंडरों का सम्बन्ध है 25 लाख का परिवर्तन किया गया है। धन के सम्बन्ध में सावधान होने की आवश्यकता है और 25 लाख रुपये तुच्छ रकम नहीं है। प्रायोजनाओं को जल्दी पूरा करने के उपाय किये जायें।

डा० कु० ल० राव (विजयवाडा): यह योजना के हवाला का प्रकाशन है, इसका टैंडर की मंजूरी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री वारियर : आयोग के तकनीकी परामर्श के अनुसार जब कोई विशेष योजना प्रकाशित की जाती है तो लोग उस पर अपने सुझाव देते हैं। तकनीकी तौर पर वह योजना सम्भव हो सकती है और अन्ततः लाभदायक सिद्ध हो सकती है किन्तु तत्काल लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है। लोगों को वेदखल किया जा सकता है। ऐसे मामलों में लोगों की राय अवश्य

ली जाये। इसलिए पहले वाली व्यवस्था उचित ही है, इस विधेयक में समय की आवश्यक मांगों को स्थान दिया जाये।

श्री मुथिया (विरुनेलवेली) : कृषि और उद्योग के विकास के लिये विद्युत शक्ति अनिवार्य है। रुस के आर्थिक विकास के लिए लैनिन ने बिजली के विकास पर जोर दिया था। आज देश में जितनी बिजली पैदा की जाती है वह बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार द्वारा प्रकाशित भारत के तीसरे वार्षिक विद्युत शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार 1966-67 में संस्थापित क्षमता 12951 मेगावाट है और चौथी योजना के लिये जो लक्ष्य निश्चित किया गया है वह 24 मेगावाट का है। आज जितना बिजली कृषि के लिये दी जाती है, उससे कहीं अधिक दी जानी चाहिये। इस समय बिजली सप्लायी का 70 प्रतिशत उद्योगों में तथा कुल सप्लाई का 10 प्रतिशत से कम कृषि में खर्च होता है। जैसा कि मद्रास में किया जाता है, बिजली की दर व पैसे प्रति एकक से अधिक नहीं होनी चाहिये। कृषि-कार्यों के लिये बिजली की न्यूतनम दर नहीं होनी चाहिए। बिजली की सप्लाई में मद्रास राज्य सब राज्यों से आगे है किन्तु बिजली उत्पादन की काफी कमी है। कृषि और उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजली की सप्लाई के लिये मद्रास राज्य अधिकतर पन-बिजली परियोजनाओं पर निर्भर करता है। मद्रास राज्य में तापीय बिजली इतनी नहीं है कि पन-बिजली की कमी को पूरा कर सके। प्राय: वर्षा की कमी रहती है और पन-बिजली भी इस कमी को पूरा नहीं कर सकती। इस कारण गर्मियों में बिजली की भारी कटौती की जाती है। तूतीकोरिन में स्थापित किया जाने वाला तापीय बिजली संयंत्र राज्य के दक्षिणी जिलों के लिए बहुत आवश्यक है। यह तूतीकोरिन में चौथी योजना में शीघ्र ही स्थापित किया जाना चाहिए।

जहाँ तक विधेयक का सम्बन्ध है, संसद-सदस्यों तथा राज्य के विधान-मण्डलों के सदस्यों को उनकी सदस्यता समाप्त होने के तुरन्त बाद ही बिजली बोर्ड के सदस्य नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में उपबन्ध वांछनीय है।

विधेयक के खण्ड 20, 21 और 22 भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे और शेष सब उस दिन से लागू होंगे जब विधेयक अधिनियम बन जायेगा। यह अच्छा होता यदि भूतलक्षी प्रभाव वाले उपबन्धों को हटा दिया जाता और समानता लाई जाती। पुराने अधिनियम के अनुभाग 29, को नये खण्ड से बदला जा रहा है। नये खण्ड के अनुसार 25 लाख की लागत से कम वाली योजनाओं को छोड़ कर, शेष सभी स्वीकृत योजनायें सरकारी राज पत्र में छापी जायेंगी। एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली किसी योजना के लिये मंजूरी देने से पहले बिजली बोर्ड राज्य सरकार से तथा केन्द्र से परामर्श लेगा और उनकी अनुमति प्राप्त होने पर ही कार्य आरम्भ करेगा। इससे बोर्ड पर अच्छी रोक रहेगी।

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै) : देश में बिजली का शीघ्रता से विस्तार करने के लिये 1948 के अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करने की आवश्यकता है। शीघ्रता से विस्तार करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक तो घरेलू तथा कृषि सम्बन्धी उपभोग के लिये बिजली सप्लाई

की दरों को कम किया जाना चाहिये । दूसरा प्रश्न प्रतिशत लाभ का है । यदि एक बिजली विस्तार की योजना का अनुमोदन करना है तो पहले यह गणना की जाती है कि पूंजी व्यय से कोई प्रतिशत लाभ होता है । मद्रास राज्य में यह लाभ 10 प्रतिशत रखा जाता है । इस प्रतिशत लाभ को भी कम किया जाना चाहिये । जब तक ये दोनों काम नहीं किये जाते बिजली का शीघ्र विस्तार करने की बात करना निरर्थक होगा । ऐसा करने के लिये यह आवश्यक है कि बिजली उपक्रमों को वास्तविक रूप से जनोपयोगी सेवा संस्थायें बनाना चाहिए । आज ये उद्योग प्रमुख रूप से मुनाफाखोरी के उद्योग हैं । जब तक यह स्थिति नहीं बदलती दरों तथा प्रतिशत लाभ में कमी नहीं हो सकती । मुनाफाखोरी के अनगिणत उदाहरण हैं । आंधरा वाली और अहमदाबाद बिजली उद्योग भारी मुनाफा कमा रहे हैं । 'टाटा पावर' की परिसम्पत्ति जो 1963-64 में 26 करोड़ रुपये थी 1964-65 में बढ़कर 28.6 करोड़ हो गई । एक वर्ष में परिसम्पत्ति में 2.5 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । वस्त्र, तम्बाकू, लोहा और इस्पात आदि नियोजित उद्योगों का लाभ क्रमश: 29.7, 24, 26 प्रतिशत है किन्तु बिजली के उत्पादन का लाभ 35 प्रतिशत है । लोहा तथा इस्पात जैसे संगठित उद्योगों और कपड़ा जैसे उपभोकता उद्योग की तुलना में बिजली उद्योग जो कि मुख्य रूप से कृषि के विकास को गति देने के लिये है और जनोपयोगी सेवा है , देश का मुनाफाखोरी वाला पहले दर्जे का उद्योग है । यदि सरकार उपभोक्ता के हितों, लोगों के हितों तथा कृषि विकास का ध्यान रखना चाहती है तो यह आवश्यक है कि सरकार इस मुनाफा-खोरी को सख्ती से दबाये ।

1948 के अधिनियम के कुछ उपबन्ध मुनाफाखोरी के कारण हैं । उसमें दी गई मानक दर रिज़र्व बैंक की दर और अतिरिक्त प्रतिशत को जोड़ कर बनती थी । रिज़र्व बैंक दर को अलग किया जाना चाहिये और कृषि तथा अन्य विकास में तेजी लाने के लिए कोई नया सूत्र बनाया जाना चाहिये । सरकार ऐसा न करने की बजाय थोड़ा सा परिवर्तन कर रही है जिस से उपभोक्ताओं को कोई विशेष लाभ नहीं होगा । कृषि के शीघ्र विकास के लिये तथा अन्य विकास कार्यों के लिए और जनता तथा उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि इस उपबन्ध को बदला जाये ।

दरों को समान स्तर पर लाने का प्रयत्न तो अवश्य किया जाये किन्तु राज्यों के ऐसे क्षेत्रों पर जिनमें बिजली का सम्भरण और विस्तार कम है , एक पृथक आधार पर विचार किया जाना चाहिये । पादुकोत्तई के तिरुमयम तालुके में सदायमपट्टी ग्राम निवासियों में से 104 लोगों ने विद्युत नल-कूप के लिए बिजली लेने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे । अधिनियम के अनुसार आवश्यक रकम भी जमा करवा दी गई थी । तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी उन्हें बिजली के कनेक्शन नहीं मिल सके । यह स्थिति कई गाँवों में पाई जाती है । इसका कारण यह बताया जाता है कि इस पर उन्हें $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत लाभ मिलेगा जबकि उनको न्यूनतम प्रतिशत लाभ 10 प्रतिशत है । पिछड़े क्षेत्रों में शीघ्र विकास की गुंजाइश की जानकारी के लिए योजना आयोग दल ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का दौरा किया । उन्होंने सिफारिश की है कि लाभ की चिन्ता न करते हुए पिछड़े इलाकों में विद्युत शक्ति में भारी निवेश किया जाये । तिरुची जिले की ज़िला विकास परिषद ने सिफारिश की है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में लाभ की प्रतिशत दर बिल्कुल खत्म कर दी जाये और

उन्हें छूट दी जाये । अतः पिछड़े हुए इलाकों में लाभ की प्रतिशत की शर्त समाप्त कर दी जाये और उन्हें छूट दो जाये यदि सरकार कृषि उपज और अन्य क्षेत्रों में विकास चाहती है ।

कलकत्ता के निकटवर्ती चन्द्रनगर के लाइसेन्सदार क्षेत्र में बिजली की दर कलकत्ते की अपेक्षा अधिक है । वहाँ पर उल्लेखनीय कोई विस्तार कार्य नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त उस निजी लाइसेन्सदार ने बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी लाभ-निधि आयुक्त को लाभ-निधि का हिसाब नहीं दिया । इसने कारीगरों के मन में असुरक्षा को भावना पैदा की है । लाइसेन्स की 1967 में समाप्त होने वाली मियाद को आगे न बढ़ाया जाये और सरकार इस विशेष क्षेत्र को अपने हाथ में ले ले और आवश्यक विकास की व्यवस्था करे ।

Shri N.P. Yadav (Sitamarhi): The northern Bihar particularly Sitamarhi area is very backward. Shri K.L.Rao, Minister in the Ministry of Irrigation and Power had also realised this when he toured the northern Bihar. The supply of electricity in this area has not been improved. The Government should see that electricity is supplied to those areas.

There is difference of rates of electric supply in Northern Bihar and Southern Bihar. This disparity should be done with . The supply of electricity is not regular in Northern Bihar particularly Hajipur area. Sometimes supply is made for 2 or 3 hours a day and this results in the vanishing away of crops. This causes a great loss to farmers who invest huge amounts and entirely depend upon agriculture. Government should seriously consider this problem and make arrangements for regular supply of electricity to the farmers for agricultural purposes.

The private companies engaged in the supply of electricity should be nationalised soon so that farmers and other people of the country can get electricity at cheaper rates.

The electricity supply management of Muzaffarpur, Darbhanga and Lahriya Sarai should be taken over by Electricity Board of Bihar.

Provision of electricity should be made in the backward areas and areas located near Bagmati river. Thousands of villagers will be benefitted by this scheme. Electric supply in this area would result in bumper crop and then there would be no necessity to import foodgrains to feed the inhabitants of this area.

श्री काशी राम गुप्त : सरकार को कुछ समय और रुकना चाहिये था और एक अधिक व्यापक विधेयक लाती क्योंकि ग्रामों में विद्युतीकरण के विस्तार और ग्रिड प्रणाली के कारण वर्तमान अधिनियम में काफी परिवर्तन करने की आवश्यकता है । 1948 के अधिनियम के अध्याय 111, खण्ड 6 में दो अन्तर्राज्य बोर्डों के काम करने की व्यवस्था है । अब समय आ गया है जब कि दो से अधिक बोर्ड मिल कर काम करेंगे किन्तु इसके लिये विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गई ।

जब ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा तो राज्यों की सीमायें व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न करेंगी । अधिनियम में ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा एक राज्य को बिजली देने के लिये बाध्य किया जा सके यदि वह राज्य बिजली की निश्चित मात्रा देने से इन्कार कर दें । इस प्रकार की आपत्तियों से निपटने के लिये अधिनियम में व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

यह भी कहा गया था कि बिजली बोर्ड स्वायतशासी हों तथा वह वाणिज्यिक संस्थाओं की भाँति काम करें । परन्तु सरकार स्वयं इस प्रकार कार्य कर रही है कि बिजली बोर्ड अपने

आपको बेसहारा समझते हैं और परिणाम सहन करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जनता, कृषक तथा उद्योगों को हानि पहुँच रही है। मन्त्री महोदय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि बिजली बोर्ड भी अन्य व्यापार संस्थाओं की भाँति कार्य करें।

राज्य बिजली बोर्ड जनोपयोगी विभागों के ढंग पर काम न करे। मेरे मत के अनुसार ग्रामों में विद्युतीकरण की योजनाओं आदि के लिये सरकार राजसहायता दें और बिजली बोर्ड अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं की भांति कार्य करें और उन्हें आयकर, बोनस आदि की छूट दी जाये।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : बिजली की सप्लाई के लिए प्रशुल्क और शर्तें नियत करने के लिए बोर्ड किसी व्यक्ति को अनावश्यक प्राथमिकता नहीं देगा। इन शब्दों का यहाँ कोई अर्थ नहीं क्योंकि प्राथमिकता केवल राजनैतिक कारणों से दी जाती है।

खण्ड 13 में "पच्चीस हजार" तथा पिच्छत्तर हजार" की सीमा बढ़कर "एक लाख" तथा "तीन लाख" क्रमानुसार की गई है। इस बढ़ोत्तरी का मन्त्री महोदय कारण बताएं।

खण्ड 14 प्राथमिकता के बारे में स्पष्ट होना चाहिये। इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि प्रथम प्राथमिकता राज्यों में बिजली के विकास को दी जाएगी और इसके पश्चात् ऋणों की अदायगी, आदि आदि।

जब हम सारे देश के लिए एक विद्युत जाल करने जा रहे हैं तो हमें उनके कर्मचारियों के वेतन भी समान ही रखने चाहिये। इससे श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले झगड़ों से बचने में सहायता मिलेगी।

जहाँ तक बिजली बोर्डों के काम करने का प्रश्न है, पिछले दस वर्षों से, विशेषकर राजस्थान के बिजली बोर्ड में बहुत भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात है। जब भी किसी कृषक ने कोई बिजली का कनेक्शन लेना होता है, तो उसे 100 रुपये या इससे अधिक अधिकारी को रिश्वत के रूप में देने पड़ते हैं। सरकार इसको रोकने के लिये अधिनियमन में व्यवस्था करे।

जहाँ तक कृषकों का सम्बन्ध है बिजली की दरें सब स्थानों पर समान हों और इन्हें सरकार वित्तीय सहायता दे।

Shri Brij Basi Lal (Faizabad): The minimum rates of electricity supply in Uttar Pradesh are a source of great difficulty to the cultivators. Some cultivators in U.P. possess small pieces of land andthey have dug wells to irrigate their fields. They want the supply of electricity but this minimum rate stands in their way to do so Again electricity is not supplied when some canal or tubewell happens to be in the nearby. These are the difficulties which might be removed so that the water is provided to the farmer. It is essential that the Government subsidises the supply of electricity to the cultivators and the minimum charge is waived. This will help increase the agriculture production which is the ultimate aim of the Government.

The provison relalating to obtaining of no demand certificate in the case of areas located within 4-6 furlongs slould be removed. Lift irrigation and tube-wells are insufficient source of irrigation and hence the production cannot be increased.

In view of these difficulties I would request the Hon. minister to accept my amendments. If my proposals cannot be acceded to, the hon. Minister may atleast ensure the U.P. State Electricity Board that they will be subsidised by the Central Government to the extent of loss caused to them due to the removal of minimum charge.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : हमारे देश में बिजली सप्लाई की कहानी ऐसी हैं कि जितनी आशायें इससे की गई थीं वह पूरी नहीं हुईं। सारे आश्वासनों के बावजूद, बिजली का विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है।

देश के विभिन्न भागों में पानी तथा बिजली की कमी है। संतोषजनक मात्रा में इनकी उपलब्धि पूरी नहीं की जा सकी है। बिजली हमारी प्रगति के लिए अनिवार्य शर्त है। जब तक कि बिजली सप्लाई का एकीकृत तथा नियोजित विकास निश्चित न हो, देश की उन्नति अनिवार्य रूप से रुक जाएगी।

यदि विश्व में बिजली के उत्पादन पर ध्यान दिया जाये और विभिन्न देशों में बिजली के उत्पादन से भारत में बिजली के उत्पादन की तुलना की जाये तो भारत का उत्पादन बहुत कम रहता है। विश्व में कुल बिजली का उत्पादन का 37 प्रतिशत अमेरिका में हुआ। रुस में बिजली का उत्पादन 13 प्रतिशत था। भारत में बिजली का उत्पादन, विश्व बिजली उत्पादन का केवल 2 प्रतिशत था। ऐसी स्थिति में हम प्रगति की क्या आशा कर सकते हैं।

राजस्थान तथा देश के अन्य भागों में बिजली सप्लाई के मामले में सरकार की असफलता के कारण बिजली के कुएं चालू नहीं किये जा सकते। यही स्थिति अनेक लघु तथा मंझौले आकार के उद्योगों के सम्बन्ध में है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने प्राथमिकताओं के क्रम में बिजली को बहुत नीचे रखा हुआ है।

जहाँ तक कृषि क्षमता और औद्योगिक क्षमता का सम्बन्ध है, सरकार सभा को यह बताये कि बिजली न दिये जाने के कारण कितनी कृषि क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका और कितनी औद्योगिक क्षमता बेकार पड़ी रही। क्या ऐसा कोई सर्वेक्षण किया गया है। यदि ऐसा सर्वेक्षण किया जाये तो पता लगेगा कि हमारे आर्थिक विकास में बिजली का विकास सन्तोषजनक नहीं रहा है और इसी कारण बहुत सी कृषि क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका है।

राज्य बिजली बोर्ड अकुशल, सुस्त तथा ढीले ढाले हैं। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें क्या कुछ करना है। उनमें गतिशीलता तथा उस दृष्टिकोण की कमी है जिसके कारण उपभोक्ता को अत्यधिक कुशल सेवा उपलब्ध की जा सके। किसी प्रमाण के बिना ही बिल तैयार किये जाते हैं ऐसे हजारों मामले हैं जिनमें बिल तैयार नहीं किये गये तथा रिकार्ड नहीं रखे गये। इन मामलों को सुधारने के लिए सरकार को अवश्य कोई तरकीब निकालनी चाहिये।

राजस्थान के सदस्यों ने अपने राज्य की स्थिति के बारे में प्रधान मन्त्री को अभ्यावेदन दिया परन्तु दुर्भाग्यवश उससे कोई परिणाम नहीं निकला और वही घिसा-पिटा जवाब दिया गया कि मामले पर ध्यान दिया जा रहा है। यह ठीक है कि राजस्थान विशेष तौर पर बिजली के मामले में एक बहुत पिछड़ा हुआ राज्य था। जब यह राज्य बनाया गया तो केवल 42 इलाकों में बिजली थी। पहली और दूसरी योजनाओं में क्रमशः 24 और 65 और इलाकों में बिजली की व्यवस्था की गई। तीसरी योजना में राजस्थान के 1103 इलाकों में बिजली लगाई गई। इस प्रकार तीसरी

योजना की अवधि में राजस्थान में काफी हद तक बिजली लगाई गयी, फिर भी वहाँ 3.9 प्रतिशत बिजली लगायी गयी, जब सारे भारत के लिए औसत 9.3 प्रतिशत है। हम अधिक उन्नत राज्यों से बहुत पिछड़े हुए हैं। राजस्थान में लगाई गई बिजली की मात्रा तथा अखिल भारतीय औसत में बहुत अन्तर है और इस अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए।

सरकार ने घोषणा की है कि 2 अक्टूबर, 1969 तक कम से कम एक लाख गाँवों में बिजली लगा दी जायेगी और प्रत्येक राज्य में कम से कम 20 प्रतिशत गाँवों में बिजली लगायी जायगी। सभा को यह बताया जाना चाहिए कि क्या उस बड़ी घोषणा को पूरा करने के लिए सरकार के पास कोई योजनाएं हैं। ऐसा करना सरकार के लिए असम्भव प्रतीत होता है क्योंकि केवल 250 लाख रुपया नियत किये जाने के बारे में सोचा जा रहा है जबकि आवश्यकता 650 लाख रुपये की होगी। देहात में पानी की सप्लाई, कृषि के लिए कुओं का प्रयोग तथा छोटे सिंचाई साधन बिजली पर निर्भर करते हैं इसलिए बिजली की सप्लाई की व्यवस्था करना परमावश्यक है।

श्री म० ला० जाधव (मालेगाँव) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। खेतों के लिए बिजली देने की दिशा में काफी काम किया गया है। महाराष्ट्र के कई गांवों में खेतों के लिये बिजली दी जा रही है। उस दिशा में अधिकाधिक प्रयत्न किया जाना चाहिए। बैल और डीजल इन्जन बहुत मंहगे हैं और इनकी सहायता से पानी की व्यवस्था करना किसान के लिए बहुत कठिन है। इस लिए कृषि-कार्यों के लिए सस्ती बिजली की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न करना अनिवार्य है।

वर्षा ऋतु में कृषि के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती। उस समय पम्प बेकार रहते हैं फिर भी कृषक को कुछ न्यूनतम दर जो 18 या 19 रुपये प्रति महीना है, देनी पड़ती है चाहे वह पम्पों का प्रयोग करता है अथवा नहीं। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में कुएं सूख जाते हैं और पम्प प्रयोग में नहीं लाये जाते फिर भी कृषक को बिजली का खर्च देना पड़ता है। यह प्रथा समाप्त की जानी चाहिए। इसके साथ यह भी अनुरोध है कि सभी राज्यों में बिजली के दर एक होने चाहिये। हम उस संशोधन का भी स्वागत करते हैं जिसके अनुसार संसद-सदस्य तथा राज्य विधान मण्डलों के सदस्य अपनी सदस्यता की समाप्ति के तुरन्त बाद राज्य बिजली बोर्डों के सदस्य बन सकते हैं। उसकी कोई आलोचना न्यायोक्ति नहीं है।

जहाँ तक प्रकाशन का प्रश्न है सभी प्रयोजनाओं का प्रकाशन आवश्यक है चाहे उनकी लागत 25 लाख रुपये हो या उससे कम। प्रकाशन होने पर जनता मूल्यवान सुझाव दे सकती है और कुछ गलतियाँ भी छाँट सकती है। इसलिए प्रकाशन का होना हितकर ही होगा।

जहाँ तक अनुभाग 49 के संशोधन का सम्बन्ध है मैं इसका स्वागत करता हूँ क्योंकि ऐसा करना आवश्यक है। निकटवर्ती इलाकों और दूर-दूर के इलाकों में बिजली की व्यवस्था करने पर व्यय में अन्तर हो सकता है इसलिए बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले पर काबू करने के लिए ऐसा संशोधन करना आवश्यक है।

इस टिप्पणी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Yashpal Singh : The supply of electricity to Cinema Houses should be diverted to the operation of tubewells This will solve the food problem. The electricity is not supplied to the farmer for agriculture purposes and instead it is diverted fo

other purposes. Government should look into the matter and the first priority should be given to agriculture.

The problem cannot be solved until and unless we put an end to corruption, nepotism and idleism. The best way to solve the problem of agriculture is to handover the electricity business to Panchayats. The tubewell operator is not given good pay. The supply of electricity is controlled by Electricity Boards at some placeswhile in some other localities it is controlled and owned by private companies and these companies are earning huge profits out of it, but they are not being nationalized. These companies must be nationalized.

There is disparity in the rates of electric supply also. This system must be removed and unifomity of rates must be preserved otherwise the position may further deteriorate. It is desirable that the farmers are provided electricity at cheaper rates and the capitalists are not given any preference.

The demands of the farmers for electricity connections for agriculture purposes should be met more and more. The farmers should also be associated with the electricity supply managements.

श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : बिजली (सम्भरण) अधिनियम, 1948 की त्रुटियों को दूर करना इस विधेयक का उद्देश्य है। विकास कार्यों के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए तथा ग़ैर-सरकारी लाइसेंसदारों पर नियन्त्रण को कड़ा करने के लिए कुछ परिवर्तन करने के लिए इस विधेयक में सुझाव दिया गया है। जहाँ तक ग़ैर-सरकारी लाइसेंसदारों का सम्बन्ध है, बम्बई में टाटा हाइड्रो-पावर कम्पनी तथा अहमदाबाद की बिजली सप्लाई कम्पनी बहुत वर्ष पहले स्थापित की गई थी और उन्होंने उन क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत लाभदायक कार्य किया है। यदि हम उन्हें अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो हमें उन्हें उचित मुआवजा देना चाहिये अथवा जब उपयुक्त समय आये तभी उनका ठेका समाप्त करना चाहियें।

गाँव को बिजली की सप्लाई कृषि के लिए की जाती है। परन्तु गाँव के लोग इतने गरीब हैं कि वह इस बिजली का लाभ नहीं उठा सकते और इसका प्रयोग पंचायतें सड़कों के लिए करती हैं। यह लोग कुएं आदि नहीं खोद सकते और न ही बिजली के पम्प खरीद सकते हैं। इसलिए बिजली के साथ-साथ उन्हें मोटर पम्प भी दिये जाने चाहिये।

सरकार शायद बिजली बोर्डों को एक में मिलाने अथवा बिजली सप्लाई की एक सी प्रणाली अपनाने के बारे में सोच रही है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक सभी राज्यों के लिए हम एक सी दरें लागू नहीं कर सकते।

बिजली बोर्डों के काम करने के बारे में कुछ शिकायतें की जाती हैं। गाँव के लोगों द्वारा बिजली की माँग काफी की जाती है। बिजली की सप्लाई सीमित है और संपूर्ण माँग को पूरा नहीं किया जा सकता। आशा है बिजली परिषद अपना प्रबन्ध ठीक ढङ्ग से चलायेंगे और यदि पर्यवेक्षण की आवश्यकता हो, तो केन्द्रीय सरकार मार्गदर्शन करें।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

SHRIMATI RENU CHAKRAVARTY *in the Chair*

जहाँ तक देहातों को बिजली की सप्लाई करने का सम्बन्ध है, शहरी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत

बिजली का उपभोग उद्योगों में किया जाता है जबकि देहाती क्षेत्रों में इसके लिए केवल 10 प्रतिशत का उपभोग होता है। भारत के देहाती क्षेत्र अभी पिछड़े हुए हैं और यदि उन्हें बिजली पहुँचानी है तो इसके लिए एक भारी रकम की आवश्यकता होगी न केवल बिजली की सप्लाई के लिए बल्कि मशीनरी की सप्लाई के लिए भी जिसकी आवश्यकता खेती के लिये है।

बिजली के अवैध प्रयोग के लिए सरकार को बहुत कठोर दण्ड की व्यवस्था करनी चाहिये। बहुत से मामलों में लोग बिजली के साथ छेड़छाड़ करते हैं और बिना कोई फीस दिये उसका प्रयोग करते हैं।

गाँवों में लोगों को बिजली के खतरों के बारे में भी बताया जाना चाहिये। केवल खतरे की सूचना ही काफी नहीं है। बिजली में कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं और जब बच्चे या पशु, आदि बिजली के तारों से लगते हैं तो मर जाते हैं। इसलिए देहाती क्षेत्रों में बिजली के खतरों के बारे में काफी प्रचार करने की आवश्यकता है।

गाँवों में अब भी बिजली का प्रयोग उचित ढङ्ग से नहीं किया जाता। गाँव में केवल रेडियो या पंखे के लिये बिजली मिली है और कृषि कार्यों के लिए अभी बिजली की आवश्यकता है। यदि सरकार का उद्देश्य किसानों को बिजली की सप्लाई करना है तो हमें बिजली के उपयोग के लिए उचित ढङ्ग भी प्रयोग में लाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ विधेयक का स्वागत किया गया और आशा प्रकट की गई कि सरकार बिजली की सप्लाई के साथ-साथ पानी के पम्प तथा कुओं की व्यवस्था भी किसानों के लिए करेगी। यदि ऐसा किया गया तो देश उन्नति करेगा अन्यथा कृषकों का सुधार करने के लिए हमें कई वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० कु० ल० राव) :

इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्र के निर्माण के लिये बिजली एक मौलिक कारण है। रूस आज यदि उच्चतम अवस्था में है तो इसका कारण यह है कि उसने विद्युत शक्ति में काफी प्रगति की है। 40 वर्ष पहले रूस की स्थिति भारत जैसी ही थी इस समय हमारी विद्युत शक्ति रूस का केवल दसवां भाग है। अतः यह स्पष्ट है कि हमें अपने देश में बिजली की वर्तमान हालत को सुधारना होगा। हमारे देश में प्रति व्यक्ति विद्युतजनन 75 किलोवाट घंटे है जबकि उन्नत देशों में यह लगभग 2,000 किलोवाट घंटे है। इसलिए हमें यथासम्भव तेजी से इस ओर आगे बढ़ना होगा।

विद्युत-उद्योग एक व्यापक उद्योग है जिसमें भारी पूंजी और अनेक यंत्रों की आवश्यकता होती है। भारत में यह सब मशीनें बाहर से मंगाई जाती हैं और इससे विदेशी मुद्रा काफी खर्च होती है। सरकार ने भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद में कारखाने लगाये हैं। इनमें उत्पादन शुरू होने के बाद बिजली पैदा करने की दिशा में हम बहुत कुछ कर सकेंगे। यह कहना उचित नहीं है कि बिजली के क्षेत्र में हमने कुछ किया ही नहीं है। अनेक बड़ी-बड़ी कठिनाइयों के बावजूद हमारा उत्पादन 10 वर्ष पहले 6000 किलोवाट घंटे से बढ़कर 36000 किलोवाट घंटे हो गया है। यह प्रगति सन्तोषप्रद नहीं है और हमें अभी बहुत कुछ करना है। हमारा प्रति व्यक्ति

उत्पादन आज के 75 किलोवाट घंटे से बढ़कर कम से कम 500 किलोवाट घंटे होना चाहिए। हम ऐसा करने में 1980 तक सफल हो सकेंगे और तब देश की हालत बहुत ही अच्छी हो जायेगी।

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए अधिक बिजली देनी चाहिए। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पारेषण लाइनों की आवश्यकता होगी और इसके लिए एक बड़ी धन-राशि की जरूरत होगी। यहाँ आकर हमारा काम रुक जाता है।

यह आशा कि है अगले पांच या दस वर्षों के बाद एक अखिल भारतीय ग्रिड तैयार हो जायेगा। हम देहाती क्षेत्रों को अधिकाधिक बिजली देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि कृषि के लिये बिजली बहुत सस्ती पड़ती है। हमारे देश में कुल 50 लाख कुएं हैं और अबतक हम केवल पांच लाख कुओं को बिजली दे पाये हैं। चौथी योजना काल में हम सात लाख कुओं को बिजली दे सकेंगे।

हमारे देश में यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहां भूमि के नीचे के जल संसाधन प्रथम दर्जे के हैं। विशेष रूप से गंगा के बेसिन में, मध्य प्रदेश और समुद्र तटीय क्षेत्रों में बहुत अच्छा जल पर्याप्त मात्र में उपलब्ध है। हमें इस प्रकार के नलकूप लगाने चाहिये कि जिन से इस जल का अधिकाधिक प्रयोग किया जा सके।

बिजली के उत्पादन के बारे में तो कोई कठिनाई नहीं है। हमारे पास पारेषण लाइनों की कमी है। प्रत्येक देहात में बिजली ले जाने के लिये सरकार को लगभग 40 हज़ार से एक लाख तक रुपया व्यय करना पड़ता है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में ताँबे तथा अल्युमिनियम की कमी है। इनका हमें आयात करना पड़ता है। इन धातुओं के स्थान पर अन्य खनिजपदार्थों को प्रयोग में लाने के लिये खोज हो रही है।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय उन राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाने के बारे में सोच रहा है कि जहां पर कुओं और नलकूपों की बहुत जरूरत है।

इस सम्मेलन में राज्यों की कठिनाइयों को दूर करने पर विचार किया जायेगा। इस बात में सन्देह नहीं है कि मूल विधेयक की भाषा में सुधार की आवश्यकता है। यह सन् 1946 में तैयार किया गया था। ऐसी आशा है कि अगले सत्र में इस बारे में एक और अधिक सरल और व्यापक विधेयक सभा के समक्ष लाया जायेगा।

वर्तमान अधिनियम के अनुसार पूरे देश में बिजली के एक समान दर लागू नहीं किये जा सकते। यह समानता लाने के लिये इस विधेयक का पारित किया जाना बहुत आवश्यक है। और इस विधेयक को शीघ्रता से लाये जाने का भी यही कारण है।

एक और बात यह है कि फरवरी 1965 से बैंक में वृद्धि हो गई है। यह अच्छी बात है कि निजी लाइसेंसदारों ने दर बढ़ा कर मौके से फायदा नहीं उठाया है। इस अधिनियम के अनुसार वे ऐसा कर सकते थे। इसके द्वारा हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि 1965 तक लगाये गये निवेशों पर 7 प्रतिशत बैंक दर और इसके बाद के निवेशों पर 2 प्रतिशत बैंक दर की अनुमति दी जायेगी।

बिजली बोर्डों की सदस्यता के बारे में परिवर्तन, चुनाव और अन्य बातों के विषय में जो आलोचना की गई है वह उचित नहीं है। क्योंकि हम बोर्डों में पंचायतों आदि के सदस्यों को भी सदस्यता देना चाहते हैं। यह केवल संसद तथा राज्य विधान सभाओं के सदस्यों के लिये नहीं हैं।

परियोजनाओं के प्रकाशन के बारे में बहुत भ्रम है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसका टेन्डरों से कोई सम्बन्ध नहीं है। 2 करोड़ से कम लागत वाली परियोजनाओं की राज्य सरकारें मंजूरी दे सकती हैं। परन्तु बिजली की परियोजनाओं की केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग छानबीन करता है। इस प्रकार बिजली सम्बन्धी योजनाओं पर अधिक नियन्त्रण रहता है। इस प्रकार हम सिंचाई परियोजनाओं को प्रकाशित नहीं करते और बिजली योजनाओं को लोगों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है। इस में कोई विशेष बात नहीं है।

आधे घंटे की चर्चा

HALF AN-HOUR DISCUSSION

गण्डक परियोजना

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Madam Chairman, I was informed by the hon Minister on the 12th of May 1966 that the Gandak Project would make further progress if Bihar Government would make more contribution for this project. The cost of this project has been going up. Originally it was estimated to cost Rs.22 crores. Now it is likely to cost Rs.124 crores. As a result of recent devaluation of rupee it may further go up. This project was sanctioned in 1960. Uptill now only 20 crores of rupees have been spent. I do not know how long it will take in completing this project. We had a meeting with the con. Minister in this connection. He deputed twoo fficers to study the position. It was agreed the Central Government would provide the necessary financial assistance and the State Government would provide the machinery for execution of the job, but unfortunately the Planning Commission has not given its approval so far and things are as they were.

When this project is completed, our agricultural output will go up by 2 crores and fifty lakh maunds. This project will effect two States of Bihar and U.P. and Nepal. The Central Government should take up this project. The Bihar Government has to experience great difficulty, as it has to route its correspondence to Nepal through Central Government here in New Delhi. The canals coming under this project should also be constructed expeditiously. This scheme should be included in the Fourth plan and executed by Central Government. Already considerable amount of money has been spent on this project. That is going waste, if further progress is not made.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What was estimate of the cost of this project at initial stage ? Is it a fact that the present estimate of this project is 121 crores of rupees and is it also a fact that it is being executed with foreign collaboration ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : Sir, I agree that this project is very vital for Bihar and U.P. It will help a great deal in increasing the agricultural output. It is correct that with the passage of time its estimated cost is going up.

I myself have visited Gandak Project area. We have given about 8 crores of rupees to Bihar Government. We would try to meet the needs in this connection. We

are trying to take up about 9 such projects from states. We are consulting Planning Commission and Ministry of Finance in this regard.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : इस परियोजना की अनुमानित लागत में इस कारण वृद्धि हुई है कि नहरों की क्षमताबढ़ाई गई है और सिंचाई का क्षेत्र भी बढ़ाया गया है। इस परियोजना के लिये कोई विदेशी सहायता नहीं ली जा रही है।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 29 जुलाई, 1966 / श्रावण 7, (1888 शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, 29, 1966/ Sravana 7, 1888 (Saka).

Tirthraj Press, Allahabad.